PERFECT 7
साप्ताहिक समसामयिकी

दिसम्बर 2019 | अंक-3

विश्व विकलांगता दिवस 2019

एक अवलोकन

- मिड-डे मील योजना : एक विश्लेषण
- न्यायेत्तर हत्याएँ : विधि के सम्यक् प्रक्रिया का उल्लंघन
- सैन्यकर्मियों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाएँ : हल तलाशना जरूरी
- भारत की विदेश नीति का विकासक्रम : एक मूल्यांकन
- भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ
- विश्व मृदा दिवस 2019 : मृदा संरक्षण का महत्व

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Special Books for Pre Exams

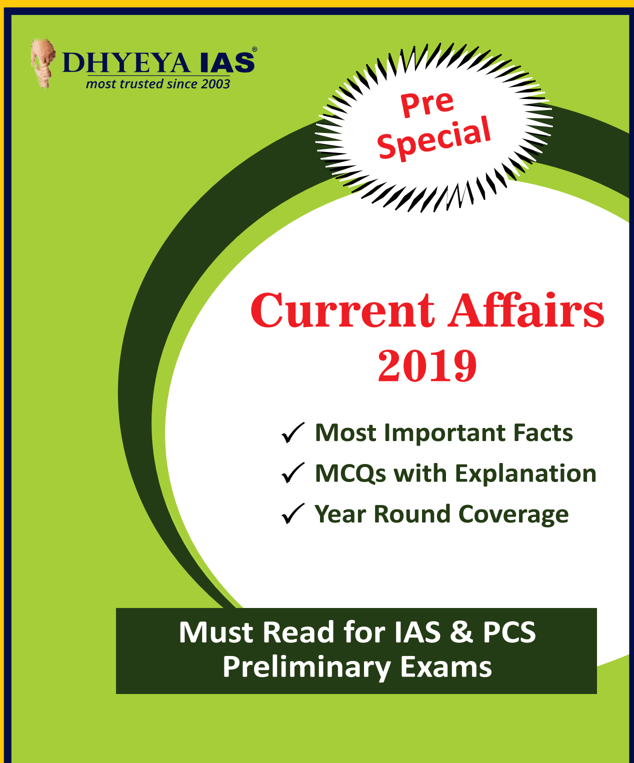

Available at All Book Stores

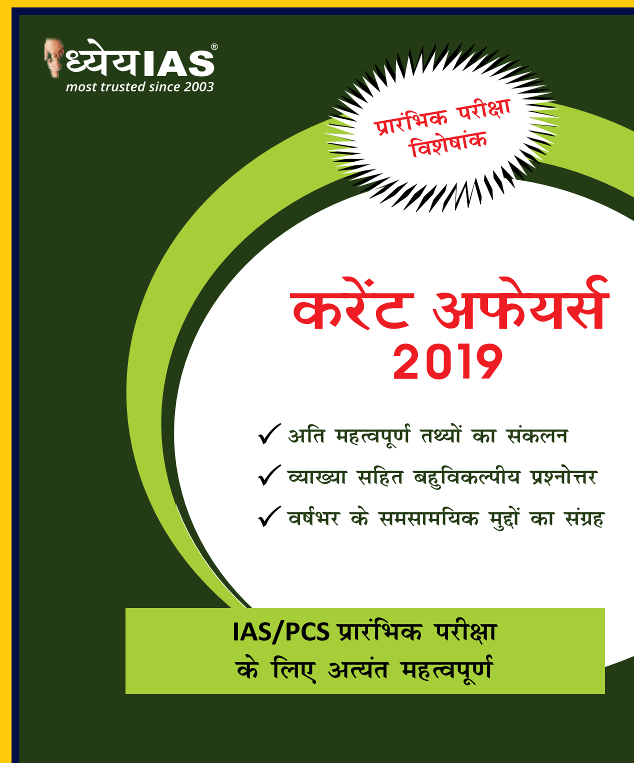

Available at All Book Stores

Available at All Book Stores

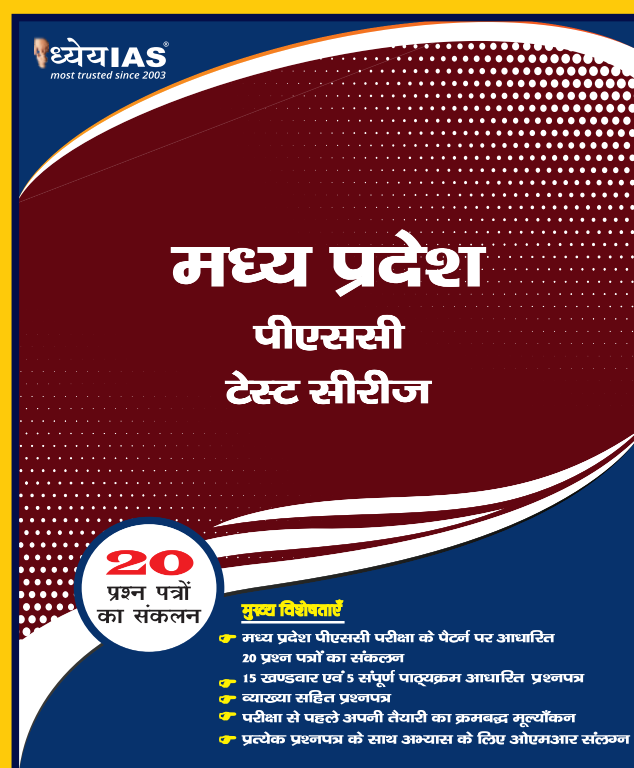

Coming Soon ......

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

'Perfect 7' में सुधार एवं संवर्द्धन हेतु किसी भी प्रकर के सुझाव, टिप्पणी और विचार के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।

9990772422

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

दिसम्बर-2019 | अंक-3

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय,
ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी, सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल

लेख सहयोग
मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव,
प्रीति मिश्रा, आदेश, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- विश्व विकलांगता दिवस 2019 : एक अवलोकन
- मिड-डे मील योजना : एक विश्लेषण
- न्यायेत्तर हत्याएँ : विधि के सम्यक् प्रक्रिया का उल्लंघन
- सैन्यकर्मियों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाएँ : हल तलाशना जरूरी
- भारत की विदेश नीति का विकासक्रम : एक मूल्यांकन
- भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ
- विश्व मृदा दिवस 2019 : मृदा संरक्षण का महत्व

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. विश्व विकलांगता दिवस 2019 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हर साल 3 दिसंबर को दुनियाभर में विश्व विकलांगता दिवस (World Disability Day 2019) मनाया जाता है। इस दिन को मुख्य रूप से दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1981 को विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया, जिसकी थीम थी 'पूर्ण भागीदारी और समानता'। इस थीम के तहत समाज में विकलांगों को बराबरी का अवसर उपलब्ध कराने और उनके अधिकारो के प्रति उन्हें और अन्य लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया था ताकि विकलांगों को सामान्य नागरिकों के समान ही सामाजिक-आर्थिक विकास का लाभ प्राप्त हो सके।

इसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगों को अवसर की समानता, उनका पुनर्वास और विकलांगता की रोकथाम के लिए एक वैश्विक कार्यवाही योजना तैयार की। इस योजना में अनुशंसित गतिविधियों को लागू करने के लिए सरकारों एवं संगठनों को एक समय सीमा प्रदान करने के क्रम में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1983-1992 के दशक को विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 1992 में ही संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा 3 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गयी और तभी से 3 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है।

विकलांगता की बढ़ती स्थिति और विकलांगों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर एक समान मानकों की स्थापना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 13 दिसम्बर 2006 को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर एक अभिसमय को अपनाया गया। यह अभिसमय 3 मई 2008 से लागू हुआ और वर्तमान में 163 देश इस अभिसमय को अपना चुके हैं।

वर्ष 2019 के अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का केन्द्रीय विषय है, 'विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना : 2030 के विकास एजेंडे में एक्शन लेना'। यह विषय 2030 एजेंडा में समावेशी, समान और सतत विकास के लिए विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण पर केन्द्रित है जो किसी को पीछे नहीं छोड़ने का संकल्प करता है।

विकलांगता क्या है

विकलांगता किसी व्यक्ति की वह दशा है जो शारीरिक एवं मानसिक क्षति अथवा अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है और उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में सामान्य व्यक्तियों की तुलना में बाधा उत्पन्न करती है।

निर्योग्यता (Disability) एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, ऐन्द्रिक, बौद्धिक विकास में किसी प्रकार की कमी को इंगित करता है। इसके लिए अशक्तता, नि:शक्तता, अपंगता, विकलांगता, दिव्यांगता आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है।

भारत में दिव्यांगजन

भारत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए कार्य करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांगो की जनसंख्या 2.68 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। इसमें से 55.89% पुरुष और 44.11 महिलाएँ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों की संख्या शहरों की तुलना में कहीं अधिक है। दिव्यांगों की कुल जनसंख्या का 69.45% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इन दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे इनका शिक्षा, रोजगार एवं सार्वजनिक सुविधाओं की प्राप्ति में सामाजिक उपेक्षा का भी शिकार होना पड़ता है। दिव्यागों को कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसे निम्न बिदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

शिक्षा एवं रोजगारः देश में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के पारित हुए 24 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा और रोजगार के अवसर की बात करें तो इन 24 सालों में देश में विकलांगों या दिव्यांगों की स्थिति ठीक नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की 45 फीसदी विकलांग आबादी अशिक्षित है। दिव्यांगों में भी जो शिक्षित हैं, उनमें 59 फीसदी 10वीं पास हैं, जबकि देश की कुल आबादी का 67 फीसदी 10वीं तक शिक्षित है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी को एकसमान शिक्षा देने का प्रावधान है, बावजूद इसके शिक्षा व्यवस्था से बाहर रहने वाली आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा विकलांग बच्चों का है। 6-13 आयुवर्ग के विकलांग बच्चों की 28 फीसदी आबादी स्कूल से बाहर है। विकलांगों के बीच ऐसे भी बच्चे हैं जिनके एक से अधिक अंग अपंग हैं, उनकी 44 फीसदी आबादी शिक्षा से वंचित है। जबकि मानसिक रूप से अपंग 36 फीसदी बच्चे और बोलने में अक्षम 35 फीसदी बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने हेतु कई कदम उठाने के बावजूद आधे से अधिक दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं।

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर कई विवाद भी हैं जैसे उनके लिए विशेष रूप से

अलग स्कूल विकसित किए जाएं या उन्हें अन्य सामान्य स्कूलों में ही शिक्षा दी जाए। इसे लेकर सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है। समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय विकलांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल चलाता है, जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय सामान्य विद्यालयों में ही विकलांग बच्चों को शिक्षा देने की वकालत करता है। अन्य समस्या दिव्यांगों द्वारा उच्च शिक्षा में विषय चयन को लेकर भी है। अधिकतर मामलों में उच्च शिक्षा में विकलांग विद्यार्थियों को उनकी मर्जी के विषय नहीं मिल पाते। हाल ही में दो दृष्टिहीन विद्यार्थियों को अपनी पसंद का विषय चुनने के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ी।

रोजगार के क्षेत्र में देखें तो दिव्यांगजनों के लिये समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने के बावजूद सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये पूर्व में आरक्षित 3 प्रतिशत (अब 4 प्रतिशत) सीटों में से लगभग 1 प्रतिशत सीटों पर ही भर्तियाँ हो पाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में अभी भी 73 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन श्रमशक्ति के दायरे से बाहर हैं।

सुविधाओं का अभाव: विकलांगता की समस्या का सामना कर रहे व्यक्तियों के लिए जो न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सार्वजनिक जगहों पर होनी चाहिए, उसका अभाव लगभग सभी शहरों में है। अस्पताल, शिक्षा संस्थान, पुलिस स्टेशन जैसी जगहों पर भी उनके लिए शौचालय या व्हीलचेयर नहीं हैं। गैर सरकारी संस्था 'स्वयं फाउंडेशन' ने देश के आठ शहरों में किये अपने सर्वे में पाया कि सार्वजानिक जगहों पर जो सुविधाएं विकलांगों के लिए होनी चाहिए, वे उपलब्ध नहीं हैं या फिर पर्याप्त नहीं हैं।

लैंगिक समस्या: विकलांगता के साथ रह रहे लोगों की समस्याओं को सामने लाने की वर्तमान प्रक्रिया में केवल विकलांगता को ही प्रमुख माना जाता रहा है और विकलांगता के साथ रह रहे लोगों में लैंगिक विशेष की समस्याओं, खासतौर पर विकलांग महिलाओं की तकलीफों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। एक विकलांग महिला को अपनी विकलांगता के साथ-साथ अपनी नैतिकता के कारण अपेक्षाकृत दो गुने भेदभाव और अलगाव का सामना करना पड़ता है।

उपेक्षित दृष्टिकोण: आज भारत हर क्षेत्र में विकास कर तेजी से विकसित देशों की श्रेणी की ओर अग्रसर हो रहा है, बावजूद इसके विकलांगों के प्रति हमारे समाज के दृष्टिकोण में अपेक्षित बदलाव नहीं हुए हैं। आज भी भारत में आमतौर पर विकलांगता को पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़कर देखा जाता है और विकलांग व्यक्तियों को दया का पात्र समझा जाता है। मानसिक रूप से अक्षम लोग, दिव्यांग महिलाएँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजन सबसे अधिक उपेक्षित हैं।

भारत में दिव्यांगों के लिए कानून

भारतीय संविधान के तहत दिव्यांगजनों का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में आता है। भारत सरकार हमेशा से दिव्यांगजनों के व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सक्रिय रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में निःशक्तजनों को लोक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की बात कही गयी है। साथ ही विभिन्न पिछड़े एवं कमजोर तबकों के साथ-साथ विकलांग जनों को एक सुरक्षित सम्मानित और समृद्ध जीवन सुलभ कराने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्थापना की गयी है।

भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 पारित किया था। इस अधिनियम के दो प्रमुख लक्ष्य थे- 1. निःशक्त व्यक्तियों की समानता और सम्पूर्ण सहभागिता को स्वीकार और सुनिश्चित करना। 2. उनके आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। इसके तहत सरकारी महकमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दिव्यांगजनों के लिए तीन फीसदी आरक्षण का प्रावधान भी किया गया था।

हाल के वर्षों में विकलांगों के प्रति समाज का नजरिया तेजी से बदला है। यह माना जाने लगा है कि यदि विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2006 में दिव्यांग जनों के लिए राष्ट्रीय नीति घोषित की, जिसके तहत-

- दिव्यांग व्यक्तियों को देश के लिए बहुमूल्य मानव संसाधन स्रोत माना गया है।
- मंत्रालय में दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की गई।
- ये आयुक्त नियमों और आदेशों के उल्लंघन की शिकायतें सुनते हैं।
- इस नीति के तहत विकलांगता के क्षेत्र में काम करने के लिए सात राष्ट्रीय स्तर के संस्थान खोले गए हैं।
- इस नीति का उद्देश्य विकलांगता की रोकथाम करना और दिव्यांगजनों के पुनर्वास का उपाय करना, महिला दिव्यांगों को शोषण और दुर्व्यवहार में बचाना और दिव्यांग बच्चों की देखभाल करना।

विकलांगता कानून को व्यापक और विस्तृत रूप देने और दिव्यांगजनों को और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2016 में निःशक्त व्यक्तियों का अधिकार विधेयक, 2016 पारित किया। इस विधेयक ने विकलांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्णभागीदारी) अधिनियम 1995 का स्थान लिया। इस कानून के प्रमुख प्रावधान हैं-

- इसके तहत 21 निःशक्तताओं को मान्यता दी गई।
- इस कानून में मानसिक विकलांगता, मनोवैज्ञानिक विकार, कुष्ठ रोगी मस्तिष्क पक्षाघात (ऑरिज्म) को भी विकलांगता की श्रेणी में रखा गया।
- इसमें पार्किंसंस रोग और एसिड की वजह से होने वाली विकलांगता को भी शामिल किया गया है।
- इसमें 6-8 वर्ष तक सभी विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है।
- इसके तहत विकलांगों को आरक्षण की सीमा तीन फीसदी से बढ़ाकर चार फीसदी की गई है और उच्च शिक्षण संस्थानों में पाँच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- न्यूनतम 40% विकलांगता के शिकार लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
- इस विधेयक में विकलांगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के मानकों को भी अपनाया गया है।
- इस कानून के तहत यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी विकलांग जन का मजाक बनाता है या उसे डराता है या उसका अपमान करता है तो उस व्यक्ति को जेल की सजा हो सकती है।
- इस कानून में प्रावधान है कि देश के हर जिले में विशेष कोर्ट बनाये जायेंगे जो विकलांगजनों के अधिकारों के हनन के मामलों की सुनवाई करेंगे।
- इस कानून के निर्धारित समय सीमा के अंदर सरकारी और निजी सार्वजनिक इमारतों को विकलांग जनों के लिए सुगम्य बनाये जाने का प्रावधान भी किया गया है।

इस तरह दिव्यांग अधिकार कानून, 2016 के जरिये भारत ने यूएनसीआरपीडी (United Nations convention on Rights of Person with Disabilities) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए एक बेहतर कदम उठाया है।

सरकारी प्रयास

सुगम्य भारत अभियानः दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान की शुरूआत की गयी। इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिये एक सक्षम और बाधारहित वातावरण सुनिश्चित करना है। इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं- 1. विद्यमान वातावरण में सुगम्यता सुनिश्चित करना, 2. परिवहन प्रणाली में सुगम्यता, 3. ज्ञान एवं आई सी टी के माध्यम से दिव्यांगो को सशक्त बनाना शामिल हैं।

सुगम्य पुस्तकालयः सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एक ऑनलाइन मंच "सुगम्य पुस्तकालय" की शुरूआत की गई है, जहाँ दिव्यांगजन इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय से संबद्ध सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये अलग से व्यवस्था की गई है। सुगम्य पुस्तकालय में नेत्रहीन व्यक्ति भी अपनी पसंद के किसी भी उपकरण जैसे- मोबाइल फोन, टैबलेट, कम्प्यूटर इत्यादि का उपयोग कर ब्रेल डिस्प्ले की मदद से पढ़ सकते हैं।

यूडीआईडी कार्डः भारत सरकार द्वारा वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान (यूडीआईडी) कार्ड शुरू किया गया है। इस पहल से दिव्यांग प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी तथा अलग-अलग कार्यों के लिये कई प्रमाण-पत्र साथ रखने की परेशानी भी दूर होगी। इसके तहत विकलांगता के प्रकार सहित विभिन्न विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगमः इसकी स्थापना 24 जनवरी 1997 को दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ हेतु आर्थिक विकास कार्यालयों और स्व-रोजगार के संवर्द्धन हेतु की गई थी। यह विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यमों और व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण प्रदान करता है। यह विकलांगता से ग्रस्त स्व-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की उनके उत्पादों एवं वस्तुओं के विपणन में सहायता भी करता है।

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगमः यह कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत एक गैर-लाभकारी मिनीरत्न कंपनी है। यह निगम विकलांगों के लिए विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों का निर्माण करता है।

आगे की राह

शिक्षा के अधिकार को कार्यान्वित करने में सरकार और प्रशासन को अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है तभी दिव्यांग बच्चों के स्कूल न जाने की स्थिति को बदला जा सकता है, हालाँकि नया अधिनियम भी शिक्षा संबंधी सुधारों की बात करता है। उच्च शिक्षा में विकलांगों के लिए उनकी जरूरत और रूचियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार करने एवं उनके पसंदीदा विषयों के चयन को प्राथमिकता की जानी चाहिए।

दिव्यांगजनों की सहायता और सहायक उपकरणों के संबंध में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न सुविधाओं तक उनकी पहुँच को आसान बनाया जा सके। साथ ही स्मार्ट सिटी और शहरी सुविधाओं की बेहतरी पर जोर देते हुए दिव्यांगजनों की चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

रेलवे को सभी स्टेशनों को दिव्यांगजन सुगम बनाने के लिये एक कार्यक्रम तत्काल शुरू करना चाहिये और 'पोर्टेबल स्टेप सीढ़ी' जैसे उपायों को अपनाना चाहिये। नए अधिनियम में मानसिक रूप से विकलांग, दिव्यांग महिलाएँ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों की अन्य चिंताओं के साथ-साथ रोजगार चिंताओं का भी संज्ञान लिया गया है, फिर भी सुधार तभी संभव है जब प्रावधानों का समुचित अनुपालन हो।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

2. मिड-डे मील योजना : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) में अनियमितता का मामला सामने आया है। यहां चोपन ब्लॉक के सलईबनवा प्राथमिक स्कूल में एक लीटर दूध में एक बाल्टी पानी मिलाया गया और उसे 80 बच्चों में बांटा गया। इस प्रकार की घटना ने एक बार फिर मिड-डे मील योजना और उसके कार्यान्वयन में कमियों को उजागर कर दिया है।

परिचय

भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1995 को मध्याह्न भोजन योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अर्न्तगत प्राथमिक विद्यालयों के प्रत्येक छात्र को निर्धारित खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था, परन्तु इसमें बच्चों का स्वास्थ्य और उनकी स्कूल में उपस्थिति पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए देश में दिनांक 01 सितम्बर, 2000 से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की योजना आरम्भ कर दी गयी। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों/एजुकेशन गारन्टी स्कीम केन्द्रों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चों को 80 प्रतिशत की उपस्थिति के आधार पर एक शैक्षिक सत्र में कम से कम 200 दिन पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 1-5 तक के विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन देने के लिए प्रति छात्र प्रति स्कूलीदिन एक रुपये का खर्च अपनी तरफ से देना स्वीकार किया। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8-12 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान किया गया है।

मध्याह्न-भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के दौरान, केन्द्र एवं राज्य सरकारें साथ-साथ कार्य करती हैं। केन्द्र सरकार, योजना के क्रियान्वयन के दौरान राज्य सरकारों द्वारा पालन किए जाने हेतु दिशानिर्देश जारी करती है। किन्तु कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय दिशानिर्देशों से भिन्न दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। कार्यक्रम की निगरानी करने, उसके प्रभाव का आकलन करने और केन्द्र व राज्य सरकारों को नीतिगत सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय दिशा-नियन्त्रक-सह-निरीक्षण समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा वार्षिक कार्य

योजना प्रस्तुत किए जाने पर कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता रूपी केन्द्रीय मदद जारी कर दी जाती है। कार्यक्रम की निगरानी के लिए राज्य-स्तर पर भी दिशा-नियन्त्रक-सह-निरीक्षण समितियों का गठन किया गया है। नोडल विभाग को उत्तरदायित्व लेने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी के लिए नोडल विभाग प्रत्येक जिला एवं प्रखंड (ब्लॉक) स्तर पर क्रियान्वयन प्रकोष्ठों का गठन करता है और एक-एक अधिकारी नियुक्त करता है। जिन राज्यों में प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों पर है वहाँ इस योजना के प्रभारी वही हैं। राज्यों को भारत सरकार की ओर से निधि एवं खाद्यान्नों की आपूर्ति (केन्द्रीय मदद) स्वीकृत करने के लिए मानव संसाधन विकास मन्त्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

मिड-डे मील का उद्देश्य

- **स्कूलों में बच्चों की भागीदारी बढ़ाना:** मिड-डे मील योजना से स्कूलों में बच्चों की भागीदारी बढ़ी है। स्कूलों में सिर्फ नामांकन की संख्या ही नहीं बढ़ी बल्कि बच्चों की उपस्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आया है।
- **गरीब परिवार के छात्रों को भुखमरी से बचाना:** कई बच्चे घर से बिना कुछ खाये-पिये स्कूल आते हैं। जो बच्चे थोड़ा बहुत खाना खाकर स्कूल पहुंचते हैं वे भी दोपहर तक भूख से छटपटाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें घर से दोपहर के खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता या फिर उनका घर स्कूल से इतना दूर होता है कि दोपहर के खाने के लिए घर जायें तो समय पर लौटना मुश्किल हो जाता है। मिड-डे मील योजना से ऐसे बच्चों को लाभ हो सकता है जो एक ना एक कारण से स्कूल में भूखे रहने के लिए मजबूर हैं।
- **स्कूली बच्चों को सेहतमंद बनाना:** मिड-डे मील योजना बच्चों को निरंतर पोषाहार प्रदान करने की भूमिका अदा कर सकती है। इससे बच्चों की तंदुरुस्ती बढ़ेगी।
- **मिड-डे मील योजना का शैक्षिक मूल्य है:** अगर मिड-डे मील योजना को सुनियोजित ढंग से चलाया जाय तो इसके सहारे बच्चों के भीतर कई अच्छी आदतें विकसित की जा सकती हैं। मसलन, उन्हें खाने से पहले और बाद में हाथ को अच्छी तरह से साफ करने के बारे में बताया जा सकता है। बच्चों के भीतर साफ पानी, देह-हाथ की सफाई और इससे जुड़ी अन्य बातों के लिए रुचि पैदा की जा सकती है।
- **सामाजिक समानता के मूल्य को बढ़ावा देना:** मिड-डे मील योजना के सहारे समाजिक समानता के मूल्य को बढ़ावा दिया जा सकता है क्योंकि स्कूल में अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं और उन्हें एक साथ-एक पाँत में भोजन करना होता है। इससे जाति और धर्म के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति को अलग कर देखने की भावना कमजोर होती है। भोजन को अगर किसी दलित समुदाय के व्यक्ति द्वारा पकाया जा रहा है तो इससे भी जातिगत पूर्वाग्रह कमजोर होते हैं।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** स्कूलों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की भागीदारी (नामांकन और उपस्थिति के मामले में) कम है। मिड-डे मील योजना के सहारे स्कूलों में इस दिशा में बराबरी लायी जा सकती है। एक तो जिन कारणों से लड़कियां स्कूल नहीं आ पातीं, मिड-डे मील योजना उन कारणों को कमजोर करती है। दूसरे मिड-डे मील योजना में महिलाओं को रोजगार देने की भी अच्छी क्षमता है। महिलाएँ घर के बजाय अगर स्कूलों में दोपहर का भोजन तैयार करती हैं तो उन्हें घर के रोज के चूल्हे-चक्की के काम से थोड़ी राहत होगी और साथ में आमदनी भी बढ़ेगी।
- **मनोवैज्ञानिक लाभ:** शारीरिक रुप से कमजोर होने पर बच्चों के अंदर आत्मविश्वास में कमी आती है। उसके भीतर असुरक्षा बोध बढ़ता है और बच्चे का मन लगातार चिन्ता और तनाव में रहता है। इन सबका असर बच्चे के ज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर पड़ता है। मिड-डे मील योजना के भीतर बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास की संभावना है।

मिड-डे मिल लागू करने के उत्कृष्ट उदाहरण

तमिलनाडु में प्राथमिक स्कूलों के सभी बच्चों को हेल्थ कार्ड जारी किये गए हैं और प्रत्येक वृहस्पतिवार को स्कूलों में हेल्थ डे मनाया जाता है। कर्नाटक के सभी स्कूलों में रसोई गैस के इस्तेमाल से मिड-डे मील का भोजन तैयार किया जाता है। पुदुचेरी में प्राथमिक स्कूल के बच्चों को मिड-डे मील के तहत दोपहर का भोजन तो दिया ही जाता है साथ ही राजीव गाँधी ब्रेकफास्ट योजना के अन्तर्गत उन्हें बिस्किट के साथ एक ग्लास गर्म दूध भी दिया जाता है। बिहार में यह सुनिश्चित किया गया है कि मिड-डे मील का वितरण सुचारु रुप से हो। उत्तराखंड में प्राथमिक स्कूलों में महिलाओं को भोजनमाता के रुप में नियुक्त किया गया है। गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में बच्चों को भोजन के साथ सूक्ष्म पोषक तत्त्व मुहैया कराया जा रहा है और उन्हे पेट के कीड़े मारने की दवा भी दी जाती है। तेलंगाना सरकार गरीब विद्यार्थियों में पौष्टिक भोजन की किल्लत को दूर करने के साथ स्कूलों में उपस्थिति प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार स्कूली विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन के साथ सुबह नाश्ता (ब्रेकफास्ट) भी मुहैया करने पर विचार कर रही है।

मिड-डे मील की चुनौतियाँ

- मिड-डे मील में दिए जा रहे भोजन में कंकड़, विषाक्त रसायन, जहरीले जीव, निम्न गुणवत्तापरक भोजन आदि आम हो चली है। सरकारी तंत्र असफल रहा है। एक बढ़िया योजना अदूरदर्शी क्रियान्वयन के चलते दम तोड़ती नजर आ रही है।
- यह योजना अब तक की सर्वश्रेष्ठ सरकारी पहल साबित हो सकती थी अगर इसके क्रियान्वयन और खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया होता। ऐसा न कर पाने की स्थिति में दो दशक से अधिक समय से लागू इस योजना की शुरूआत से ही खाना खाकर बच्चों के बीमार होने की घटनाएँ सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाएँ इस बेहतर योजना के मंतव्य और मकसद पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की मिड-डे मील योजना पर रिपोर्ट में बताया गया था कि कम से कम नौ राज्यों के मामलों में तय पोषण नहीं पाया गया। दिल्ली का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि किए गए परीक्षण में 2,012 में से 1,876 नमूने तय पोषण मानकों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाये।
- जानकारों के अनुसार मिड-डे मील योजना शहरों में तो ठीक से काम कर रही है क्योंकि वहाँ इसकी निगरानी भी ठीक होती है और कई स्तर के अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की निगाह पड़ती रहती है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं हो पाता है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में न तो सही समय पर सामान पहुँच पाता है और न ही समय पर भुगतान हो पाता है। इसके अलावा ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक और रसोइए की तिकड़ी भी इसके ठीक से लागू न हो पाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है।
- सरकार ने योजना की निगरानी यानी मॉनीटरिंग के लिए साल 2010 से आईवीआरएस आधारित प्रणाली को लागू किया है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक विद्यालय दिवस में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक अथवा शिक्षामित्र के मोबाइल नंबर पर स्व-संचालित कॉल की जाती है, इस प्रकार केंद्रीकृत सर्वर पर भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या एवं भोजन न बनाने वाले विद्यालयों की संख्या दैनिक स्तर पर अंकित हो जाती है। इसके अलावा भी व्यवस्था पर निगरानी के लिए कई और तंत्र विकसित किए गए हैं। साथ ही उच्चाधिकारियों से भी नियमित तौर पर स्कूलों की जाँच और मिड-डे मील की गुणवत्ता को परखने की जिम्मेदारी दी गई है, बावजूद इसके यह योजना अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रही है।
- जानकारों का ये भी कहना है कि मिड-डे मील का बजट इतना ज्यादा नहीं है कि तय मानकों के अनुसार बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों का स्कूली नामांकन तो विशेष रुप से बढ़ा है, किन्तु कई बार देखा गया है कि SC/ST महिलाओं द्वारा पकाए गए भोजन को खाने के लिए अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को खाना खाने से रोक दिया जाता है।
- मंत्रालय ने इस बात की जांच नहीं की है कि इस योजना से छात्रों के नामांकन और उपस्थिति में कितना इजाफा हुआ है। अंकेक्षण (ऑडिट) के लिए जो आंकड़े इक्कट्ठे किए गए उनके विश्लेषण से इस बात का पक्का पता नहीं चलता कि छात्रों की उपस्थिति या नामांकन में तुलनात्मक रुप से कुछ सुधार हुआ है।
- कार्यक्रम के मूल्यांकन और निरीक्षण का काम नियमित रुप से नहीं होता और ना ही कार्यक्रम के लागू करने में पहले हुई गलतियों से सीख लेते हुए स्थानीय स्तर पर उसमें नवीकरण के प्रयास किये जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से राज्य और केंद्र के स्तर पर योजना की निगरानी और संचालन के लिए समितियां बनायी गई हैं लेकिन ये समितियां नियमित रुप से बैठक नहीं करतीं।
- राज्यों में योजना के क्रियान्वयन के पहलुओं की जाँच से पता चला कि फंड को सही वक्त पर जारी नहीं किया जा रहा। परिवहन खर्चे में अनियमितता बरती जा रही है। कार्यक्रम को लागू करने लायक बुनियादी ढाँचे का अभाव है और जारी किए गये अनाज की मात्रा में लक्ष्य तक पहुँचने से पहले हेराफेरी होती है।
- मंत्रालय अब भी इस बात की कोई कारगर व्यवस्था नहीं कर सका कि मीड-डे मील के काम से शिक्षकों की शैक्षिक गतिविधि में कोई बाधा नहीं पहुंचे। ऐसे कई उदाहरण मिले जिससे जाहिर होता है कि शिक्षक पढ़ाने का ढेर सारा वक्त मिड-डे मील के अन्तर्गत परोसे जाने वाले भोजन की बंदोबस्ती और देखरेख में लगा देते हैं।

सुझाव

मिड-डे मील योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लेगेशिप योजना है। समस्त राजकीय विद्यालयों, जहाँ मिड-डे मील योजना संचालित है, में भोजन की गुणवत्ता/स्वच्छता, मौसम जनित बीमारियों के प्रभावी रोकथाम, पेयजल हेतु सजगता एवं संवदेनशीलता के साथ निम्न सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन की स्वच्छता एवं गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पोषाहार विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सुरक्षित है। गर्मी के मौसम एवं मानसून को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न राज्यों में योजनान्तर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं पेयजल उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ताकि दूषित भोजन एवं पेयजल के कारण मौसम जनित बीमारियों से बचा जा सके।
- योजनान्तर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा एवं संचालन समिति का गठन होना चाहिए। उक्त समितियों की बैठक प्रतिमाह आयोजित होनी चाहिए एवं योजना से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से होना चाहिए। विद्यालयों में योजनान्तर्गत भोजन से संबंधित सामग्री/उत्पाद, पानी की टंकियों, पाइपलाइनों एवं आदि की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम से आगामी तीन दिवसों में विशेष जाँच करवाना चाहिए।
- योजनान्तर्गत संचालित समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों को पाबंद किया जाए कि वे परिसर की साफ-सफाई, पोषाहार की गुणवत्ता व स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल तथा पानी की टंकियों की साफ-सफाई की व्यवस्था स्वयं के स्तर से भी करवायें।
- विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जाए, जिसमें विद्यालय में स्थापित रसोइघर, पेयजल की टंकियों एवं शौचालयों की नियमित साफ-सफाई का विवरण अंकित किया जाना चाहिए।
- योजनान्तर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में मिड-डे मील में वितरित किये जाने वाले भोजन की जाँच खाद्य सुरक्षा विभाग की प्रयोगशालाओं में समय-समय पर करवाया जाना चाहिए तथा वितरित किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
- विद्यालय परिसर में जल स्त्रोत भी खुले नहीं रखे जाने चाहिए अगर विद्यालय के आस-पास खुले कुएं तथा जल के स्त्रोत हों तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैनात ए.एन.एम एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा खुले जल स्त्रोतों में क्लोरिनेशन करवाया जाना चाहिए।
- यदि विद्यालय में खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य सामग्री के सुरक्षित भण्डारण हेतु व्यवस्था न हो तो उचित व्यवस्था करवायी जानी चाहिए।
- खाद्यान्न को एक निश्चित ऊँचाई (कम से कम 6 इंच) के प्लेटफार्म पर दीवारों से दूर रखा जाना चाहिए। खाद्यान्न जहाँ रखा जाए वहाँ वेन्टीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो जिससे मानसून के समय पानी/नमी के कारण अनाज के खराब होने की समस्या से बचा जा सके। खाद्यान्न भण्डार गृह में किसी भी जीव-जन्तु का विचरण न हो। खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी स्थिति में पेस्टीसाईड या कीड़े एवं चूहे मारने के लिए कांम में आने वाला कोई भी रासायनिक पदार्थ उपयोग में नहीं लिया जाए।

- पोषाहार पकाने में काम आने वाली खाद्य सामग्री (गेहूं, चावल, सब्जियां, तेल, मसाले इत्यादि) की साफ-सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। पोषाहार बनाने में प्रयुक्त होने वाले तेल, मसालों इत्यादि की अन्तिम उपयोग की तिथि की जांच के बाद ही उन्हें पोषाहार हेतु उपयोग में लिया जाए। पोषाहार बनाने में उच्च गुणवत्तायुक्त दाल, तेल, अन्य वस्तुएँ उपयोग में ली जानी चाहिए।
- पोषाहार जहाँ पकाया एवं परोसा जाता है वहाँ पूर्ण साफ-सफाई एवं रख-रखाव में स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। पोषाहार पकाने एवं परोसने वाले बर्तनों की पूर्ण साफ-सफाई एवं रख-रखाव में स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। पोषाहार समाप्ति के पश्चात् इन बर्तनों को भली प्रकार से साफ किया जाना चाहिए।
- छात्र-छात्राओं को भी स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सामान्य जानकारी जैसे खाना खाने से पूर्व साबुन से हाथ धोना, नियमित नाखून काटना, खाना खाने वाले बर्तनों की साफ-सफाई आदि की जानकारी आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए।
- विद्यार्थियों को पोषाहार का वितरण करने से पूर्व पोषाहार का नमूना विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में प्रतिदिन रखवाया जाना चाहिए।
- मिड-डे मील के कारण विद्यार्थियों के बीमार होने या अन्य प्रकार की अवांछनीय स्थिति से बचने के लिए विद्यालय में एम्बुलेन्स, चिकित्सालय, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अग्निशमन आदि की स्पष्ट जानकारी अंकित की जानी चाहिए, ताकि आवश्यकता होने पर तुरन्त सम्पर्क किया जा सके।

आगे की राह

मिड-डे मील योजना में कहा गया है कि देश में स्कूल जाने वाले हर बच्चे का अधिकार है कि उसे स्कूल की तरफ से भोजन दिया जाये। इस अधिकार को आहार-सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार के व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ा गया है। मिड-डे मील योजना को चलते हुए दो दशक से ज्यादा का समय हो गया लेकिन इस योजना से किन लक्ष्यों को साधा जाना है, इसके बारे में स्पष्टता की आवश्यकता है। साथ ही सरकार को योजना के कार्यान्वयन को लेकर अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के अलावा परोसे गए भोजन की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।

■

3. न्यायेत्तर हत्याएँ : विधि के सम्यक् प्रक्रिया का उल्लंघन

चर्चा का कारण

हैदराबाद में पशु चिकित्सक से बलात्कार-हत्या की घटना और इसके चारों आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के मद्देनजर प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि न्याय कभी फौरी तौर पर अचानक नहीं हो सकता और जब यह प्रतिशोध बन जाता है तब यह अपनी विशेषता खो देता है। साथ ही, सीजेआई ने स्वीकार किया कि देश में हुई हालिया घटनाओं ने नयी ताकत के साथ एक पुरानी बहस फिर से छेड़ दी है, जहाँ इसमें कोई संदेह नहीं है कि फौजदारी न्याय प्रणाली को आपराधिक मामलों के निपटारे में लगने वाले समय के प्रति अपनी स्थिति एवं रवैये पर अवश्य ही पुनर्विचार करना चाहिए।

परिचय

हैदराबाद में पुलिस मुठभेड़ में आरोपियों के मारे जाने की घटना की समाज के कुछ हिस्सों में प्रशंसा की गई, जबकि अन्य ने ''न्यायेत्तर कार्रवाई'' को लेकर चिंता जताई। हैदराबाद में चारों आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर को वैश्विक मीडिया ने भी खासी तवज्जो दी। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक अधिकतर जगह मीडिया ने इस कार्रवाई को मिले भारी जन समर्थन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही गैर-न्यायिक मृत्युदंड की बढ़ती घटनाओं पर भी ध्यान खींचने का प्रयास किया। विदेशी मीडिया में आगे कहा गया है कि संदिग्ध अपराधियों की पुलिस द्वारा हत्या भारत में इतनी व्यापक है कि उसकी अपनी परिभाषा है। कुछ घटनाओं को 'एनकाउंटर' के नाम से जाना जाता है और उसमें शामिल अधिकारी आमतौर पर इसे आत्मरक्षा (Self Defence) में उठाये कदम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अमूमन पुलिस अधिकारियों को आम माफी का लाभ मिलता है और इन हत्याओं में पूरी जाँच प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। स्थानीय व विदेशी मीडिया के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों का नायक की भांति सम्मान किया गया और हैदराबाद की सड़कों पर घूमते समय जनता ने उनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार की। यह सब उस काम के लिए किया गया, जिसे जनता ने एक जघन्य अपराध के त्वरित प्रतिशोध के तौर पर देखा। ब्रिटिश सरकारी प्रसारणकर्ता ने कहा, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और यौन हिंसा दिसंबर 2012 से ही भारत में चर्चा के केंद्र में है, जब राजधानी दिल्ली में चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म के बाद क्रूर तरीके से चोट पहुंचाने के चलते पीड़ित युवती की मौत हो गई थी। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इस बात के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध खत्म हो गए हैं। द गार्जियन ने कहा, दुष्कर्म और हत्या के मामले ने पूरे भारत में सार्वजनिक कटुता की लहर पैदा कर दी। इसके विरोध में हजारों लोग पूरे सप्ताह सड़कों पर प्रदर्शनों में उतरे और राजनेताओं व जनता से आरोपियों को खुलेआम मारने की अपील की। मीडिया में कहा गया कि संदिग्ध आरोपियों की हत्या को लेकर भारत में बेहद विभाजनकारी स्थिति है। कुछ ने इसे 'त्वरित न्याय' कहकर प्रशंसित किया है, जबकि अन्य लोगों ने पुलिस द्वारा कानून हाथ में लेने की निंदा की है।

भारतीय कानून में 'एनकाउंटर'

भारतीय संविधान के अंतर्गत 'एनकाउंटर' शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। पुलिस की भाषा में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सुरक्षाबल/पुलिस और चरमपंथी/अपराधियों के बीच हुई भिड़ंत में चरमपंथियों या आरोपियों की मौत हो जाती है। भारतीय कानून में वैसे कहीं भी एनकाउंटर को वैध ठहराने का प्रावधान नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे नियम-कानून जरूर हैं जो पुलिस को यह ताकत देते हैं कि वो आरोपियों से खुद के बचाव के

लिए आत्म रक्षा कर सकती है और उस दौरान दोषियों के मौत को सही ठहराया जा सकता है। आम तौर पर लगभग सभी तरह के एनकाउंटर में पुलिस आत्मरक्षा के दौरान हुई कार्रवाई का जिक्र ही करती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 46 कहती है कि अगर कोई अपराधी खुद को गिरफ्तार होने से बचाने की कोशिश करता है या पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर हमला करता है तो इन हालात में पुलिस उस अपराधी पर जवाबी हमला कर सकती है।

आमतौर पर जब एनकाउंटर की स्थिति बनती है तो पुलिस अपराधी पर सीधे हथियार का प्रयोग करने से पहले उसे चेतावनी देती है। इसके बाद हवाई फायर करती है। अगर इस पर भी अपराधी नहीं रूकता है और भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर हमला करता है तो उसके पैर पर गोली मारी जाती है, फिर भी स्थिति नियंत्रण में न आए तो पुलिस शरीर के अन्य हिस्सों पर फायर करती है। पुलिसकर्मियों को हर एनकाउंटर के बाद इस्तेमाल किए गए हथियार व गोलियों का हिसाब देना होता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अनुचित एनकाउंटर में दोषी पाए गए पुलिसकर्मी को निलंबित करके उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो पीड़ित पक्ष सत्र न्यायाधीश से इसकी शिकायत कर सकता है।

कानून का शासन

कानून का शासन कानून की अवधारणा पर आधारित है। कानून सम्प्रभु का आदेश होता है जो सभी को मान्य होता है, क्योंकि वह सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित होता है। इसी कारण सभी लोग कानून की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस राजनीतिक समाज में कानून को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है वहाँ पर कानून का शासन होता है। कानून के शासन का अर्थ है- किसी देश में कानून ही सर्वोच्च है और कानून के ऊपर कोई नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार की समस्त शक्तियां कानून द्वारा सीमित हैं और जनता पर कानून का शासन है न कि किसी स्वेच्छापूर्ण इच्छा का। डॉयसी का कहना है- कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी पदवी या स्थिति कितनी भी बड़ी या महान हो इस देश के शासन के सामान्य कानून को मानने के लिए बाध्य है तथा देश के सामान्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की परिधि में आता है। जो कानून एक के लिए है वह सबके लिए है। डॉयसी का कहना है कि सरकारी कर्मचारी या अन्य शासकीय अधिकार और स्वयं राजा भी कानून के अधीन है। उस पर आम नागरिकों की तरह मुकद्मा चलाया जा सकता है।

एनकाउंटर के कुछ मामले और विवाद

यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में रही है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक 01 जनवरी 2015 से 20 मार्च 2019 के बीच देशभर में फेक एनकाउंटर से जुड़ी 211 शिकायतें मिली हैं। इनमें से सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर की शिकायतें आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई हैं। इस अवधि में कुल 57 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। यहां इस अवधि में 39 मामले दर्ज किए गए हैं। आयोग ने कहा है कि देश भर में कथित फेक एनकाउंटर के 25 मामलों में उसने विभिन्न राज्य सरकारों को पीड़ितों के परिवारों को 1.7 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश की है। आयोग ने माना है कि इन मामलों में पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन हुए थे।

सोहराबुद्दीन शेख मामला: सोहराब अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद से महाराष्ट्र जा रहा था। गुजरात पुलिस की एटीएस शाखा ने बस को बीच में रोका और दोनों को पकड़ कर ले गई। तीन दिनों के बाद शेख को अहमदाबाद के बाहर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। मीडिया में इस मामले के उठने के बाद सीबीआई ने इसकी जाँच की और कई पुलिस अफसरों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में इस बात को मान लिया था कि ये फर्जी मुठभेड़ थी।

तुलसीराम प्रजापति मामला: तुलसीराम प्रजापति सोहराबुद्दीन का सहयोगी था और पुलिस हिरासत में रहते हुए मारा गया था। प्रजापति को दिसंबर 2006 में मार दिया गया था। बाद में जांच के बाद पता चला कि यह एनकाउंटर फर्जी था, जिसे गुजरात पुलिस ने अंजाम दिया था।

लखन भैया मामला: लखन भैया को गैंगस्टर छोटा राजन का सहयोगी समझा जाता था। 11 नवंबर 2006 को मुंबई पुलिस ने बताया था कि उन्होंने एक एनकाउंटर में शातिर अपराधी लखन भैया को मार दिया है। लेकिन इसके बाद उनके भाई राम प्रसाद ने मीडिया के सामने आकर कहा कि पुलिस उनके भाई को उठा कर ले गई थी और इससे जुड़े तथ्य भी लोगों के सामने रखे। इसके बाद राम प्रसाद ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, मामले की जाँच हुई और यह एनकाउंटर फेक पाया गया।

मणिपुर में 2000 से 2012 के बीच सेना और पुलिस पर 1,528 गैर-न्यायिक हत्याओं के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। मणिपुर में वर्ष 2000 से 2012 के बीच सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा कथित रूप से की गई 1528 फर्जी मुठभेड़ और गैर-न्यायिक हत्याओं के मामले की जांच और मुआवजा मांगने संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले 2016 में दिए फैसले में फर्जी मुठभेड़ों की जांच के अलावा कहा था कि सेना जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आत्मरक्षा के लिए न्यूनतम बल का इस्तेमाल होना चाहिए।

एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन

पी.यू.सी.एल. मामले में 23 सितंबर 2014 को भारत के उस समय मुख्य न्यायधीश आर एम लोढ़ा और जस्टिस रोहिंटन नारीमन की बेंच ने एक फैसले के दौरान एनकाउंटर का जिक्र किया।

इस बेंच ने अपने फैसले में लिखा था कि पुलिस एनकाउंटर के दौरान हुई मौत की निष्पक्ष, प्रभावी और स्वतंत्र जांच के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाना चाहिए-

- जब कभी भी पुलिस को किसी तरह की आपराधिक गतिविधि की सूचना मिले तो उसे या तो लेखबद्ध किया जाए (विशेषकर केस डायरी की शक्ल में) या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए सूचीबद्ध किया जाए।
- अगर कोई भी आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलती है, या फिर पुलिस की तरफ से किसी तरह की गोलीबारी की जानकारी मिलती है और उसमें किसी की मृत्यु की सूचना आए, तो इस पर तुरंत प्रभाव से धारा सीआरपीसी की 157 के तहत कोर्ट में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।
- इस पूरे घटनाक्रम की एक स्वतंत्र जांच सीआईडी से या दूसरे पुलिस स्टेशन के टीम से करवानी जरूरी है, जिसकी निगरानी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेंगे। यह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उस एनकाउंटर में शामिल सबसे उच्च अधिकारी से एक रैंक ऊपर होना चाहिए।
- सीआरपीसी धारा 176 के अंतर्गत पुलिस फायरिंग में हुई हर एक मौत की मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। इसकी एक रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजना भी जरूरी है।
- जब तक स्वतंत्र जाँच में किसी तरह का शक पैदा नहीं हो जाता, तब तक एनएचआरसी को जाँच में शामिल करना जरूरी नहीं है। हालांकि घटनाक्रम की पूरी जानकारी बिना देरी किए एनएचआरसी या राज्य के मानवाधिकार आयोग के पास भेजना आवश्यक है।

- कोर्ट का निर्देश है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत किसी भी तरह के एनकाउंटर में इन तमाम नियमों का पालन होना जरूरी है। विदित हो कि अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश

मार्च 1997 में तत्कालीन एनएचआरसी के अध्यक्ष जस्टिस एमएन वेंकटचलैया ने सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था, आयोग को कई जगहों से और गैर-सरकारी संगठनों से लगातार यह शिकायतें मिल रहे हैं कि पुलिस के जरिए फर्जी एनकाउंटर लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही पुलिस अभियुक्तों को तय नियमों के आधार पर दोषी साबित करने की जगह उन्हें मारने को तरजीह दे रही है। उन्होंने लिखा था, "हमारे कानून में पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को मार दे, और जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि पुलिस ने कानून के अंतर्गत किसी को मारा है तब तक वह हत्या के आरोपी माने जाएंगे।"

आयोग ने स्पष्ट किया कि सिर्फ दो ही हालात में इस तरह की मौतों को अपराध नहीं माना जा सकता। पहला, अगर आत्मरक्षा की कोशिश में दूसरे व्यक्ति की मौत हो जाए। दूसरा, सीआरपीसी की धारा 46 पुलिस को बल प्रयोग करने का अधिकार देती है। यदि गिरफ्तारी के दौरान किसी ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने की कोशिश करने में वह मारा जाता है, जिसने वो अपराध किया हो जिसके लिए उसे मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है, तो यह कार्रवाही क्षम्य है। एनएचआरसी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देशित किया है कि वह पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत के लिए तय नियमों का पालन करें। वो नियम इस प्रकार हैं-

- जब किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को किसी पुलिस एनकाउंटर की जानकारी प्राप्त हो तो वह इसे तुरंत रजिस्टर में दर्ज करे।
- जैसे ही किसी तरह के एनकाउंटर की सूचना मिले और फिर उस पर किसी तरह की शंका जाहिर की जाए तो उसकी जाँच करना जरूरी है। जाँच दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम या राज्य की सीआईडी के जरिए होनी चाहिए।
- अगर जांच में पुलिस अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

विश्लेषण

पुलिस की जांच प्रक्रिया और देश की न्याय प्रणाली इतनी जटिल, लंबी और थका देने वाली होती जा रही है कि आम जनता का उस पर से विश्वास लगभग डगमगाने लगा है। अधिकांश लोगों को मानना है कि भारत में कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि अपराधियों को वर्षों-वर्ष तक सजा नहीं मिल पाती है। हैदराबाद में चारों आरोपियों का एनकाउंटर में मारा जाना उन लोगों के लिए हर्षोउल्लास का विषय है जो समझते हैं कि न्याय त्वरित होना चाहिए, किंतु मानवाधिकार कार्यकताओं व कानून के अन्य जानकारों का मानना है कि न्याय के लिए जल्दीबाजी करने के घातक परिणाम भी हो सकते हैं।

हालांकि कई ऐसे मामले प्रकाश में आए जहाँ जाँच के बाद पाया गया कि कुछ एनकाउंटर फर्जी थे, जबकि कुछ एनकाउंटर आत्मरक्षा में किए गए। यहाँ एक तर्क यह भी है कि यह आवश्यक नहीं है कि जिन्हे पुलिस एनकाउंटर में मारती है, वह वास्तव में अपराधी ही हों। भारत जैसे देश में जहाँ पुलिस का जातिवादी होना और उसका राजनीतिकरण होना एक आम बात हो गई है, वहाँ इस बात पर संदेह रहता है कि पुलिस जिन्हे अपराधी बता रही है या उनसे स्वीकारोक्ति करवा रही है, वास्तव में अपराधी हैं या नहीं। अपराध करने वाला संभवत: किसी राजनेता या अफसर का संबंधी या जान पहचान का हो सकता है और ऐसे हाई प्रोफाइल आरोपी को बचाने के लिए पुलिस मनगढ़ंगत कहानी बना कर कुछ निरीह लोगों को पकड़कर उनसे डंडे के जोर पर स्वीकारोक्ति करवा सकती है। फिर इन्हीं लोगों को इसलिए एनकाउंटर में मार सकती है ताकि कोई सबूत या गवाह न बचे। कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि बिना पूरी जाँच किए किसी को इतने जघन्य अपराध का अपराधी घोषित करना नैसर्गिक कानून के विरूद्ध है। हो सकता है कि मारे गए चारों आरोपितों के उचित अन्वेषण और विचारण के दौरान इस बलात्कार और हत्या में अन्य लोगों के शामिल होने का पता भी मिलता और तब अपराध की सजा उन सभी को मिलती, जिसने इस अपराध को अंजाम दिया। इसलिए किसी अपराधी के खिलाफ मुकदमा चलाने की वैधता लगभग सभी आधुनिक राष्ट्र मानते हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सन् 2006 में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह मामले में पुलिस सुधार को लागू करने के लिए राज्यों और केन्द्र को निर्देश दिए थे। उसके बावजूद अभी तक किसी भी राज्य ने पुलिस सुधार लागू करने के लिए ठोस पहल नहीं की है। पुलिस के पास अपराधियों को पकड़ने का अधिकार है लेकिन दण्ड के लिए न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है।

आगे की राह

एनकाउंटर चिंता का विषय है और हर एनकाउंटर की सावधानी से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास कोई 'मानक संचालन प्रक्रिया' नहीं है इसलिए इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कार्य करने की आवश्यकता है। जीवन का अधिकार और कानून के समक्ष समानता मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान ने दिए हैं। भले ही कोई आरोपी क्यों न हो, हर परिस्थिति में मानव जीवन को अविधिक अथवा अवैध रूप से की गयी क्षति समाज को गलत संदेश देगी। फर्जी एनकाउंटर पूरी राजनीतिक एवं पुलिस प्रणाली की अयोग्यता एवं असफलता को उजागर करती है। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए ऐसे मामलों की ईमानदारी से जाँच कराई जानी चाहिए। ऐसे कानूनी व नीतिगत सुधार किए जाने चाहिए, जिनसे ऐसे मामलों की जाँच हो सके। इस वक्त की जरूरत है कि हर देश अपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकारों का दायरा बढ़ाएं। इसके अलावा एक संस्था के तौर पर न्यायपालिका को अवश्य ही न्याय तक सभी लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसके लिए मौजूदा ढांचे को मजबूत किया जाए तथा विवादों का वहनीय, त्वरित एवं संतोषजनक समाधान के नये तरीके तलाशने चाहिए। इसके साथ-साथ 'हमें बदलावों और न्यायपालिका के बारे में पूर्वधारणा से भी जरूर अवगत रहना चाहिए। हमें न सिर्फ मुकदमे में तेजी लाने के लिए नये-नये तरीके तलाशने होंगे, बल्कि जल्द से जल्द न्याय भी सुनिश्चित करना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।
- लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश।

■

4. सैन्यकर्मियों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाएँ : हल तलाशना जरूरी

चर्चा का कारण

हाल ही में छत्तीसगढ में आइटीबीपी के एक जवान ने अपने छः साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी और स्वयं को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी अपने सथियों पर जवानों द्वारा गोलियां चलाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह तनाव को माना जा रहा है।

वर्तमान स्थिति

सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2011 से 2018 के बीच भारतीय सशस्त्र बलों (थल सेना, वायु सेना, नौसेना) के 892 कर्मियों ने आत्महत्या कर ली है। संसद में पूछे गए सवालों से यह आंकड़ा सामने आया है। आत्महत्या करने वालों में सेना के जवान ज्यादा हैं। पिछले तीन साल की बात करें तो साल 2016 में सैन्य कर्मियों के आत्महत्या के 129 मामले, 2017 में 101 मामले और 2018 में 104 मामले सामने आए। साल 2016 में सेना में आत्महत्या के 104 मामले, नौसेना में 6 मामले और वायु सेना में 19 मामले सामने आए। इसी तरह 2017 में थल सेना में आत्महत्या के 75, नौसेना में 5 और वायु सेना में 21 मामले सामने आए। साल 2018 में थल सेना में आत्महत्या के 80, नौसेना में 8 और वायुसेना में 16 मामले सामने आए।

ऐसा नहीं है कि तनाव और अन्य वजहों से आत्महत्या करने का यह मामला सिर्फ सैन्य बलों में हो। अर्द्ध सैनिक बलों में भी आत्महत्या की घटनाएँ सामने आती रही हैं। साल 2012 से 2015 के बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 149 जवानों ने आत्महत्या कर ली। इसी तरह, सीआईएसएफ (CISF) में इस दौरान 56 कर्मियों और आईटीबीपी एवं एसएसबी के 25 जवानों ने आत्महत्या कर ली।

इसी दौरान असम राइफल्स के 30 जवानों ने आत्महत्या की। आंकड़े दिखाते हैं कि अधिकतर जवान गजट अधिकारी, जूनियर कमांडिंग अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी नहीं थे बल्कि अन्य रैंकों के थे। आंकड़ों के अनुसार, आत्महत्या के सबसे अधिक मामले तमिलनाडु और महाराष्ट्र से सामने आए हैं।

आत्महत्या के प्रमुख कारण

मनोचिकित्सक जवानों की आत्महत्या के पीछे मुख्य रूप से तीन वजहों को इंगित करते हैं। इनमें घर-परिवार से दूरी, उपेक्षा व तैनाती क्षेत्रों के कठिन हालात शामिल हैं। मनोचिकित्सकों के अनुसार सैनिकों द्वारा अपने साथियों की हत्या करना एक असामान्य घटना है, अर्थात कोई भी ऐसा सामान्य स्थिति में नहीं कर सकता। कुछ ऐसे प्रमुख कारक हैं जिससे संभवतः ज्ञात होता है कि आत्महत्या के लिए ये कारक जिम्मेदार हैं-

अनुशासन का कठोरता से पालनः नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों की शिकायत थी कि अनुशासन के नाम पर उनकी जुबान पर ताला लगा दिया जाता है। जवानों के अनुसार कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो समस्या बताने पर मजाक उड़ाते हैं या डांट कर भगा देते हैं। जवान कहते हैं कि फोर्स की पहचान अनुशासन है, इस वजह से अनुशासित रहना चाहिए, लेकिन उसके नाम पर आवाज नहीं दबानी चाहिए। कई अधिकारी ऐसे हैं जो बड़े अफसरों से बात करने तक नहीं देते।

कथनी और करनी में अंतरः यह बात सही है कि सैन्य ताकत के लिहाज से हम दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक हैं, लेकिन सीमा पर तैनात जवान को चिंता मुक्त रखा जाना जरूरी है। सरकार सेनाओं को लेकर जो घोषणा करती है यदि समय से सरकार उसे ही पूरा कर दे तो काफी हद तक सैनिक कल्याण की दिशा में काम हो सकता है।

पारिवारिक तनावः पहले जवानों के घर-परिवार की चिंता सैनिक कल्याण बोर्ड और स्थानीय पंचायतें किया करती थीं। अब इन सबने यह काम छोड़ सा दिया है। परिवार की चिंता करते-करते अवसाद में आए जवान कभी-कभी अपने अफसरों व साथियों पर भी हमला कर बैठते हैं। जवानों की खुदकुशी भी इन्हीं कारणों से होती है। यह चिंता की बात है कि सेवा में रहते हुए सैन्य अफसरों व जवानों में खुदकुशी की घटनाएं बढ़ रही हैं। मोहभंग के हालात में सेना को बीच में ही अलविदा करने वालों की तादाद भी कम नहीं।

आज सैनिक पारिवारिक और सामाजिक मोर्चे के साथ-साथ सीमा पर तैनाती के दौरान भी खुद को अकेला महसूस करता है। लम्बी अवधि तक छुट्टियां नहीं मिलने पर स्वयं व परिवार से जुड़े मुद्दों को हल करने का मौका भी नहीं मिल पाता है। इन सबका नतीजा यह होता है कि जवानों का अधिकतर समय अनावश्यक रूप से विवादों के निपटारे की कोशिश में ही खप जाता है और वे अवसादग्रस्त हो जाते हैं।

सैनिकों में तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण संपत्ति विवाद भी है। चूंकि सैनिक एक लम्बे समय तक घर से दूर रहता है अतः पारिवारिक संपत्ति को लेकर झगड़ा बढ़ जाता है जिसका असर सैनिकों पर पड़ता है। पारिवारिक कलह सैनिकों की आत्महत्या का एक बड़ा कारण है। रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि कई बाधाओं के कारण सैनिकों को अपने पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने का मौका नहीं मिल पाता है जिससे कि उनके अंदर नकारात्मकता बढ़ जाती है और वे आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं।

राजनीतिक बयानबाजीः राजनेताओं में ऐसा सोच रखने वाले भी हैं जो यह मानते हैं कि सैनिक को वेतन तो इसी बात का दिया जाता है कि वे देश के लिए अपनी जान दें। राजनेताओं की ऐसी सोच ही सैनिकों को अवसाद की ओर ले जाने को काफी है।

सैनिकों और अधिकारियों के बीच समन्वय का अभावः सैनिकों और अधिकारियों के बीच सही समन्वय का न होना भी एक कारण है। इसके अलावा अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सैनिकों का उत्पीड़न भी उनकी आत्महत्या का एक बड़ा कारण है। कई बार बड़े अधिकारी सामान्य सैनिकों से इस तरह के कार्य के लिए दबाव डालते हैं जो उनके सम्मान के खिलाफ रहता है।

सैनिकों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं से निपटने या फिर उनके बीच उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए अपीलीय तंत्र की कमी है जिससे कि उनके मामूली विवादों का त्वरित समाधान नहीं हो पाता और वे हत्या व आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। सैनिकों में अपने ड्यूटी के स्थान को लेकर भी अनिश्चितता रहती है अर्थात् उन्हें कभी भी कहीं भी भेजा जा सकता है। इससे उनके अन्दर अलगाव व अवसाद उत्पन्न होता है और कभी-कभी इससे वे परेशान होकर कई तरह के गलत कदमों को अंजाम देते हैं।

आतंकवाद विरोधी अभियानों में समस्याएंः जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में आतंकवाद विरोधी अभियानों में लंबे समय तक तैनाती की वजह से भी सैनिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर होता है। इन सब कारणों में कम वेतन, छुट्टी का खंडन, बुनियादी सुविधाओं की कमी, अप्रभावी नेतृत्व और कभी-कभी अधिकारियों के हाथों निरादर का भाव मिलना भी शामिल है।

सरकारी प्रयास

वन रैंक वन पेंशन योजना: वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करना सभी सैनिकों की सेवा और त्याग के प्रति एक बड़ा प्रयास था। इससे यह व्यवस्था सुनिश्चित हो गई कि सैनिकों व उनके आश्रितों को न केवल उनके सेवाकाल के दौरान आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि सेवाकाल समाप्त हो जाने के बाद भी उनकी स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी। इससे अलग-अलग समय पर सेवामुक्त हुए दो सैनिकों की पेंशन का अंतर समाप्त हो गया। यह असमानता सेना के सभी पदों पर थी। 2006 से पहले तक रिटायर हुए सैनिक को अपने से जूनियर पद पर तैनात सैनिक से भी कम पेंशन प्राप्त हो रही थी। इस भारी अंतर के परिणामस्वरूप सैनिकों के मन में भारी असंतोष था।

'संदेश टू सोल्जर्स' से जुड़ा पूरा देश: देश की रक्षा में लगे सैनिकों का सम्मान तो प्रत्येक देशवासी के मन में हमेशा रहता है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे उनकी अभिव्यक्ति से जोड़कर सैनिकों के लिए एक 'सरप्राइज' बना दिया। 'मन की बात' कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश को आह्वान किया कि सभी देशवासी सैनिकों को अपनी भावनाओं से अवगत कराने हेतु अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। इस आह्वान का प्रभाव इतना व्यापक रहा कि किसी ने सैनिकों के लिए भावभीनी पत्र लिखा और किसी ने कविताएं। किसी के बनाए चित्र दिल छूने वाले थे तो किसी के एसएमएस। सोशल मीडिया पर भी एक अभियान सा चल पड़ा, जिससे सैनिकों में आत्मगौरव का एहसास हुआ।

भोजन से लेकर हथियार तक सुव्यवस्था: सरकार ने मौजूदा स्थिति की संवेदनशीलता को समझते हुए तुरंत नए हथियारों की खरीद के आदेश जारी किए, जिनमें 1 लाख 85 हजार रायफल्स और 10 हजार बुलेट प्रूफ जैकेट शामिल थीं। इनमें भारी संख्या में हेलमेट की खरीद को भी रखा गया। इन नए हथियारों की विशेषता यह भी है कि ये नए हथियार पुराने हथियारों की तरह भारी भरकम न होकर, अत्याधुनिक है। सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी और अधिक पोषण को ध्यान में रखकर की गई।

कश्मीर में तैनात सैनिकों के लिए विशेष व्यवस्था: कश्मीर जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सैनिकों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई। हमलावरों से सैनिकों की सुरक्षा हेतु यह व्यवस्था की गई कि सैनिकों की मूवमेंट केवल बख्तरबंद गाड़ियों द्वारा ही हो, जिसमें आगे की ओर मेटल प्लेट लगी हो। सैनिकों के काफिले के आगे माइन प्रोटेक्शन व्हीकल रखने पर भी विचार किया गया। काफिलों की व्यवस्था का दायित्व सेना को सौंपा गया। सेना की बटालियन का समय बचाने के लिए तथा उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उच्च श्रेणी के विमान मुहैया कराए गए। विकलांग सैनिकों के पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी की गई।

शहीदों के लिए स्मारक: वर्ष 1947 में देश के विभाजन के बाद से हमारी सेना ने छह युद्धों का सामना किया, जिनमें हजारों की संख्या में हमारे सैनिक शहीद हुए। इन बलिदानों के सम्मान में मोदी सरकार ने हाल ही में देश की राजधानी में एक ऐसे स्मारक के निर्माण का निर्णय लिया, जिस पर लगभग 22 हजार 6 सौ शहीदों के नाम उकेरे गये हैं। अनुमानित रूप से 500 करोड़ की लागत वाली इस योजना के अंतर्गत एक स्मारक के साथ-साथ एक संग्रहालय भी बनाया गया है। जहां स्मारक पर सभी छह युद्धों के शहीदों का नाम उत्कीर्ण किया गया, वहीं स्मारक में सेना के गौरवशाली पलों की धरोहरों को दर्शाया गया है। शहीदों के प्रति मोदी सरकार का यह प्रयास उनके त्याग का सम्मान है।

राष्ट्रीय रक्षा कोष के अंतर्गत आने वाली स्कीम: प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बल और अर्द्ध-सैनिक बलों के मृत व्यक्तियों की विधवाओं और आश्रितों के लिए तकनीकी और स्नातकोत्तर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति स्कीम अनुमोदित की है। यह स्कीम सशस्त्र बलों के संबंध में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

संसद में इस बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने बताया था कि सशस्त्र बलों में कामकाज के स्वस्थ माहौल को बनाने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कपड़ों, खाने-पीने, परिवार के साथ रहने, यात्रा सुविधा, स्कूल, मनोरंजन, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट आदि के मामले में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। यही नहीं, सेना के उत्तरी और पूर्वी कमांड में जवानों के तनाव को कम करने के लिए 'मिलाप' और 'सहयोग' जैसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं।

जवानों की प्रोफेशनल तरीके से काउंसलिंग करने के लिए सेना और वायु सेना ने एक हेल्पलाइन शुरू की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 'मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं' प्रदान करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की नियुक्ति के अलावा बड़ी संख्या में अधिकारियों को सलाहकारों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही अन्य उपाय भी किए गए हैं जिनमें जीवित और कामकाजी स्थितियों में सुधार, अतिरिक्त पारिवारिक आवास की व्यवस्था और उदारीकृत छुट्टी नीति के साथ-साथ शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना और सेना के हर इकाई में नियम के मुताबिक योग और ध्यान के संचालन शामिल हैं।

आगे की राह

सरकार को सैन्यकर्मियों में बढ़ रही आत्महत्या की इस प्रवृत्ति की गंभीरता को अति संवेदनशील होकर समझने की जरूरत है। सरकार और खासतौर पर केन्द्रीय रक्षा मंत्री को इस बात का तत्काल आकलन करना होगा कि आखिर क्या वजह है कि सेना द्वारा उठाए जा रहे योग, ध्यान, मानसिक विचार-विमर्श आदि तमाम कदमों के बाद भी सैन्यकर्मी आत्महत्या जैसा कदम उठाने की ओर उन्मुख हो रहे हैं। समाज को भी समझना होगा कि सैनिक हमारे लिए सीमा की हिफाजत के लिए तैनात हैं। ऐसे में उनके घर-परिवार के हर मामले में मदद, सहयोग तथा सम्मान देकर उन्हें मानसिक रूप से तनावमुक्त रखें। आज इसी बात की जरूरत है।

सरकार को इस चिंताजनक स्थिति को देखते हुए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक समिति का गठन करना होगा जिससे आत्महत्या के ठोस कारणों का पता चल सके और उसपर तुरंत कार्यवाही हो सके। चूंकि देश की सुरक्षा का जिम्मा सैनिकों के ऊपर होता है, इसलिए सरकार को सैनिकों की शिकायतों को चाहे वह खाने, पीने, रहने, साजो-सामान या फिर सम्मान की बात हो उन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए जिससे कि सैनिकों के अंदर क्षोभ की भावना उत्पन्न न हो।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन-संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।

■

5. भारत की विदेश नीति का विकासक्रमः एक मूल्यांकन

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 'बियॉण्ड द देल्ही डॉग्मा : इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड' (Beyond The Delhi Dogma : Indian Foreign Policy in a Changing World) के विषय पर चौथे रामनाथ गोयनका स्मारक समारोह में व्याख्यान देते हुए कहा कि 'अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का ढाँचा बदलाव के दौर से गुजर रहा है।' इस संदर्भ में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रवाद, चीन के उदय, ब्रेक्जिट के घटनाक्रम और विश्व अर्थव्यवस्था के संतुलन की कवायद को बदलावों के नाटकीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए।

परिचय

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब भारत, वैश्विक मंच पर स्वयं को एक सशक्त और जिम्मेवार राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, तो भारतीय विदेश नीति को परंपरावादी नीतियों से परे देखने की जरूरत है और तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था में चुस्त दुरूस्त होने की आवश्यकता है।

विदेश मंत्री ने कहा कि भारत बदलाव के मुहाने पर है। वास्तविक अर्थों में, उपर्युक्त घटनाक्रम (अमेरिकी राष्ट्रवाद, चीन के उदय, बेक्जिट के घटनाक्रम और विश्व अर्थव्यवस्था के संतुलन की कवायद) इन दृष्टांतों की तुलना में अत्यधिक व्यापक है। हम रूस, ईरान और तुर्की जैसे पुराने साम्राज्यों की पुनः वापसी एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर देख रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में मध्यपूर्व में तनाव अपने चरम पर है। एशिया महादेश में आसियान (ASEAN) के महत्त्व में बदलाव आया है।

अफ्रीका महाद्वीप में जनसांख्यिकीय और आर्थिक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है, जो इस महाद्वीप की एक प्रमुख विशेषता के रूप में सामने आयी है। दक्षिण अमेरिकी देशों में पुनः वैचारिक मतभेद उभकर सामने आ रहे हैं। परंतु भारत भौगोलिक और रूढ़िवादी राजनीति से परे सोच रहा है। वर्तमान संदर्भ में, प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और व्यापार नई प्रतिस्पर्द्धा के केन्द्र में है। बहुपक्षीयता के कमजोर होने से वैश्विक उभयनिष्ठ (Commons) भी अधिक विवाद के केन्द्र में है। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन भी एक कारक है, जो आर्कटिक मार्ग के खुलने से अन्य देशों के मध्य भू-राजनीति (Geo-Politics) में योगदान देता है।

इतिहास गवाह है कि भारत ने जब भी समकालीन वैश्विक राजनीति का आकलन किया है, तो अपने लाभ को ध्यान में रखकर कदम उठाये हैं और बिना संकोच के अपने अतीत की दीवार को तोड़ा है। 1971 का बांग्लादेश युद्ध, 1992 का आर्थिक और राजनीतिक बदलाव, 1998 का परमाणु परीक्षण और 2005 के भारत-अमेरिका परमाणु करार का उदाहरण सामने है। यह सच है कि अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी भारत ने अपने पक्ष में निर्णयात्मक बदलाव करने में सफलता पायी है।

विदेश नीति में बदलाव की जरूरत

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि जिस देश की महत्वाकांक्षा दुनिया में एक प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र बनने की हो, वह अपनी अनिर्धारित सीमाओं के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। साथ ही दुनिया के बदलते हालात में भारत को भी अपनी नीतियों को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है। कई मायनों में जयशंकर का यह भाषण एक केंद्रीय दस्तावेज बन गया है, जिस पर आने वाले समय में भारत की विदेश नीति को आँका जाएगा। भारतीय विदेश नीति के विभिन्न चरणों को लेकर उनकी संकल्पना और नीति निर्धारकों की आलोचना राजनीति के गलियारों को प्रतिध्वनित करती रहेंगी। यह भारतीय विदेश नीति की अनुकूलता के बारे में दुनिया को बताने वाले कूटनीतिक समुदाय और भारतीय हितों की तलाश के लिए एक गंभीर सुधार की तरह है। गौरतलब है कि सत्तर सालों के बाद भी भारत की विदेश नीति एक मिलीजुली तस्वीर पेश करती है, वह इस तथ्य को इंगित करते हैं कि विदेश नीति की अनुकूलता को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि विदेश नीति की पूर्व में ऐसी आलोचना नहीं की गई, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार यह भीतर से हुई है और ऐसे व्यक्ति ने की है जो खुद कई दशकों तक भारतीय विदेश नीति बनाने वाले प्रतिष्ठान का हिस्सा रहे हैं और अब स्वयं विदेश मंत्री हैं।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में एस. जयशंकर के कूटनीतिक आकलन का विदेश नीति पर असर पहले से ही दिख रहा है। लेकिन जब विदेश मंत्री भारतीय कूटनीति की चुनौतियों को निर्भीकता से पेश करते हैं तो उनके खुद के तर्कों से ऐसा लगता है कि इनके पूरी तरह अनुपालन में कहीं न कहीं विरासत में मिली रुढ़िवादिता (परंपरागत नीति को मानते चले आने का सिद्धांत) आड़े आती है। हालाँकि एक वास्तविक नीति की जरूरत के बारे में जयशंकर के आकलन के बाद यह हुआ कि अब हम विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों में शामिल हैं, ताकि अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सके। यह सही है कि वैश्विक स्तर पर अत्यधिक अस्थिरता के इस दौर में सभी देश कूटनीतिक संकीर्णता में लगे हैं। यूरोपियन यूनियन तक एक भू-राजनीति शक्ति के तौर पर उभरना चाहता है और मुद्दा आधारित गठबंधनों का इच्छुक है। यह बहुत कुछ भारतीय विदेश नीति की मुद्दा आधारित कूटनीति की ही तरह है।

विदेश मंत्री के अनुसार भारत की विदेश नीति में बदलाव आता रहेगा और इस वजह से नहीं आएगा कि वैश्विक वातावरण बदल रहा है, बल्कि इसलिए आएगा कि भारत बदल रहा है। यह बदलता भारत ही हमारे नीति निर्धारकों को अपने सिद्धांतों को बदलने पर मजबूर करेगा। भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताओं और इसकी पूर्व की सफलताओं और असफलताओं पर एक स्वस्थ व ईमानदार बहस की लंबे समय से जरूरत थी।

भारत की कूटनीति में बदलाव

आज के युग में आर्थिक कूटनीति एक बार फिर से तमाम देशों के हितों के संरक्षण के लिए अग्रणी भूमिका में दिख रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कूटनीति में बड़ी तेजी से सकारात्मक बदलाव आया है। गौरतलब है कि किसी भी कूटनीति के प्रभावी होने के लिए उसमें समय के साथ-साथ बदलाव होते रहना चाहिए, ताकि वो नई चुनौतियों और दबावों का सामना करते हुए, देश की जरूरतों को, उसके लक्ष्यों को हासिल कर सकें। लेकिन, हाल के कुछ महीनों में भारत की कूटनीति में एक नई धार देखने को मिली है। भारत आज उन लोगों के साथ भी संवाद करने के लिए तत्पर दिख रहा है, जो भारत के हितों को नियमित रूप से चोट पहुँचाते रहे हैं। ये तथ्य खास तौर से तब से स्पष्टतः परिलक्षित हो रहा है, जब से भारत ने जम्मू और कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला किया। भारत के इस फैसले की वजह से जम्मू-कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा खत्म हो गया और लंबे समय से चली आ रही यथास्थिति भी बुनियादी तौर पर खत्म हो गई साथ ही भारत के इस फैसले की चर्चा पूरी दुनिया में भी हो रही है।

दुनिया के ज्यादातर देशों ने ये माना है कि जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में बदलाव, भारत का अंदरूनी मामला है लेकिन कई देशों ने खुलकर इस मामले में पाकिस्तान का साथ भी दिया है। सितंबर, 2019 में हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन ने जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में बदलाव करने और अनुच्छेद 370 हटाने के लिए भारत की आलोचना की। तुर्की के राष्ट्रपति के इस भाषण का भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत सख्त लहजे में जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि, 'तुर्की की सरकार को चाहिए कि वो हालात की सही जानकारी और समझ हासिल करे। उसके बाद ही तुर्की की सरकार जम्मू-कश्मीर के बारे में आगे कोई और बयान दे।' विदेश मंत्रालय ने ये बात भी जोर देकर कहा कि, जम्मू-कश्मीर का मसला पूरी तरह से भारत का अंदरूनी मामला है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेने गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तुर्की के विरोधी राष्ट्रों के नेताओं से मुलाकात की। इनमें यूनान, साइप्रस और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र प्रमुख शामिल थे। इन देशों के नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के जरिए, भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन को एक सख्त संदेश दिया।

साथ ही भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित तुर्की यात्रा को रद्द करने का भी फैसला किया। इसी के साथ-साथ भारत ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, तुर्की की कंपनी अनादोलु शिपयार्ड को भारत में रक्षा क्षेत्र से जुड़े कारोबार करने पर भी रोक लगा दी। भारत की कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के लिए लड़ाकू जहाजों के सहयोगी जहाज बनाने के ठेके में अनादोलु शिपयार्ड को अपना साझीदार बनाया था। ये अनुबंध दो अरब डॉलर का है लेकिन, तुर्की और पाकिस्तान के नजदीकी रिश्तों को देखते हुए भारत के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो तुर्की को ये स्पष्ट संदेश दे कि, वो ऐसे अहम प्रोजेक्ट में तुर्की की कंपनी के साथ सहयोग नहीं कर सकता है। इसके साथ-साथ भारत ने सीरिया में तुर्की के सैन्य अभियानों की कड़ी आलोचना की, जो तुर्की के खिलाफ भारत के सख्त रवैये का साफ संकेत था। भारत ने इस मामले पर अपने बयान में कहा कि सीरिया में तुर्की का एकतरफा सैन्य अभियान क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरनाक है। इसकी वजह से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई भी कमजोर होगी। भारत ने तुर्की से माँग की कि वो सीरिया के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करे और अपने उकसाऊ अभियान पर रोक लगाए।

हालाँकि जम्मू-कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का समर्थन मलेशिया ने भी किया था। भारत ने मलेशिया को भी सख्त जवाब दिया। हालाँकि तुर्की के मुकाबले, मलेशिया के प्रति भारत ने थोड़ी नरमी दिखाई। मलेशिया से भारत की नाराजगी की वजह वहाँ के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद का एक ट्वीट था, जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान किया था। जम्मू-कश्मीर के अलावा, भारत और मलेशिया के बीच कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को लेकर भी मतभेद चल रहे हैं। भारत चाहता है कि मलेशिया, जाकिर नाइक का प्रत्यर्पण करके उसे सौंप दें। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र महासभा में महाथिर मोहम्मद के भड़काने वाले बयान के बाद भारत ने मलेशिया पर सीधे तौर पर तो निशाना नहीं साधा। लेकिन महाथिर मोहम्मद के बयान के बाद भारत में वेजिटेबल ऑयल की सबसे बड़ी कारोबारी संस्था ने अपने सदस्यों से कहा कि वो मलेशिया से पाम ऑयल खरीदना बंद कर दें। भारत, दुनियाभर से खाद्य तेलों का सबसे बड़ा खरीददार देश है और इस फैसले के साथ ही भारत ने ये संदेश दिया है कि वो मलेशिया के बजाय दूसरे देशों से पाम ऑयल खरीदने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। मलेशिया से पाम ऑयल की खरीद पर करीब एक महीने की रोक लगी रही। इसके बाद जाकर भारतीय कंपनियों ने मलेशिया से दोबारा पाम ऑयल खरीदना शुरू किया।

भारत ने अपने इन कदमों से उन देशों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर वो भारत के हितों को चोट पहुंचाते हैं, तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने चीन के साथ भी ऐसी नीति पर अमल किया है कि अगर चीन भारत के हितों को नुकसान पहुँचाता है, तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर कोई देश भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध रखना चाहता है, तो उसे भारत के हितों और उसकी संवेदनाओं का ध्यान खयाल रखना होगा तब ही वो दुनिया की सब से तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक यानी भारत के साथ बेहतर संबंध की उम्मीद कर सकेंगे। ये भारत के कूटनीतिक रवैये में आया बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि इससे पहले तक भारत तमाम देशों के साथ, 'रणनीतिक साझेदारी' जैसे समझौते करके ही संतुष्ट हो जाता था। ये समझौते इतनी बड़ी तादाद में किए गए कि इन समझौतों की अहमियत ही खत्म हो चुकी हैं। इनमें से ज्यादातर समझौते न तो रणनीतिक हैं और न ही इन्हें सही मायनों में साझेदारी कहा जा सकता है।

चुनौतियाँ

भारत के लिए ऐसी आक्रामक कूटनीति के रास्ते पर चलने के अपने खतरे भी हैं। अगर, ऐसे मसलों को ठीक से नहीं संभाला गया, तो विश्व स्तर पर भारत की एक जिम्मेदार और गंभीर छवि को नुकसान पहुँचने का डर है। कूटनीतिक विशेषज्ञ चीन के प्रति भारत के रवैये की तरफ भी उंगली उठाएंगे, क्योंकि चीन के साथ भारत ने कूटनीति का मध्यमार्गी रवैया अपनाया है। भारत ने चीन के साथ संवाद कायम रखते हुए कई मसलों पर अलग-अलग तरीके से अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। आखिरकार, चीन भी तो अमेरिका और भारत जैसे देशों के साथ ऐसे ही अलग-अलग मुद्दों पर बिल्कुल अलग-अलग तरीके से पेश आता है। विश्व स्तर पर किसी भी देश की कूटनीति का असर, उस देश की असल ताकत के आधार पर ही तय होता है।

आगे की राह

भारत की तीव्र गति से हो रहे आर्थिक विकास के कारण इसकी कूटनीति में नई धार आई है। पहले के मुकाबले ज्यादा आक्रामक विदेश नीति

अपनाकर भारत ने अपनी कूटनीति के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोले हैं। लेकिन, जैसे-जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, वैसे-वैसे भारत अपनी कूटनीति की मदद से अपने हितों को बढ़ाने के तरीके पर अमल कर रहा है। भारत को इस नई आर्थिक क्षमता का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करना चाहिए. खास तौर से तब, जब आज के युग में आर्थिक कूटनीति एक बार फिर से तमाम देशों के हितों के संरक्षण के लिए अग्रणी भूमिका में दिख रहा है।

आजादी के बाद 1991 तक वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का आकलन करने में हुए भूल का असर बाद की नीतियों पर पड़ा। लगभग दो दशक तक परमाणु परीक्षण पर असमंजस नाटकीय रूप से 1998 में खत्म हुआ। 26/11 की घटना का जवाब देने में हुई खामी तदुपरांत उड़ी में हुई आतंकी हमला के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयरस्ट्राइक केन्द्र सरकार की नई कूटनीतिक जीत को दर्शाता है। यह एक तथ्य है कि आजादी के सात दशक बाद भी हमारे कई सीमा विवाद अनसुलझे पड़े हैं। अपने अतीत से खुद की तुलना करें तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हम बेहतर दिखते हैं, परंतु चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया की तुलना में थोड़ी अलग तस्वीर दिखायी देती है। भारत को अपनी नीति में ज्यादा यथार्थवादी होने की जरूरत है। 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान सेना से पर्याप्त परामर्श करने में मजबूती नहीं दिखी थी। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद सृजित करने का फैसला नये भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
- विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव, भारतीय डायसपोरा।

■

6. भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

हाल ही में केन्द्र सरकार ने लद्दाख में सौर ऊर्जा के विकास के लिए एक योजना के तहत 45,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता को देखते हुए इस योजना की घोषणा की गई।

सौर ऊर्जा क्या है

सामान्य भाषा में सौर ऊर्जा से तात्पर्य सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से है। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। मौसम और जलवायु परिवर्तन में सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह धरती पर सभी प्रकार के जीवन का सहारा है। अर्थात हम कह सकते हैं, सौर ऊर्जा मानव के जीवन की एक अहम कड़ी है जिसके बिना जीवन की संकल्पना नहीं की जा सकती है।

सौर ऊर्जा को ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है क्योंकि यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन के खत्म होने और उनकी बढ़ती लागत ने पूरी दुनिया को अक्षय ऊर्जा के बढ़ते महत्व पर विचार करने के लिए मजबूर किया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यह प्रदूषण मुक्त ऊर्जा हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है और इसकी प्रभावशीलता के कारण अब हम सभी नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर होते जा रहे हैं।

पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ष पहुँचने वाले सूर्य प्रकाश की मात्रा अत्यधिक है। पृथ्वी पर अनेक अनवीकरणीय पदार्थों, जैसे- कोयले, तेल, प्राकृतिक गैस एवं अन्य खनन द्वारा प्राप्त यूरेनियम पदार्थों का एक वर्ष में जितना उपभोग होता है, उसके दोगुने से भी ज्यादा हर वर्ष सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचता हैं और व्यर्थ हो जाता हैं।

भारत की स्थिति

भारत एक उष्ण-कटिबंधीय देश है। उष्ण-कटिबंधीय देश होने के कारण हमारे यहाँ वर्ष भर सौर विकिरण प्राप्त होती है, जिसमें सूर्य प्रकाश के लगभग 3000 घंटे शामिल हैं, जो कि 5000 ट्रिलियन kWh (Kilo Watt Hour) के बराबर है। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में 4-7 kWh प्रति वर्ग मीटर के बराबर सूर्य का प्रकाश मिलता है। चूँकि भारत की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं, अत: वहाँ सौर ऊर्जा की उपयोगिता बहुत है। साथ ही विकास की भी संभावनाएँ हैं और अगर सौर ऊर्जा का उपयोग प्रारंभ होता है, तो वहाँ घरेलू कामों में कंडों एवं लकड़ियों का प्रयोग होने में भी कमी आएगी जिससे वायु प्रदूषण भी नहीं होगा।

दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद बिजली की खपत वाले तीसरे बड़े देश भारत ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा सौ गीगावॉट होगा।

उल्लेखनीय है कि स्थायी ऊर्जा के निर्माण में पुनरोपयोगी ऊर्जा या गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के उत्तरोत्तर बढ़ते महत्त्व को महसूस करते हुए भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल रहा, जिन्होंने 1973 से ही नए तथा पुनरोपयोगी ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिये अनुसन्धान और विकास कार्य आरम्भ कर दिये। नतीजा यह हुआ कि हालात तेजी से बदलन लगे। आज स्थिति यह है कि ऊर्जा निर्माण के जितने भी माध्यम हो सकते हैं, देश ने सबको अपना लिया है। भारत ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायो गैस, हाइड्रोजन, ईंधन कोशिकाएँ, परमाणु ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, आदि नवीन प्रौद्योगिकियों में अपना योगदान बढ़ा दिया है।

सौर ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

खुशी की बात यह है कि भारत के इन प्रयासों को न केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली बल्कि उसे नए साथी भी मिले, खासकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में फ्रांस के साथ समन्वित तौर पर हम दुनिया की अगुवाई करने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबन्धन (आईएसए) के दिल्ली में आयोजित स्थापना सम्मेलन में सदस्य देशों ने अपनी कुल ऊर्जा खपत में सौर ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाने की वचनबद्धता जाहिर किया है। इस अवसर पर तीन पन्नों का 'दिल्ली सौर एजेंडा' जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि आईएसए निरन्तर विकास के लिये 2030 संयुक्त राष्ट्र एजेंडे की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने 'पेरिस जलवायु समझौते' के दौरान इस गठबन्धन की शुरूआत की थी। आईएसए की ओर से यह कहा गया कि यह सौर संसाधन सम्पन्न देशों का एक गठबन्धन है, जो अपनी विशेष ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और दृष्टिकोण के माध्यम से अन्तराल की पहचानकर

उससे निपटने में सहयोग प्रदान करने के लिये मंच उपलब्ध कराएगा। आईएसए को कर्क और मकर रेखा के उष्णकटिबन्धीय क्षेत्र में आने वाले सभी 121 देशों के लिये खुला रखा गया।

यह कदम जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों से निपटने व अपने-अपने देशों में नीतिगत पहलों के समर्थन और उनके कार्यान्वयन व सभी प्रासंगिक हितधारकों की भागीदारी के जरिए एक प्रभावी समाधान के रूप में उठाया गया है। सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्युएल मैक्रों ने 2022 तक वैश्विक सौर ऊर्जा के लिये अतिरिक्त 70 करोड़ यूरो के निवेश की घोषणा की, ताकि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम और जलवायु परिवर्तन से सामना करने में मदद की जा सके। इस तरह से देखें तो विश्व के लगभग 121 देश सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

लाभ

सौर ऊर्जा से होने वाले फायदों के कारण यह और भी अधिक उचित प्रतीत होता है। इसमें से होने वाले कुछ लाभ निम्नलिखित हैं-

- सौर ऊर्जा कभी खत्म न होने वाला संसाधन है और यह अनवीकरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रतिस्थापन है।
- सौर ऊर्जा वातावरण के लिए भी लाभकारी है। जब इसे उपयोग किया जाता है, तो यह वातावरण में कार्बन-डाई-ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैस नहीं छोड़ती, जिससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता।
- सौर ऊर्जा अनेक उद्देश्यों हेतु प्रयोग की जाती है, जैसे- उष्णता के लिए, सूखाने के लिए, भोजन पकाने में और बिजली के रूप में आदि। सौर ऊर्जा का उपयोग कार में, हवाई जहाज में, बड़ी नावों में, उपग्रहों में, कैल्कुलेटर में और अन्य उपकरणों में भी किया जाता हैं।
- चूँकि सौर ऊर्जा एक अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। अतः भारत जैसे देशों में जहाँ ऊर्जा का उत्पादन महँगा पड़ता है, तो वहाँ ये संसाधन इसका बेहतरीन विकल्प है।
- सौर ऊर्जा उपकरण किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। यहाँ तक कि ये घर में भी स्थापित किया जा सकता है। यह ऊर्जा के अन्य संसाधनों की तुलना में सस्ता भी पड़ता है।

चुनौतियाँ

- रात में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का कार्य नहीं कर सकते हैं।
- साथ ही दिन में भी जब बारिश का मौसम हो या बादल हो तो सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली उत्पादन का कार्य नहीं किया जा सकता। इस कारण हम सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते।
- केवल वही क्षेत्र सौर ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम हो सकते हैं, जहाँ पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश आता हो।
- सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें सौर उपकरणों के अलावा इन्वर्टर तथा इसके संग्रहण के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। वैसे तो सौर उपकरण सस्ते होते हैं, परन्तु साथ में उपयोगी इन्वर्टर और बैटरी इसे महंगा बना देते हैं।
- सौर उपकरण आकार में बड़े होते हैं, अतः इन्हें स्थापित करने हेतु बड़े क्षेत्रफल की भूमि की जरूरत होती है और एक बार यदि ये उपकरण लग जाये तो वह भू-भाग लम्बे समय के लिए इसी उद्देश्य से काम में लिया जाता है और इसका उपयोग किसी और कार्य में नहीं किया जा सकता।
- इस प्रकार उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा अन्य संसाधनों की तुलना में बहुत ही कम होती है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है।
- सौर उपकरण नाजुक होते हैं, जिनके रख-रखाव का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे इनके बीमा आदि पर व्यय होने से अतिरिक्त लागत भी आती है, जिससे खर्च बढ़ जाता है।
- देश में लगभग सभी जगह वायुमंडल में धूल बिखरी है, जो सौर ऊर्जा को कम करती है और फिर सौर पैनल पर जमा हो जाती है, जिससे इसकी दक्षता कम हो जाती है। धूल हटाने के लिए इन्हें धोना पड़ता है, लेकिन हरेक जगह इतना पानी उपलब्ध नहीं है।

लद्दाख के संदर्भ में चुनौतियाँ एव लाभ

- लद्दाख में भूमि की कीमत कम है, परन्तु यहाँ पानी की बहुत कमी है।
- सौर ऊर्जा साइट तक पहुँचने के लिए सड़कों का जाल बिछाना होगा।
- यहाँ का विद्युत ढांचा बहुत कमजोर है। अतः डीजल जेनरेटर का प्रयोग अधिक होगा।
- लद्दाख के छोटे-छोटे गाँवों में जनसंख्या विरल है। यहाँ के लोग कुशल श्रमिक नहीं हैं। अगर इन्हें प्रशिक्षण देकर काम दिया भी जाए, तो उच्च कौशल की मांग रखने वाले निर्माण और रखरखाव जैसे कार्यों के लिए बाहर से विशेषज्ञों को बुलाना पड़ेगा।
- उपकरणों को साइट तक पहुँचाना बहुत महंगा पड़ेगा।
- यहाँ की मिट्टी ढीली है।
- 10,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई और शून्य से नीचे के तापमान पर काम करने से श्रमिक बीमार पड़ सकते हैं।
- तेज हवाओं से निर्माण कार्यों में चुनौती आ सकती है।
- तेज हवाओं और कम तापमान में सौर ऊर्जा को यथास्थान ले जाने के लिए लंबी ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता होगी, जो महंगी होगी।
- हालांकि भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने 2023 तक 7,500 मेगावाट सौर ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य रखा है। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा ग्रहण की जा सकती है। यहाँ का आसमान अकसर खुला रहता है। वर्षा भी बहुत कम होती है। हिमपात के दिनों में भी यहाँ का आसमान साफ रहता है। अतः पूरे देश में, यहाँ पर सूर्य की रोशनी से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।
- दूसरे, यहाँ पवन की गति बहुत तेज है। अतः यहाँ पवन ऊर्जा देने वाली टर्बाइन भी लगाई जा सकती है। सौर ऊर्जा को एकत्रित करके खाली करने वाली ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग पवन ऊर्जा के लिए भी किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। सरकारी जमीन भी बहुतायत में है। सस्ती भूमि से सौर ऊर्जा की कीमतें कम हो जानी चाहिए। सौर ऊर्जा प्लांट लगने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साधन बढ़ेंगे।

सरकारी प्रयास

भारत में सौर ऊर्जा के लाभों को ध्यान में रखकर अनेक प्रोजेक्ट प्रारंभ किये गये हैं-

- भारत के थार मरुस्थल में देश का अब तक का सर्वोत्तम सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है, जो अनुमानतः 700-2100MW ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है।
- 1 मार्च, 2014 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के नीमच जिले में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया।
- केंद्र सरकार ने 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा परियोजना (JNNSM)' को शुरू कर वर्ष 2022 तक 20,000 MW तक ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य निश्चित किया है।
- भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य

निर्धारित किया है। इसमें पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, बायोमास ऊर्जा से 10 गीगावाट और लघु जलविद्युत परियोजनाओं से 5 गीगावाट शामिल है।

- विगत तीन साल (2014-17) में भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन अपनी स्थापित क्षमता से चार गुना बढ़कर 10 हजार मेगावाट के आँकड़े को पार कर गया है।
- सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रूफटॉप सौर उर्जा (40 प्रतिशत) और सोलर पार्क (40 प्रतिशत) का है। यह देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का 16 प्रतिशत है। सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर स्थापित क्षमता का 60 प्रतिशत करना है।
- 2 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन से प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में 20 मिलियन टन की कमी आएगी तथा 3.6 मिलियन टन प्राकृतिक गैस की बचत होगी। अगले तीन साल में देश में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाकर 20 हजार मेगावाट करने का लक्ष्य है।
- वर्ष 2035 तक देश में सौर ऊर्जा की मांग सात गुना तक बढ़ने की संभावना है। सौर ऊर्जा की लागत में लगातार आ रही कमी की वजह से अब यह ताप बिजली से मुकाबले की स्थिति में है। सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वर्ष 2021-22 तक 20,000 मेगावॉट के लक्ष्य को संशोधित कर वर्ष 2020-22 तक 1,00,000 मेगावॉट कर दिया है।
- वर्ष 2022 तक 100 गीगावॉट के लक्ष्य के मुकाबले अक्टूबर, 2018 तक 24.33 गीगावॉट की कुल स्थापित क्षमता के साथ फिलहाल भारत सबसे अधिक स्थापित सौर क्षमता वाला पाँचवां देश है। इसके अलावा 22.8 गीगावॉट क्षमता निर्माणाधीन अथवा निविदा प्रक्रिया में है।
- ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए शुल्क दरों का निर्धारण रिवर्स ई-नीलामी सहित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से की गई है। इससे शुल्क दरों को काफी कम करने में मदद मिली है। भारत में सौर परियोजनाओं आईएसटीएस आधारित बोली के तहत जुलाई 2018 में तय की गई 2.44 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच की शुल्क दर सौर ऊर्जा के लिए अब तक की सबसे कम दर है। सौर ऊर्जा के लिए शुल्क दर 2010 में 18 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच थी, जो विभिन्न कारणों से घटकर 2018 में 2.44 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच रह गई। उत्पादन का दायरा बढ़ने, भूमि की निश्चित उपलब्धता, बिजली निकासी प्रणाली आदि के कारणों से शुल्क दरों को घटाने में मदद मिली।
- देश में सौर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। देश के 21 राज्यों में कुल 26,694 मेगावॉट क्षमता के 47 सौर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। विभिन्न सौर पार्कों के लिए 1,00,000 एकड़ भूमि की पहचान की गई, जिसमें से 75,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। विभिन्न सौर पार्कों के भीतर कुल 4,195 मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाएं शुरू की गई हैं। मंत्रालय फ्लोटिंग सौर ऊर्जा (पानी के ऊपर तैरते हुए सोलर प्लेट) जैसी नई उभरती प्रौद्योगिकी के लिए भी परियोजनाएं ला रहा है।

आगे की राह

कुल-मिलाकर, विशेषज्ञों का अनुमान है कि देश के अन्य क्षेत्रों के बजाय लद्दाख में सौर ऊर्जा की कीमत दोगुनी हो सकती है। उम्मीद यह भी है कि शुरूआती दो मॉड्यूल के लिए शायद कीमत ज्यादा आए, परन्तु क्रमशः यह कम हो सकती है। सरकार को चाहिए कि वह ज्यादा-से-ज्यादा आउटपुट पाने के लिए नवीन तकनीक को अपनाए। सरकार का यह प्रयास स्वागतयोग्य है। इसमें संभावनाओं के साथ-साथ चुनौतियां भी हैं। उम्मीद की जा सकती है कि समय के साथ लद्दाख को उत्तर भारतीय पावर हाऊस के रूप में देखा जा सकेगा।

यही नहीं भारत के अन्य क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। हालांकि सरकार को इस क्षेत्र में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और इसके लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- बुनियादी ढाँचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

7. विश्व मृदा दिवस, 2019 : मृदा संरक्षण का महत्त्व

चर्चा का कारण

प्रतिवर्ष 5 दिसम्बर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को 'संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन' (UNFAO) द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मृदा दिवस की थीम "मृदा कटाव रोकें, हमारा भविष्य संवारे" है।

विश्व मृदा दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मृदा दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए 2002 में 'इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज (आईयूएसएस)' द्वारा सिफारिश की गई थी जिसका बाद में एफएओ और थाइलैण्ड ने भरपूर समर्थन किया। दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वीं सामान्य सभा की बैठक में पारित संकल्प के द्वारा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने का संकल्प लिया था।

गौरतलब है कि प्रथम विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2014 को संपूर्ण विश्व में मनाया गया था। यह कार्यक्रम मिट्टी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण संसाधन के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने हेतु मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य किसानों और आम लोगों को मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूक करना है। विश्व के बहुत से भागों में किसानो द्वारा ज्यादा रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने से मिट्टी के जैविक गुणों में कमी आने के कारण इसकी उपजाऊ क्षमता में गिरावट आ रही है और यह प्रदूषण का भी शिकार हो रही है। इसलिए किसानों और आम जनता को इसकी सुरक्षा के लिए जागरूक करने की जरूरत है।

मृदा स्वास्थ्य या गुणवत्ता

- मृदा स्वास्थ्य को मिट्टी की उस गुणवत्ता या क्षमता के रूप में जाना जाता है जो पारिस्थितिक तंत्र की जीवंतता को बनाये रखती है।
- मृदा का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन से संबंधित है, इसलिए स्वस्थ मृदा खाद्य स्थिरता (Food Sustainability) के लिए

महत्वपूर्ण है। वास्तव में 95 प्रतिशत भोजन मिट्टी में सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादित होता है और प्रति व्यक्ति औसत कैलोरी खपत का लगभग 80 प्रतिशत मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों से ही आता है। इसके अलावा, मृदा के अन्य प्रमुख कार्यो में शामिल हैं-

- भूमिगत जल को इकट्ठा करने में विभिन्न मृदा संस्तर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (यूएनएफएओ) के अनुसार वायुमंडल की तुलना में मृदा तीन गुणा अधिक कार्बन धारण कर सकती है और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है।
- मृदा कई पोषक तत्त्वों (यथा-नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि) के चक्रीय प्रक्रम को पूरा करने और इनके संग्रहण में प्रमुख भूमिका निभाती है।
- मृदा, भवनों आदि को एक मजबूत आधार प्रदान करती है।
- मृदा की उपर्युक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि मृदा सिर्फ भूपर्पटी का एक हिस्सा भर नहीं है बल्कि यह मानवीय जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। उपजाऊ मृदा का निर्माण एक दिन में नहीं होता बल्कि इसके लिए लाखों साल लगते हैं।

मृदा की गुणवत्ता को खराब करने वाले कारक

मृदा की गुणवत्ता के ह्रास के लिए दो कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं- मृदा प्रदूषण (Soil Pollution) और मृदा अपरदन (Soil Erosion) । इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज (NAAS) का अनुमान है कि देश की 71 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि काफी गंभीर स्थिति में है, अर्थात् यहाँ या तो मृदा की गुणवत्ता नष्ट हो गई है या नष्ट होने की कगार पर है।

मृदा प्रदूषण का अर्थ है कि मृदा की गुणवत्ता या स्वास्थ्य में क्षरण/कमी आना, अर्थात् मृदा प्रदूषण हर उस चीज को संदर्भित करती है जो मृदा के स्वास्थ्य के ह्रास का कारण बनता है और मृदा की गुणवत्ता को कम करता है। मृदा प्रदूषण प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से होता है लेकिन वर्तमान में इसका प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियाँ ही हैं। मृदा अपरदन या क्षरण पृथ्वी पर घटित होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें किसी प्राकृतिक या मानवीय घटना के कारण मिट्टी के ऊपरी परत का विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है।

पहले मृदा अपरदन की प्रक्रिया मुख्यतः प्राकृतिक कारकों (यथा-पानी या हवा के तेज बहाव) द्वारा होती थी और मृदा के इस नुकसान की भरपाई प्रकृति द्वारा ही धीरे-धीरे कर दी जाती थी। किन्तु अब मानव की बढ़ती विभिन्न क्रियाओं और प्रकृति में हस्तक्षेप ने मृदा के अपरदन की दर काफी बढ़ा दिया है जिसकी भरपाई लगभग असंभव हो गई है।

मृदा की गुणवत्ता या स्वास्थ्य को कम करने के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं-

1. **कीटनाशकः** कीटनाशक, ऐसे कृत्रिम जहरीले रसायन (Synthetic Toxic Chemical) होते हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के कीटों या अन्य खरपतवार को मारने या नष्ट के लिए मानव, कृषि एवं अन्य गतिविधियों में उपयोग करता है। ये कीटनाशक आम तौर पर पानी में अघुलनशील और गैर-बायोडिग्रेडेबल (Non-Biodegradable) होते हैं, परिणामतः ये मृदा में धीरे-धीरे इकठ्ठे होते रहते हैं। वर्तमान में एल्ड्रिन और डाइएल्ड्रिन (Aldrin and Dieldrin) जैसे घातक रसायनों का कीटनाशकों में वृहद स्तर पर उपयोग किया जा रहा है।
2. **क्लोरिनेटेड कार्बनिक विषाक्त पदार्थ (Chlorinated Organic Toxins):** कार्बेमेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट (Carbamates and Organophosphates) जैसे रसायनों से युक्त डीडीटी और अन्य क्लोरीनेटेड कार्बनिक पदार्थों ने मृदा को वृहद स्तर पर दूषित किया है। मृदा के द्वारा पौधों और जीवों में पहुँचकर इन पदार्थो ने स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाले हैं। डीडीटी के प्रयोग से कई चिड़ियों (यथा-गिद्ध इत्यादि) के अण्डे समय से पहले टूटने लगे और इनकी किडनी भी खराब होने लगी, जिससे ये लुप्तप्राय हो गए।
3. **हर्बीसाइड्स (Herbicides):** हर्बीसाइड्स भी एक प्रकार के कीटनाशक (Pesticides) होते हैं जिन्हें कृषि में खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, सोडियम आर्सेनाइट (Na_3 AsO_3) और सोडियम क्लोरेट (NaCl O_3) आदि प्रमुख हर्बीसाइड्स हैं। हर्बीसाइड्स कुछ महीनों में अपघटित हो सकते हैं किन्तु इनका भी पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इनसे विषाक्त अनाज के सेवन से मानव आनुवांशिक बीमारियों से ग्रसित हो रहा है।
4. **अकार्बनिक उर्वरकः** अकार्बनिक नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के अम्लीकरण को बढ़ावा देकर मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा है।
5. **औद्योगिक प्रदूषणः** औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्टों के गलत तरीके से निपटान के कारण बड़े स्तर पर मृदा प्रदूषण हो रहा है। ज्ञातव्य है कि औद्योगिक अपशिष्टों में भारी धातुएँ और जहरीले रसायन आदि विद्यमान होते हैं।
6. **सिंचाईः** सिंचाई के अनुचित विधियों ने भी मृदा की लवणता बढ़ाकर, इसके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसके अलावा जलाशयों, बांध, नहरों एवं सिंचाई चैनलों आदि के गलत रखरखाव और अनुचित फसल पैटर्न एवं गहन खेती (Intensive Farming) आदि से भी मृदा की गुणवत्ता में धीरे-धीरे कमी आयी है।
7. **ठोस अपशिष्ट (Solid Waste):** प्लास्टिक, डिब्बे, बैटरी और अन्य ठोस अपशिष्टों का अनुचित निपटान भी मृदा प्रदूषण की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए विद्युत बैटरी में मौजूद लीथियम तत्व मृदा में लीचिंग (Leaching) की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है।
8. **शहरी गतिविधियाँः** शहरों में भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का निर्माण होता है जो मृदा को प्रदूषित करते हैं। वर्तमान में शहरों से प्रवाहित होने वाला प्रदूषित जल और सीवेज मृदा की रासायनिक संरचना को नकारात्मक रूप से बदल रहा है। इसके अलावा, निर्माण कार्यों आदि से मिट्टी की ऊपरी परत का कटाव (मृदा अपरदन) अधिक तीव्र हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (UNFAO) ने मिट्टी के प्रदूषण पर कई वर्षो तक गहन अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उन कम ज्ञात स्रोतों पर भी प्रकाश डाला गया है जो वर्षो से मिट्टी को प्रदूषित कर रहे थे-

i) **परमाणु परीक्षणः** परमाणु हथियारों के परीक्षण और परमाणु दुर्घटनाएं (जैसे-चेरनोबिल दुर्घटना आदि) पर्यावरण में वृहद मात्रा में रेडियोएक्टिव पदार्थो को छोड़ती हैं, जिससे मृदा भी प्रदूषित होती है। उल्लेखनीय है कि रेडियोएक्टिव तत्त्व सदियों तक मिट्टी में बने रहते हैं और उन्हें पौधों द्वारा अवशोषित

किया जाता है। अंततः ये रेडियोएक्टिव पदार्थ मानव सहित पृथ्वी पर मौजूद अन्य जीवों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर देते हैं।

ii) **युद्ध के अवशेषः** आधुनिक युद्धों में परमाणु हथियारों और घातक रासायनिक हथियारों का प्रयोग बढ़ गया है जो मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

iii) **सड़कः** सड़कों पर चलने वाले वाहन जीवाश्म ईंधन (जैसे- डीजल, पेट्रोल आदि) से युक्त वाहनों ने भी सड़क किनारे स्थित खेतों की मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। एफएओ ने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि सड़कों के पास की मृदा में भारी धातुओं, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और अन्य प्रदूषकों की सान्द्रता उच्च मात्रा में थी।

प्रभाव

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अपनी रिपोर्ट में मृदा की गुणवत्ता में कमी को लेकर कई तरह के प्रभावों का उल्लेख किया है। खराब मृदा से होने वाले प्रभाव निम्नांकित हैं-

i) **मानव स्वास्थ्य पर प्रभावः** एफएओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मृदा प्रदूषण से मानव की तंत्रिका तंत्र से लेकर गुर्दे, यकृत और हड्डी आदि सभी नकारात्मक रूप प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट में मृदा प्रदूषण से संबंधित छह मानव स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान की गई है। इसके अलावा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मृदा प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख किया है।

ज्ञातव्य है कि मृदा प्रदूषण से मानव शरीर की आनुवंशिक बनावट भी प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप जन्मजात बीमारियाँ और लंबी अवधि वाली अन्य गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

ii) **आर्थिक प्रभावः** मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने से अर्थव्यवस्था को जैसे- भारी नुकसान होता है। इसके अलावा, मृदा प्रदूषण से पशुपालन पर भी नकारात्मक असर होता है।

iii) **खाद्यान्न संकटः** मृदा में उपस्थित जहरीले रसायन पौधों को विषाक्त करने के साथ-साथ उनकी उत्पादकता को भी कम कर देते हैं, इससे खाद्यान्न संकट गहराने की समस्या उत्पन्न होती है। एफएओ के मुताबिक, मृदा दूषित पदार्थों को फिल्टर करने की क्षमता रखती है किन्तु एक स्तर से अधिक दूषित होने से इसका यह गुण समाप्त हो जाता है और प्रदूषित पदार्थ धीरे-धीरे पौधों से लेकर संपूर्ण खाद्य श्रृंखला में व्याप्त हो जाते हैं।

iv) **मृदा अपरदन में तीव्रताः** स्वस्थ मृदा में विभिन्न कवक और जीवाणु उपस्थित होते हैं और एक साथ बंधे रहते हैं किंतु जब दूषित पदार्थ मृदा में पहुँचते हैं तो इन कवक और जीवाणुओं को धीरे-धीरे खत्म कर देते हैं जिससे मृदा की बंध क्षमता कमजोर हो जाती है तथा वह अपरदन के प्रति अधिक सुभेद्य हो जाती है।

v) **जल संचयन में कमीः** प्रदूषित मृदा वर्षा के समय जल का संचयन भी कम कर पाती है और जो कुछ भी जल संचय होता भी है तो वह काफी विषाक्त हो जाता है।

चुनौतियाँ

- मिट्टी एक ऐसा संसाधन है, जो सीमित है। पूरी धरती के सिर्फ 22 फीसदी भू-भाग पर ही खाद्यान्न उपजता है। एफएओ के अनुसार, इसमें से लगभग एक तिहाई (करीब 33 फीसदी) अब बंजर हो चुकी है। इसकी मुख्य वजहें कटाव (Erosion), प्रदूषण (Contamination) और वनों का कटाव (Desertification) आदि हैं। उल्लेखनीय है कि धरती को इतना नुकसान सिर्फ पिछले 50 वर्ष में हुआ है।
- यूएनएफएओ के मुताबिक पूरे विश्व में 815 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा का तथा 2 अरब लोग पोषण असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
- विश्व की बढ़ती आबादी भी मृदा से संबंधित विभिन्न चिंताएँ पैदा कर रही है। बढ़ी हुई आबादी एक तरफ कृषि योग्य भूमि का आच्छादन करती है तो वहीं दूसरी तरफ मृदा को प्रदूषित भी करती है। ऐसा अनुमान है कि 2050 तक पूरी दुनिया की आबादी 9 अरब तक हो जायेगी।
- मृदा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पूर्वापेक्षा है कि इससे संबंधित डेटा उपलब्ध हो लेकिन अभी विश्व के किसी भी देश ने इससे संबंधित डेटा को वृहद स्तर पर एकत्रित नहीं किया है।
- मिट्टी में दूषित पदार्थों को फिल्टर करने और बफर करने, प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और क्षीण करने की एक बड़ी संभावना है, लेकिन यह क्षमता सीमित है।

सरकारी प्रयास

- मृदा गुणवत्ता में ह्रास के फलस्वरूप सन् 2015 में भारत सरकार ने 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' का शुभारंभ किया था।
- सरकार द्वारा जैविक कृषि को विभिन्न योजनाओं के द्वारा प्रोत्साहन देना; यथा-राष्ट्रीय गोकुल मिशन, परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) इत्यादि।
- सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA); इसके तहत कृषि के सतत विकास हेतु विभिन्न योजनाओं को संचालित किया गया है।
- **पर्माकल्चर (Permaculture)** यह परम्परागत और आधुनिक कृषि पद्धतियों का मिलाजुला स्वरूप है। पर्माकल्चर पद्धति एक प्रकार से 'पारस्थितिकी खेती' है, इसमें कृषि कार्य अपने वृहद पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरुप सम्पन्न किये जाते हैं। इस प्रकार के प्रयास 'संवहनीय कृषि पारिस्थितिकी तंत्र' की ओर ले जाते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में कुल 20 कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। सरकार इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य कर रही है।
- **जीरो बजट प्राकृतिक खेती (Zero Budget Natural Farming)** इस प्रकार की खेती में किसान कृषि लागत हेतु बाहर से कुछ भी आयात नहीं करते हैं। किसान उर्वरक के रूप में जैविक खाद और स्वदेशी बीजों आदि का प्रयोग करते हैं। सरकार 'जीरो बजट प्राकृतिक खेती' को बढ़ावा दे रही है, जिसे तीव्र करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

आज जलवायु परिवर्तन ने कृषि पर विपरीत असर डाला है और खाद्यान्न संकट पैदा किया है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मृदा अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है क्योंकि मृदा में कार्बन को संग्रहित रखने की अद्भूत क्षमता होती है। एफएओ के अनुसार खाद्यान्न संकट का शमन मृदा की गुणवत्ता को सुधारकर किया जा सकता है। सरकार को एकल फसल प्रतिरूप की जगह किसानों को मिश्रित फसल प्रतिरूप और बहुफसली कृषि के लिए प्रोत्साहित करना होगा। आवश्यकता से अधिक खाद एवं कीटनाशकों के प्रयोग से बचना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

स्नातक विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. विश्व विकलांगता दिवस 2019 : एक अवलोकन

प्र. भारत में दिव्यांगजनों को किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इनके कल्याण एवं रोजगार के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हर साल 3 दिसंबर को दुनियाभर में विश्व विकलांगता दिवस (World Disability Day 2019) मनाया जाता है। इस दिन को मुख्य रूप से दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है।

भारत में दिव्यांगजन

- **शिक्षा एवं रोजगारः** देश में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के पारित हुए 24 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा और रोजगार के अवसर की बात करें तो इन 24 सालों में देश में विकलांगों या दिव्यांगों की स्थिति ठीक नहीं है।
- **सुविधाओं का अभावः** विकलांगता की समस्या का सामना कर रहे व्यक्तियों के लिए जो न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सार्वजनिक जगहों पर होनी चाहिए, उसका अभाव लगभग सभी शहरों में है।
- **लैंगिक समस्याः** विकलांगता के साथ रह रहे लोगों की समस्याओं को सामने लाने की वर्तमान प्रक्रिया में केवल विकलांगता को ही प्रमुख माना जाता रहा है और विकलांगता के साथ रह रहे लोगों में लैंगिक विशेष की समस्याओं, खासतौर पर विकलांग महिलाओं की तकलीफों को नजरअंदाज किया जाता रहा है।

भारत में दिव्यांगों के लिए कानून

- भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 पारित किया था। इस अधिनियम के दो प्रमुख लक्ष्य थे- 1. निःशक्त व्यक्तियों की समानता और सम्पूर्ण सहभागिता को स्वीकार और सुनिश्चित करना। 2. उनके आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। इसके तहत सरकारी महकमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दिव्यांगजनों के लिए तीन फीसदी आरक्षण का प्रावधान भी किया गया था।

सरकारी प्रयास

- **सुगम्य भारत अभियानः** दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान की शुरूआत की गयी।
- **सुगम्य पुस्तकालयः** सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एक ऑनलाइन मंच "सुगम्य पुस्तकालय" की शुरूआत की गई है, जहाँ दिव्यांगजन इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय से संबद्ध सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं।
- **यूडीआईडी कार्डः** भारत सरकार द्वारा वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान (यूडीआईडी) कार्ड शुरू किया गया है।
- **राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगमः** इसकी स्थापना 24 जनवरी 1997 को दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ हेतु आर्थिक विकास कार्यालयों और स्व-रोजगार के संवर्द्धन हेतु की गई थी।

आगे की राह

- शिक्षा के अधिकार को कार्यान्वित करने में सरकार और प्रशासन को अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है तभी दिव्यांग बच्चों के स्कूल न जाने की स्थिति को बदला जा सकता है, हालाँकि नया अधिनियम भी शिक्षा संबंधी सुधारों की बात करता है। ■

2. मिड-डे मील योजना : एक विश्लेषण

प्र. मिड-डे मील योजना का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके मार्ग में उपस्थित चुनौतियों का वर्णन करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) में अनियमितता का मामला सामने आया है।

परिचय

- भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1995 को मध्याह्न भोजन योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अर्न्तगत प्राथमिक विद्यालयों के प्रत्येक छात्र को निर्धारित खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था, परन्तु इसमें बच्चों का स्वास्थ्य और उनकी स्कूल में उपस्थिति पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए देश में दिनांक 01 सितम्बर, 2000 से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की योजना आरम्भ कर दी गयी। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों/एजुकेशन गारन्टी स्कीम केन्द्रों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चों को 80 प्रतिशत की उपस्थिति के आधार पर एक शैक्षिक सत्र में कम से कम 200 दिन पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

मिड-डे मील का उद्देश्य

- स्कूलों में बच्चों की भागीदारी बढ़ाना, गरीब परिवार के छात्रों को भुखमरी से बचाना, स्कूली बच्चों को सेहतमंद बनाना, मिड-डे मील

योजना का शैक्षिक मूल्य है, सामाजिक समानता के मूल्य को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, मनोवैज्ञानिक लाभ आदि।

मिड-डे मील की चुनौतियाँ

- मिड-डे मील में दिए जा रहे भोजन में कंकड़, विषाक्त रसायन, जहरीले जीव, निम्न गुणवत्तापरक भोजन आदि आम हो चली है। सरकारी तंत्र असफल रहा है। एक बढ़िया योजना अदूरदर्शी क्रियान्वयन के चलते दम तोड़ती नजर आ रही है।
- यह योजना अब तक की सर्वश्रेष्ठ सरकारी पहल साबित हो सकती थी अगर इसके क्रियान्वयन और खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया होता। ऐसा न कर पाने की स्थिति में दो दशक से अधिक समय से लागू इस योजना की शुरूआत से ही खाना खाकर बच्चों के बीमार होने की घटनाएँ सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाएँ इस बेहतर योजना के मंतव्य और मकसद पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की मिड-डे मील योजना पर रिपोर्ट में बताया गया था कि कम से कम नौ राज्यों के मामलों में तय पोषण नहीं पाया गया। दिल्ली का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि किए गए परीक्षण में 2,012 में से 1,876 नमूने तय पोषण मानकों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाये।

आगे की राह

- विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन की स्वच्छता एवं गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पोषाहार विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सुरक्षित है। गर्मी के मौसम एवं मानसून को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न राज्यों में योजनान्तर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं पेयजल उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ताकि दूषित भोजन एवं पेयजल के कारण मौसम जनित बीमारियों से बचा जा सके।
- योजनान्तर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा एवं संचालन समिति का गठन होना चाहिए। उक्त समितियों की बैठक प्रतिमाह आयोजित होनी चाहिए एवं योजना से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से होना चाहिए। विद्यालयों में योजनान्तर्गत भोजन से संबंधित सामग्री/उत्पाद, पानी की टंकियों, पाइपलाइनों एवं आदि की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम से आगामी तीन दिवसों में विशेष जाँच करवाना चाहिए। ■

3. न्यायेत्तर हत्याएँ : विधि के सम्यक् प्रक्रिया का उल्लंघन

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि एनकाउंटर पुलिस प्रणाली की अयोग्यता एवं असफलता का पर्याय है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हैदराबाद में पशु चिकित्सक से बलात्कार-हत्या की घटना और इसके चारों आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के मद्देनजर प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि न्याय कभी फौरी तौर पर अचानक नहीं हो सकता और जब यह प्रतिशोध बन जाता है तब यह अपनी विशेषता खो देता है।

भारतीय कानून में 'एनकाउंटर'

- भारतीय संविधान के अंतर्गत 'एनकाउंटर' शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। पुलिस की भाषा में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सुरक्षाबल/पुलिस और चरमपंथी/अपराधियों के बीच हुई भिड़ंत में चरमपंथियों या आरोपियों की मौत हो जाती है। भारतीय कानून में वैसे कहीं भी एनकाउंटर को वैध ठहराने का प्रावधान नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे नियम-कानून जरूर हैं जो पुलिस को यह ताकत देते हैं कि वो आरोपियों से खुद के बचाव के लिए आत्म रक्षा कर सकती है और उस दौरान दोषियों के मौत को सही ठहराया जा सकता है।

एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन

- जब कभी भी पुलिस को किसी तरह की आपराधिक गतिविधि की सूचना मिले तो उसे या तो लेखबद्ध किया जाए (विशेषकर केस डायरी की शक्ल में) या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए सूचीबद्ध किया जाए।
- अगर कोई भी आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलती है, या फिर पुलिस की तरफ से किसी तरह की गोलीबारी की जानकारी मिलती है और उसमें किसी की मृत्यु की सूचना आए, तो इस पर तुरंत प्रभाव से धारा सीआरपीसी की 157 के तहत कोर्ट में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।

विश्लेषण

- पुलिस की जांच प्रक्रिया और देश की न्याय प्रणाली इतनी जटिल, लंबी और थका देने वाली होती जा रही है कि आम जनता का उस पर से विश्वास लगभग डगमगाने लगा है। अधिकांश लोगों को मानना है कि भारत में कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि अपराधियों को वर्षों-वर्ष तक सजा नहीं मिल पाती है। हैदराबाद में चारों आरोपियों का एनकाउंटर में मारा जाना उन लोगों के लिए हर्षोउल्लास का विषय है जो समझते हैं कि न्याय त्वरित होना चाहिए, किंतु मानवाधिकार कार्यकताओं व कानून के अन्य जानकारों का मानना है कि न्याय के लिए जल्दीबाजी करने के घातक परिणाम भी हो सकते हैं।
- हालांकि कई ऐसे मामले प्रकाश में आए जहाँ जाँच के बाद पाया गया कि कुछ एनकाउंटर फर्जी थे, जबकि कुछ एनकाउंटर आत्मरक्षा में किए गए। यहाँ एक तर्क यह भी है कि यह आवश्यक नहीं है कि जिन्हे पुलिस एनकाउंटर में मारती है, वह वास्तव में अपराधी ही हों। भारत जैसे देश में जहाँ पुलिस का जातिवादी होना और उसका राजनीतिकरण होना एक आम बात हो गई है, वहाँ इस बात पर संदेह रहता है कि पुलिस जिन्हे अपराधी बता रही है या उनसे स्वीकारोक्ति करवा रही है, वास्तव में अपराधी हैं या नहीं।

आगे की राह

- एनकाउंटर चिंता का विषय है और हर एनकाउंटर की सावधानी से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास कोई 'मानक संचालन प्रक्रिया' नहीं है इसलिए इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कार्य करने की आवश्यकता है। जीवन का

अधिकार और कानून के समक्ष समानता मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान ने दिए हैं। भले ही कोई आरोपी क्यों न हो, हर परिस्थिति में मानव जीवन को अविधिक अथवा अवैध रूप से की गयी क्षति समाज को गलत संदेश देगी। ■

4. सैन्यकर्मियों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाएँ : हल तलाशना जरूरी

प्र. वर्तमान में सैनिकों के अंदर आत्महत्या की घटनायें सुर्खियों में रही हैं। सैनिको द्वारा आत्महत्या के कारणों की चर्चा करते हुए इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का उल्लेख करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में छत्तीसगढ में आइटीबीपी के एक जवान ने अपने छः साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी और स्वयं को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

वर्तमान स्थिति

- सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2011 से 2018 के बीच भारतीय सशस्त्र बलों (थल सेना, वायु सेना, नौसेना) के 892 कर्मियों ने आत्महत्या कर ली है। संसद में पूछे गए सवालों से यह आंकड़ा सामने आया है। आत्महत्या करने वालों में सेना के जवान ज्यादा हैं। पिछले तीन साल की बात करें तो साल 2016 में सैन्य कर्मियों के आत्महत्या के 129 मामले, 2017 में 101 मामले और 2018 में 104 मामले सामने आए। साल 2016 में सेना में आत्महत्या के 104 मामले, नौसेना में 6 मामले और वायु सेना में 19 मामले सामने आए।

आत्महत्या के प्रमुख कारण

- मनोचिकित्सक जवानों की आत्महत्या के पीछे मुख्य रूप से तीन वजहों को इंगित करते हैं। इनमें घर-परिवार से दूरी, उपेक्षा व तैनाती क्षेत्रों के कठिन हालात शामिल हैं। मनोचिकित्सकों के अनुसार सैनिकों द्वारा अपने साथियों की हत्या करना एक असामान्य घटना है, अर्थात कोई भी ऐसा सामान्य स्थिति में नहीं कर सकता। कुछ ऐसे प्रमुख कारक हैं जिससे संभवतः ज्ञात होता है कि आत्महत्या के लिए ये कारक जिम्मेदार हैं- अनुशासन का कठोरता से पालन, पारिवारिक तनाव, राजनीतिक बयानबाजी, सैनिकों और अधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव, आतंकवाद विरोधी अभियानों में समस्याएं इत्यादि।

सरकारी प्रयास

- वन रैंक वन पेंशन योजना, 'संदेश टू सोल्जर्स' से जुड़ा पूरा देश, भोजन से लेकर हथियार तक सुव्यवस्था, कश्मीर में तैनात सैनिकों के लिए विशेष व्यवस्था।
- **राष्ट्रीय रक्षा कोष के अंतर्गत आने वाली स्कीमः** प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बल और अर्द्ध- सैनिक बलों के मृत व्यक्तियों की विधवाओं और आश्रितों के लिए तकनीकी और स्नातकोत्तर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति स्कीम अनुमोदित की है। यह स्कीम सशस्त्र बलों के संबंध में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- जवानों की प्रोफेशनल तरीके से काउंसलिंग करने के लिए सेना और वायु सेना ने एक हेल्पलाइन शुरू की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 'मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं' प्रदान करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की नियुक्ति के अलावा बड़ी संख्या में अधिकारियों को सलाहकारों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

आगे की राह

- सरकार को सैन्यकर्मियों में बढ़ रही आत्महत्या की इस प्रवृत्ति की गंभीरता को अति संवेदनशील होकर समझने की जरूरत है। सरकार और खासतौर पर केन्द्रीय रक्षा मंत्री को इस बात का तत्काल आकलन करना होगा कि आखिर क्या वजह है कि सेना द्वारा उठाए जा रहे योग, ध्यान, मानसिक विचार-विमर्श आदि तमाम कदमों के बाद भी सैन्यकर्मी आत्महत्या जैसा कदम उठाने की ओर उन्मुख हो रहे हैं। ■

5. भारत की विदेश नीति का विकासक्रमः एक मूल्यांकन

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का ढाँचा बदलाव के दौर से गुजर रहा है, साथ ही भारत की विदेश नीति में भी बदलाव देखा जा रहा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 'बियॉण्ड द देल्ही डॉग्मा : इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड' (Beyond The Delhi Dogma : Indian Foreign Policy in a Changing World) के विषय पर चौथे रामनाथ गोयनका स्मारक समारोह में व्याख्यान देते हुए कहा कि 'अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का ढाँचा बदलाव के दौर से गुजर रहा है।'

विदेश नीति में बदलाव की जरूरत

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि जिस देश की महत्वाकांक्षा दुनिया में एक प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र बनने की हो, वह अपनी अनिर्धारित सीमाओं के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। साथ ही दुनिया के बदलते हालात में भारत को भी अपनी नीतियों को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है।
- बदलते वैश्विक परिदृश्य में एस. जयशंकर के कूटनीतिक आकलन का विदेश नीति पर असर पहले से ही दिख रहा है। लेकिन जब विदेश मंत्री भारतीय कूटनीति की चुनौतियों को निर्भीकता से पेश करते हैं तो उनके खुद के तर्कों से ऐसा लगता है कि इनके पूरी तरह अनुपालन में कहीं न कहीं विरासत में मिली रुढ़िवादिता (परंपरागत नीति को मानते चले आने का सिद्धांत) आड़े आती है।

भारत की कूटनीति में बदलाव

- आज के युग में आर्थिक कूटनीति एक बार फिर से तमाम देशों के हितों के संरक्षण के लिए अग्रणी भूमिका में दिख रहा है। पिछले कुछ वर्षो

में भारत की कूटनीति में बड़ी तेजी से सकारात्मक बदलाव आया है। गौरतलब है कि किसी भी कूटनीति के प्रभावी होने के लिए उसमें समय के साथ-साथ बदलाव होते रहना चाहिए, ताकि वो नई चुनौतियों और दबावों का सामना करते हुए, देश की जरूरतों को, उसके लक्ष्यों को हासिल कर सकें। लेकिन, हाल के कुछ महीनों में भारत की कूटनीति में एक नई धार देखने को मिली है। भारत आज उन लोगों के साथ भी संवाद करने के लिए तत्पर दिख रहा है, जो भारत के हितों को नियमित रूप से चोट पहुँचाते रहे हैं।

चुनौतियाँ

- भारत के लिए ऐसी आक्रामक कूटनीति के रास्ते पर चलने के अपने खतरे भी हैं। अगर, ऐसे मसलों को ठीक से नहीं संभाला गया, तो विश्व स्तर पर भारत की एक जिम्मेदार और गंभीर छवि को नुकसान पहुँचने का डर है। कूटनीतिक विशेषज्ञ चीन के प्रति भारत के रवैये की तरफ भी उंगली उठाएंगे, क्योंकि चीन के साथ भारत ने कूटनीति का मध्यमार्गी रवैया अपनाया है। भारत ने चीन के साथ संवाद कायम रखते हुए कई मसलों पर अलग-अलग तरीके से अपनी नाराजगी भी जाहिर की है।

आगे की राह

- भारत की तीव्र गति से हो रहे आर्थिक विकास के कारण इसकी कूटनीति में नई धार आई है। पहले के मुकाबले ज्यादा आक्रामक विदेश नीति अपनाकर भारत ने अपनी कूटनीति के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोले हैं। लेकिन, जैसे-जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, वैसे-वैसे भारत अपनी कूटनीति की मदद से अपने हितों को बढ़ाने के तरीके पर अमल कर रहा है। ■

6. भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

प्र. भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। सौर ऊर्जा के लाभों को बताते हुए इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में केन्द्र सरकार ने लद्दाख में सौर ऊर्जा के विकास के लिए एक योजना के तहत 45,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता को देखते हुए इस योजना की घोषणा की गई।

सौर ऊर्जा क्या है

- सामान्य भाषा में सौर ऊर्जा से तात्पर्य सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से है। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। मौसम और जलवायु परिवर्तन में सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह धरती पर सभी प्रकार के जीवन का सहारा है। अर्थात हम कह सकते हैं, सौर ऊर्जा मानव के जीवन की एक अहम कड़ी है जिसके बिना जीवन की संकल्पना नहीं की जा सकती है।

लाभ

- सौर ऊर्जा कभी खत्म न होने वाला संसाधन है और यह अनवीकरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रतिस्थापन है।
- सौर ऊर्जा वातावरण के लिए भी लाभकारी है। जब इसे उपयोग किया जाता है, तो यह वातावरण में कार्बन-डाई-ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैस नहीं छोड़ती, जिससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता।
- सौर ऊर्जा अनेक उद्देश्यों हेतु प्रयोग की जाती है, जैसे- उष्णता के लिए, सूखाने के लिए, भोजन पकाने में और बिजली के रूप में आदि। सौर ऊर्जा का उपयोग कार में, हवाई जहाज में, बड़ी नावों में, उपग्रहों में, कैल्कुलेटर में और अन्य उपकरणों में भी किया जाता हैं।

चुनौतियाँ

- रात में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का कार्य नहीं कर सकते हैं।
- साथ ही दिन में भी जब बारिश का मौसम हो या बादल हो तो सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली उत्पादन का कार्य नहीं किया जा सकता। इस कारण हम सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते।
- केवल वही क्षेत्र सौर ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम हो सकते हैं, जहाँ पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश आता हो।

सरकारी प्रयास

- भारत के थार मरुस्थल में देश का अब तक का सर्वोत्तम सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है, जो अनुमानत: 700-2100MW ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है।
- 1 मार्च, 2014 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के नीमच जिले में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट का उदघाटन किया।

आगे की राह

- कुल-मिलाकर, विशेषज्ञों का अनुमान है कि देश के अन्य क्षेत्रों के बजाय लद्दाख में सौर ऊर्जा की कीमत दोगुनी हो सकती है। उम्मीद यह भी है कि शुरूआती दो मॉड्यूल के लिए शायद कीमत ज्यादा आए, परन्तु क्रमश: यह कम हो सकती है। सरकार को चाहिए कि वह ज्यादा-से-ज्यादा आउटपुट पाने के लिए नवीन तकनीक को अपनाए। सरकार का यह प्रयास स्वागतयोग्य है। ■

7. विश्व मृदा दिवस, 2019 : मृदा संरक्षण का महत्त्व

प्र. विश्व मृदा दिवस के संदर्भ में मृदा की गुणवत्ता को खराब करने वाले कारणों तथा उससे पड़ने वाले प्रभावों व इसके रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- प्रतिवर्ष 5 दिसम्बर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को 'संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन' (UNFAO) द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मृदा दिवस की थीम "मृदा कटाव रोकें, हमारा भविष्य संवारे" है।

मृदा की गुणवत्ता को खराब करने वाले कारक

- **कीटनाशक:** कीटनाशक, ऐसे कृत्रिम जहरीले रसायन (Synthetic Toxic Chemical) होते हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के कीटों या अन्य खरपतवार को मारने या नष्ट के लिए मानव, कृषि एवं अन्य गतिविधियों में उपयोग करता है।
- **क्लोरिनेटेड कार्बनिक विषाक्त पदार्थ (Chlorinated Organic Toxins):** कार्बेमेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट (Carbamates and Organophosphates) जैसे रसायनों से युक्त डीडीटी और अन्य क्लोरीनेटेड कार्बनिक पदार्थों ने मृदा को वृहद स्तर पर दूषित किया है।
- **हर्बीसाइड्स (Herbicides):** हर्बीसाइड्स भी एक प्रकार के कीटनाशक (Pesticides) होते हैं जिन्हें कृषि में खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है।
- **अकार्बनिक उर्वरक:** अकार्बनिक नाइट्रोजन के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के अम्लीकरण को बढ़ावा देकर मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा है।
- **औद्योगिक प्रदूषण:** औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्टों के गलत तरीके से निपटान के कारण बड़े स्तर पर मृदा प्रदूषण हो रहा है।
- **सिंचाई:** सिंचाई के अनुचित विधियों ने भी मृदा की लवणता बढ़ाकर, इसके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
- **ठोस अपशिष्ट (Solid Waste):** प्लास्टिक, डिब्बे, बैटरी और अन्य ठोस अपशिष्टों का अनुचित निपटान भी मृदा प्रदूषण की श्रेणी में आता है।
- **शहरी गतिविधियाँ:** शहरों में भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का निर्माण होता है जो मृदा को प्रदूषित करते हैं।

प्रभाव

- **मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:** एफएओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मृदा प्रदूषण से मानव की तंत्रिका तंत्र से लेकर गुर्दे, यकृत और हड्डी आदि सभी नकारात्मक रूप प्रभावित हो रहे हैं।
- **आर्थिक प्रभाव:** मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने से अर्थव्यवस्था को जैसे- भारी नुकसान होता है। इसके अलावा, मृदा प्रदूषण से पशुपालन पर भी नकारात्मक असर होता है।
- **खाद्यान्न संकट:** मृदा में उपस्थित जहरीले रसायन पौधों को विषाक्त करने के साथ-साथ उनकी उत्पादकता को भी कम कर देते हैं, इससे खाद्यान्न संकट गहराने की समस्या उत्पन्न होती है।
- **मृदा अपरदन में तीव्रता:** स्वस्थ मृदा में विभिन्न कवक और जीवाणु उपस्थित होते हैं और एक साथ बंधे रहते हैं किंतु जब दूषित पदार्थ मृदा में पहुँचते हैं तो इन कवक और जीवाणुओं को धीरे-धीरे खत्म कर देते हैं जिससे मृदा की बंध क्षमता कमजोर हो जाती है तथा वह अपरदन के प्रति अधिक सुभेद्य हो जाती है।
- **जल संचयन में कमी:** प्रदूषित मृदा वर्षा के समय जल का संचयन भी कम कर पाती है और जो कुछ भी जल संचय होता भी है तो वह काफी विषाक्त हो जाता है।

चुनौतियाँ

- मिट्टी एक ऐसा संसाधन है, जो सीमित है। पूरी धरती के सिर्फ 22 फीसदी भू-भाग पर ही खाद्यान्न उपजता है। एफएओ के अनुसार,इसमें से लगभग एक तिहाई (करीब 33 फीसदी) अब बंजर हो चुकी है। इसकी मुख्य वजहें कटाव (Erosion), प्रदूषण (Contamination) और वनों का कटाव (Desertification) आदि हैं। उल्लेखनीय है कि धरती को इतना नुकसान सिर्फ पिछले 50 वर्ष में हुआ है।
- यूएनएफएओ के मुताबिक पूरे विश्व में 815 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा का तथा 2 अरब लोग पोषण असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।

सरकारी प्रयास

- मृदा गुणवत्ता में ह्रास के फलस्वरूप सन् 2015 में भारत सरकार ने 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' का शुभारंभ किया था।
- सरकार द्वारा जैविक कृषि को विभिन्न योजनाओं के द्वारा प्रोत्साहन देना; यथा-राष्ट्रीय गोकुल मिशन, परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) इत्यादि।
- सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA); इसके तहत कृषि के सतत विकास हेतु विभिन्न योजनाओं को संचालित किया गया है।

आगे की राह

- आज जलवायु परिवर्तन ने कृषि पर विपरीत असर डाला है और खाद्यान्न संकट पैदा किया है, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मृदा अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है क्योंकि मृदा में कार्बन को संग्रहित रखने की अद्भूत क्षमता होती है। एफएओ के अनुसार खाद्यान्न संकट का शमन मृदा की गुणवत्ता को सुधारकर किया जा सकता है। सरकार को एकल फसल प्रतिरूप की जगह किसानों को मिश्रित फसल प्रतिरूप और बहुफसली कृषि के लिए प्रोत्साहित करना होगा। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

विश्व मलेरिया रिपोर्ट-2019

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की विश्व मलेरिया रिपोर्ट-2019 के अनुसार भारत में मलेरिया के मामलों में वर्ष 2017 से 2018 के बीच 28 फीसदी की कमी आई है।

1.2 इसी के साथ भारत मलेरिया प्रभावित दुनिया के शीर्ष चार देशों की सूची से बाहर हो गया है। हालांकि, मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित दुनिया के 11 देशों में भारत एक-मात्र गैर-अफ्रीकी देश के रूप में मौजूद है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

2.1 2017 के मुकाबले 2018 में मलेरिया के सर्वाधिक मामले अफ्रीकी देश घाना और नाइजीरिया में रिकॉर्ड किए गए।

2.2 रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कुल 228 मिलियन मलेरिया के मामले सामने आए हैं। इनमें 93% मामले अफ्रीकी क्षेत्र में, 3.4% दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में और 2.1% मामले पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में पाए गए हैं।

2.3 डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, 11 देशों- डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, घाना, भारत, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजेरिया, युगांडा, बुर्किना फासो, कैमरून और युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में मलेरिया के 70 फीसदी मामले देखे जाते हैं। मलेरिया से होने वाली कुल मौतों का 71 फीसदी इन्हीं 11 देशों में होती हैं।

2.4 रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर में 2018 में मलेरिया पीड़ित 11 लाख गर्भवती महिलाएँ 8,72,000 बच्चों को ही जन्म दे पाईं। इन बच्चों में 16 फीसदी ऐसे थे जितना वजन सामान्य से काफी कम था।

भारत के सन्दर्भ में

3.1 रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 और 2017 में भारत में ऐसे मामलों में 24 फीसदी कमी आई थी। वर्ष 2000 से भारत ने मलेरिया के मामलों को आधे से भी ज्यादा कम करने में सफलता हासिल की है। मलेरिया से होने वाली मौतों को दो-तिहाई से भी ज्यादा कम किया गया है।

3.2 भारत में लगभग 47% मामलों में मलेरिया का कारण प्लाजमोडियम विवैक्स रहा है।

3.3 रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में मलेरिया को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 2016 में 'मलेरिया उन्मूलन' अभियान की शुरूआत की गई थी जो कारगर साबित हो रहा है है। मलेरिया प्रभावित 11 देशों की सूची में भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां इस बीमारी को खत्म करने के लिए फंडिंग बढ़ाई गई है।

3.4 भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां मलेरिया को हराने के लिए अधिकतर सरकारी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया है जबकि अन्य 10 देशों में विदेशी फंडिंग से मलेरिया से लड़ने की जंग जारी है।

भारत सरकार के प्रयास

4.1 2030 तक भारत मलेरिया उन्मूलन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी संकल्प के साथ वर्ष 2016 में मलेरिया मुक्ति के लिए व्यापक राष्ट्रीय सामरिक योजना शुरू की गयी।

4.2 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बजटीय आवंटन को 2018-19 में 491 करोड़ रुपए और 2019-20 में 1,202.81 करोड़ रुपए तक निर्धारित किया गया है।

4.3 इस कार्यक्रम के तहत मच्छरों से होने वाले संक्रमण को रोकने और जनजागरूकता बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में आधारभूत कार्ययोजना, योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने और निगरानी पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है।

मलेरिया क्या है

5.1 मलेरिया एक प्रकार की जटिल और संक्रामक मानव बीमारी है, जिससे दुनियाभर में हर साल लाखों मौतें हो जाती हैं।

5.2 यह एनॉफिलीज मादा मच्छरों से फैलती है। जनन प्रक्रिया के लिए मादा मच्छर मानव रक्त का इस्तेमाल करती है।

वरिष्ठजन संबंधी संशोधन विधेयक, 2019

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों (senior citizens) के कल्याण एवं भरणपोषण संशोधन विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों, सुरक्षा एवं कल्याण प्रदान करने की बात कही गई है।

1.2 मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत सरकार बुजुर्गों की देखभाल की परिभाषा को विस्तृत करने की तैयारी में है।

प्रमुख बिंदु

2.1 विधेयक में गोद लिए गए बच्चे, सौतेले बेटे और बेटियों के साथ दामाद और बहू को भी शामिल किया गया है। बुजुर्गों तक पहुंच बनाने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा।

2.2 कानून बनने के बाद अगर दामाद और बहुएं वृद्ध सास-ससुर की देखभाल करने में विफल रहती हैं और रखरखाव के लिए यदि पैसे नहीं देती हैं तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान है।

2.3 नए संशोधन में जो ज्यादा कमाते हैं उन्हें अपने माता-पिता की देखभाल के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। कानून बन जाने के बाद इसका उल्लंघन करने वालों को कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल या दोनों सजा हो सकती है।

2.4 विधेयक में जोड़ी गई कुछ विशेषताओं में 80 वर्ष से अधिक उम्र के उन वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, जिनके बच्चे उनकी उपेक्षा करते हैं या सही ढंग से उनकी देखभाल नहीं करते हैं।

होम केयर एजेंसियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य

3.1 अब सभी वरिष्ठ नागरिकों के घरों/होम केयर सर्विस एजेंसियों को संबंधित अधिकारियों के पास खुद को पंजीकृत करना होगा।

3.2 विधेयक के मसौदे के अनुसार अब सीनियर सिटीजंस होम के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित होंगे।

3.3 साथ ही हर राज्य को एक हेल्पलाइन नंबर बनाना होगा ताकि वरिष्ठ नागरिक अपनी समस्याएं साझा कर सकें।

3.4 विधेयक में 'रखरखाव' के अंतर्गत माता-पिता की सुरक्षा के अलावा उनके भोजन, कपड़े, आवास और स्वास्थ्य देखभाल दायित्वों को शामिल किया गया है।

3.5 यदि बहू या दामाद द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा की जाती है या उचित रखरखाव नहीं किया जाता तो वे न्याय के लिए मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल जा सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण व कल्याण कानून

4.1 परिवारों में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी, उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर ही संप्रग सरकार ने 2007 में 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण व कल्याण कानून' बनाया था।

4.2 इस कानून के तहत वरिष्ठ नागरिक का परित्याग दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए तीन माह की कैद तथा पांच हजार रुपए जुर्माना हो सकता है। बावजूद, देश में बूढ़े माता-पिता का परित्याग करने की घटनाएं हो रहीं हैं।

4.3 वृद्धजनों के हितों की रक्षा के लिये 2007 में बने इस कानून में भरण-पोषण न्यायाधिकरण और अपीली न्यायाधिकरण बनाने की व्यवस्था है। ऐसे न्यायाधिकरण को वरिष्ठ नागरिक से शिकायत मिलने के 90 दिन के भीतर इसका निपटारा करना होता है और एकदम अपरिहार्य परिस्थितियों में यह अवधि 30 दिन के लिये बढ़ाई जा सकती है।

4.4 भरण-पोषण न्यायाधिकरण ऐसे वरिष्ठ नागरिक को उसके बच्चे या संबंधी से भरण-पोषण के रूप में 10 हजार रुपए तक प्रतिमाह का भुगतान करने का आदेश दे सकते हैं।

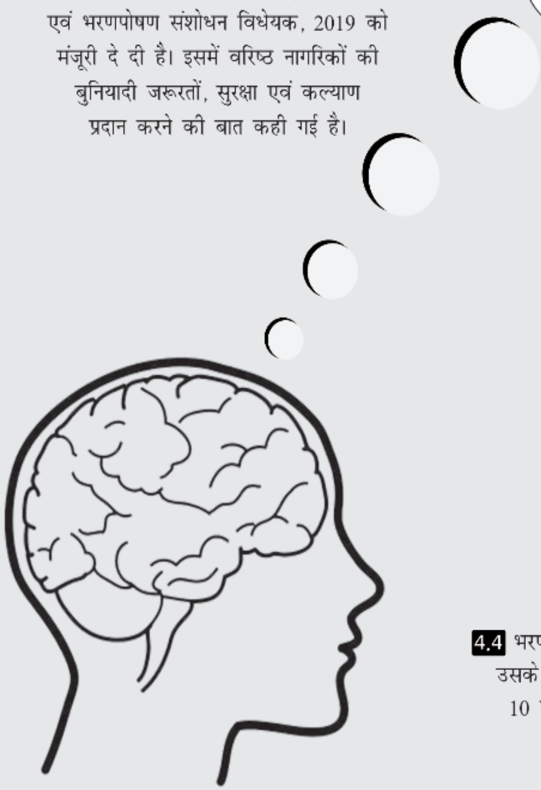

निजी डाटा संरक्षण विधेयक, 2019

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाटा सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक के मुताबिक डाटा लीक होने पर कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

आवश्यकता क्यों

2.1 हाल ही में यह बात भी सामने आई थी कि निजी डाटा का इस्तेमाल विदेशी कंपनियां भी करने लगी हैं। उन्हें 15-20 पैसे में सारा डेटा मिल जाता है।

प्रमुख बिंदु

3.1 निजी डाटा सुरक्षा विधेयक के तहत व्यक्तिगत डाटा को इकट्ठा करना और उसे किसी के साथ साझा करने पर जुर्माने का प्रावधान है। भारत में निजी डाटा सुरक्षा विधेयक GDPR की तर्ज पर ही पेश किया गया है जिसे यूरोपियन यूनियन ने 2018 में लागू किया था।

3.2 इस विधेयक में निजी डेटा के संचालन के संबंध में ढांचा तैयार करने की बात कही गई है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी निकायों के आंकड़े भी शामिल हैं।

3.3 विधेयक में निजी डाटा हासिल करने, भंडारण और एकत्र करने के बारे में व्यापक दिशानिर्देश होने के साथ ही व्यक्तियों की सहमति, दंड, मुआवजा, आचार संहिता और उसे लागू करने के मॉडल का भी उल्लेख है।

3.4 इस विधेयक के मुताबिक, कोई भी निजी या सरकारी संस्था किसी व्यक्ति के डाटा का उसकी अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकती।

3.5 चिकित्सा आपातकाल और राज्य या केंद्र की लाभकारी योजनाओं के लिए ऐसा किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसके डाटा के संबंध में अहम अधिकार होंगे। संबंधित व्यक्ति अपने डाटा में सुधार या फिर संस्था के पास मौजूद अपने डाटा तक पहुंच की मांग कर सकता है।

डाटा प्राइवेसी पर कानून का अभाव

4.1 हमारे देश में निजी डाटा चोरी करने पर रोक लगाने के लिए अभी तक कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इसी वजह से यह धंधा एक बड़े उद्योग का रुप लेता जा रहा है।

4.2 दरअसल, ये लोगों का शोषण है और निजता का उल्लंघन है। किसी की मर्जी के खिलाफ उसकी जानकारी दूसरे व्यक्ति को दी जा रही है। बड़ी कंपनियां अपने कारोबार का प्रयोग करने के लिए इस डाटा का इस्तेमाल करती हैं।

4.3 मौजूदा सेक्शन 87 में सूचना प्रौद्योगिकी का जिक्र तो है, मगर उसमें भी डाटा प्राइवेसी को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। इसी के चलते लोगों की निजी जानकारी खुले आम बिक रही है।

4.4 वहीं कोई कानून न बने होने से पुलिस ऐसे मामलों में चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। लोगों के पास कॉल सेंटर से अमूमन रोजाना ही कोई न कोई फोन आ जाता है। कोई इंश्योरेंस लेने की बात कहता है तो कोई प्लॉट, फ्लैट, क्रेडिट कार्ड, या पर्सनल लोन का ऑफर करता है।

क्यों आते हैं इतने फोन

5.1 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के मुताबिक लोगों की निजी जानकारियां धड़ल्ले से लीक हो रही हैं, ये काम करने वाले कोई दो चार कॉल सेंटर नहीं हैं, बल्कि हजारों छोटे-बड़े सेंटर खुल गए हैं।

5.2 कई कॉल सेंटर तो ऐसे हैं, जो सीधे ही सरकारी विभाग, जैसे बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर, दूरसंचार, रेलवे और डाक तार आदि का डेटा उठा लेते हैं। चूंकि अब सब रिकॉर्ड डिजिटल है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती।

जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेग्यूलेशन

6.1 गौरतलब है कि पिछले साल यूरोपियन यूनियन ने जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेग्यूलेशन (GDPR) के नाम से एक विधेयक पास किया था। इसके तहत सभी टेक कंपनियों को हर हाल में यूजर्स को अपना डाटा डाउनलोड करने की सुविधा देनी होगी।

6.2 जीडीपीआर टूल के तहत कोई भी यूजर अपना सोशल मीडिया डाटा डाउनलोड कर सकेगा ताकि उसे पता चल सके कि उसकी सोशल मीडिया कंपनी के सर्वर पर उसकी कौन-कौन सी जानकारियां हैं।

दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव का विलय

सुर्खियों में क्यों

1.1 दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव (केन्द्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 को संसद से मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा ने 03 दिसंबर 2019 को इस विधेयक को मंजूरी दे दी।

1.2 गौरतलब है कि लोकसभा से 27 नवंबर 2019 को ही इस विधेयक को मंजूरी मिल गई थी। नये केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव होगा।

आवश्यकता क्यों

2.1 चूंकि दादरा व नगर हवेली में सिर्फ एक जिला है और दमन और दीव में दो जिले हैं। ऐसे में केंद्र को दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग सचिवालयों व दूसरे बुनियादी ढांचों पर खर्च करना पड़ता है।

उद्देश्य

3.1 दो केंद्र शासित प्रदेशों को विलय करने का उद्देश्य उनकी प्रशासनिक आसानी को बढ़ाना और विकास सुनिश्चित करना है।

3.2 गौरतलब है कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन की सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की छोटी आबादी तथा सीमित क्षेत्र को ध्यान में रखकर अधिकारियों की सेवाओं के बेहतर उपयोग हेतु यह कदम उठाया गया है।

प्रमुख बिंदु

4.1 दोनों केंद्र शासित प्रदेश एक-दूसरे से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं लेकिन, दोनों का अलग बजट बनता है और अलग-अलग सचिवालय हैं। दादरा और नगर हवेली में केवल एक जिला है, जबकि दमन एवं दीव में केवल दो जिले हैं।

4.2 दोनों के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लोकसभा में दो सीटें होंगी। बंबई उच्च न्यायालय पहले की तरह यहाँ के कानूनी मामले देखेगा।

4.3 इसके अलावा, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी नये केंद्र शासित प्रदेश कैडर में ट्रांसफर होंगे। इसी तरह अन्य सभी कर्मचारी भी नये केंद्र शासित प्रदेश में चले जाएंगे।

4.4 केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद देश में 09 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य थे। अब, इस विधेयक के पारित होने से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या **आठ** रह जाएगी।

4.5 **आठ केंद्र शासित प्रदेशों की सूची:** लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लक्षद्वीप।

दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली का इतिहास

5.1 दोनों केंद्र शासित प्रदेशों पर बहुत लंबे समय तक पुर्तगालियों का शासन रहा। दोनों को दिसंबर 1961 में पुर्तगाली शासन से आजादी मिली।

5.2 दमन दीव साल 1987 तक गोवा का हिस्सा था, लेकिन गोवा के पूर्ण राज्य बनने पर यह अलग हो गया।

5.3 दादरा नगर हवेली 02 अगस्त 1954 को स्वतंत्र हुआ। यह बाद में साल 1961 में भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ।

अमेरिका की उइगर मानवाधिकार नीति

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में अमेरिकी संसद के निचले सदन (प्रतिनिधि सभा) ने चीन में उइगर मुसलमानों की नजरबंदी और उत्पीड़न को रोकने के लिए उइगर मानवाधिकार नीति (उइगर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एक्ट ऑफ 2019) नाम का विधेयक पारित किया है।

1.2 अमेरिका ने चीन में अल्पसंख्यकों के इस उत्पीड़न के विरोध में करीब 30 चीनी कंपनियों पर पहले ही पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद चीनी अफसरों को वीजा नहीं देने का ऐलान किया था। वहीं चीन ने अमेरिकी संसद के इस कदम को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है।

प्रमुख बिंदु

2.1 विधेयक में वरिष्ठ चीनी अधिकारियों और निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का भी की प्रावधान किया गया है।

2.2 इस विधेयक में अमेरिका द्वारा चीन में नजरबंद बनाकर रखे गए करीब 10,00,000 उइगर मुस्लिमों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों तक संसाधनों को पहुंचाने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे पहले चीन में उइगर समुदाय को हिरासत में लेकर प्रताड़ित करने के खिलाफ सीनेट में भी विधेयक पारित हो चुका है।

2.3 गौरतलब है कि शिनजियांग के दस लाख से अधिक मुस्लिमों के धार्मिक,राजनीतिक,सामाजिक और आर्थिक अधिकार छीन लिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि वे कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के मुताबिक अपने धर्म में बदलाव करें।

चीन की प्रतिक्रिया

3.1 अमेरिकी संसद (प्रतिनिधि सभा) ने एक के मुकाबले 407 मतों से उइगर मानवाधिकार नीति विधेयक मंजूर करते हुए ट्रंप प्रशासन को चीन के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर सख्त कार्रवाई जरूरी बताई।

3.2 हॉन्गकॉन्ग में विरोध प्रदर्शन का अमेरिका ने समर्थन किया था जिसके बाद चीन ने अमेरिकी एनजीओ और सैन्य जहाजों के इस स्वायत्तशासी क्षेत्र में आने पर रोक लगा दी है।

उइगर मुस्लिमों की स्थिति

4.1 चीन के अल्पसंख्यक अब तक के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। वहां का यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट शी जिन पिंग की 2015 की नीति के मुताबिक काम कर रहा है।

4.2 इसके तहत मुसलमानों,बौद्ध और ईसाईयों को कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियां अपनाना जरूरी है। इससे चीनी मुसलमान बेहद गुस्से में हैं।

4.3 पश्चिमी प्रान्त शिनजियांग के गुप्त कैम्प में दस लाख मुस्लिम कैद करके रखे गए हैं। हजारों लोग दाढ़ी या हिजाब के कारण हिरासत में हैं।

4.4 संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चीन में सरकार के समर्थक मुस्लिम नेताओं ने अपनी कौम के सदस्यों से अपील की थी कि वे अपने धर्म का चीनीकरण करने में सहयोग दें।

चीन की नीति

5.1 चीन उइगर मुसलमानों का फेशियल और वॉयस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और प्रेडिक्टिव पुलिसिंग डाटाबेस तैयार कर रहा है। इसमें व्यापक उच्च तकनीक निगरानी, जिसमें बच्चों के डीएनए नमूनों का संग्रह शामिल है।

5.2 व्यक्ति कितनी बार प्रार्थना करते हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए घर के बाहर क्यूआर कोड का उपयोग किया जा रहा है।

चीन-अमेरिका संबंधों पर प्रभाव

6.1 अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही व्यापार युद्ध चल रहा है जिसके कारण इन दोनों के आपसी रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। अमेरिका के इस कदम से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध और खराब हो सकते हैं।

6.2 अमेरिका के इस विधेयक से नाराज होकर चीन ने अमेरिकी सेना के जहाजों तथा एयरक्रॉफ्ट को हॉन्गकॉन्ग में जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

6.3 चीन ने कहा है कि इसका असर द्विपक्षीय सहयोग और ट्रेड वॉर को खत्म करने के लिए भविष्य में होने वाले समझौते पर पड़ सकता है।

वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक-2020

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, 2020 के अनुसार, 2018 में भारत, पाँचवा सबसे अधिक जलवायु प्रभावित देश था।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

2.1 जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम के अत्यधिक अनियंत्रित होने से 2018 में भारत में सबसे ज्यादा 2,081 मौतें हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 1,282 मौतों को साथ जापान दूसरे स्थान पर रहा।

2.2 दो दशक के दौरान इंसानी जीवन की क्षति और आर्थिक नुकसानों के मामले में भारत ने तीसरा स्थान पाया है। यह रिपोर्ट 1998 से 2018 के औसत आँकड़ों पर आधारित है। पहले चार स्थानों पर जापान, फिलीपींस, जर्मनी और मेडागास्कर रहे।

2.3 2018 में भीषण मौसमी घटनाओं के कारण 37,808 मिलियन डॉलर के आर्थिक नुकसान के साथ भारत दूसरे स्थान पर रहा। यह आँकड़ा 2017 में हुए नुकसान से लगभग तीन गुना ज्यादा है।

2.4 2018 में भारत कई तरह की भीषण मौसमी घटनाओं से प्रभावित हुआ। इसमें केरल में आई बाढ़, गज और तितली जैसे ट्रॉपिकल चक्रवात, भीषण गर्मी और लू शामिल हैं।

2.5 केरल में आई बाढ़ को सौ साल में सबसे खराब बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे गर्म 15 सालों में से 11 साल 2004 के बाद आए हैं।

2.6 2018 और 2019 में भारत में भीषण गर्मी पड़ी। 2018 की लू अब तक की सबसे लंबी रिकॉर्ड की गई लू है जिसने सैंकड़ों लोगों की जान ली।

2.7 अनुमान है कि 2030 तक विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली घटनाओं के चलते 290-580 अरब डॉलर के बीच आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

2.8 मई 2018 में गंभीर मॉनसून वर्षा से श्रीलंका भी प्रभावित हुआ, जिससे लगभग 20 जिले प्रभावित हुए, विशेष रूप से दक्षिण और पश्चिमी तट।

विकसित देशों की स्थिति

3.1 पहली बार दो विकसित देशों- जापान और जर्मनी ने जलवायु परिवर्तन के खतरे में आने वाले देशों में पहला और तीसरा स्थान पाया है।

3.2 भीषण गर्मी के कारण जर्मनी ने दूसरे सबसे गर्म वर्ष का अनुभव किया। अप्रैल और जुलाई 2018 के बीच की अवधि में यहाँ सबसे अधिक औसत तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1234 लोगों की मौत हुई। अक्टूबर 2018 में कम बारिश के कारण भीषण सूखा देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप फसल में भारी गिरावट आई।

3.3 इतना ही नहीं दो दशक की अवधि में जलवायु संबंधित आपदाओं के चलते सर्वाधिक आर्थिक नुकसान झेलने वाले देशों में अमेरिका सबसे आगे है।

3.4 कनाडा ने 2018 की शुरूआत में 100 वर्षों में अपना सबसे कम तापमान देखा और फिर अप्रैल 2018 में उच्च तापमान रिकॉर्ड किया, जिसने भारी बर्फबारी को पिघला दिया, जिससे नदियां ओवरफ्लो हो गईं।

3.5 मेडागास्कर जनवरी 2018 में चक्रवात अवा और मार्च 2018 में साइक्लोन एलियाकिम का शिकार हो गया, जिसने लगभग 70000 लोगों को अस्थायी रूप से विस्थापित कर दिया, जिससे वे राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए।

लॉस एंड डैमेज प्रणाली

4.1 इस रिपोर्ट ने लॉस एंड डैमेज प्रणाली को जमीनी स्तर पर लागू करने की मांग की है। यह व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के समझौते की प्रक्रिया का हिस्सा है जो कहती है की विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे विकासशील और अविकसित देशों का सहयोग करना चाहिए।

4.2 इस सहयोग में फंड भी शामिल होने चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से विकसित देश ही ग्रीनहाउस गैसों का स्तर बढ़ने के जिम्मेदार हैं, जिनके चलते ऐसे भीषण मौसमी परिवर्तन होते हैं।

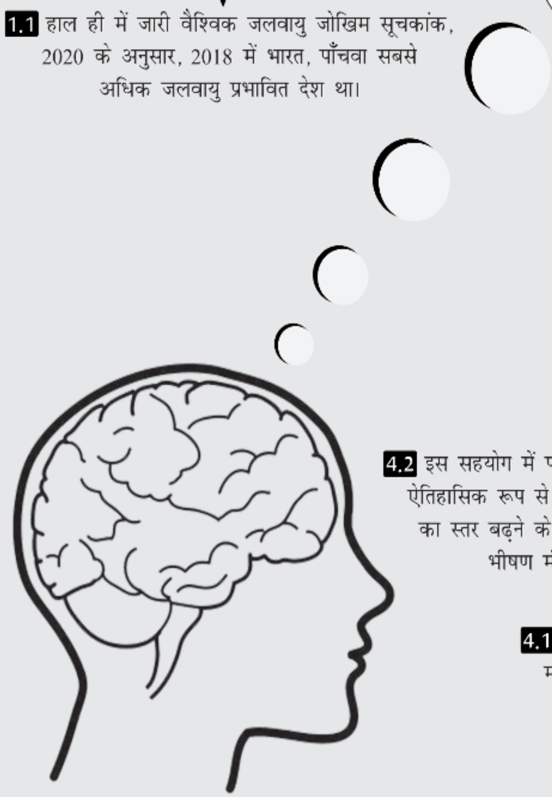

बीज विधेयक, 2019

सुर्खियों में क्यों

1.1 हाल ही में किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार लोकसभा में नए बीज विधेयक, 2019 को पेश करने पर विचार कर रही है।

1.2 केंद्र करीब पाँच दशक पुराने बीज अधिनियम, 1966 की जगह नया विधेयक लाने जा रही है। इसके जरिए सरकार सभी बीजों के लिए एक समान प्रमाणन की व्यवस्था और बीजों की बारकोडिंग करने जैसे बदलावों को लागू करने की तैयारी में है।

आवश्यकता क्यों

2.1 देश में बिकने वाले सभी बीजों में से आधे से अधिक बीज किसी भी उचित परीक्षण संस्था द्वारा प्रमाणित नहीं किये गए होते हैं और अकसर वे खराब गुणवत्ता के पाये जाते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

2.2 कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि देश में आमतौर पर किसान ज्यादातर फसलों के बीज अपने पास रखते हैं और जो बीज बाजार में बिक रहे हैं उनमें से भी ज्यादातर प्रमाणिक नहीं होते हैं।

वर्तमान स्थिति

3.1 देश में आवश्यक बीजों में से 30 फीसदी बीज किसानों द्वारा खुद ही अपनी फसलों से बचाए जाते हैं, परंतु बाकी बचे हुए बीजों, जो संभवतः बाजार से खरीदे जाते हैं, में से मात्र 45 फीसदी बीज ही ऐसे हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा प्रमाणित होते हैं।

3.2 अन्य 55 फीसदी बीज, जो कि निजी कंपनियों द्वारा बेचे जाते हैं, अधिकतर प्रमाणित नहीं होते हैं। सरकार का उद्देश्य इसी श्रेणी को समाप्त करना है और सभी बीजों की प्रमाणिकता को अनिवार्य बनाना है।

प्रमुख बिंदु

4.1 नए विधेयक में खराब गुणवत्ता के बीज बेचने वाली कंपनियों पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर अधिकतम 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है जबकि अभी तक यह 500 रुपये (न्यूनतम) और 5,000 रुपये (अधिकतम) है।

4.2 प्रस्तावित बीज विधेयक, 2019 बीजों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को नियमित करने पर जोर देता है। इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता विनियमन की प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करना है।

4.3 ब्रांड सीड केवल पंजीकृत किस्मों का ही बाजार में बिक सकेगा। राज्य स्तर पर राज्य फसलों/किस्मों तथा केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय किस्मों का पंजीकरण होगा।

4.4 राज्य तक सीमित किस्म राज्य किस्म और एक राज्य से अधिक राज्यों में उगाई जाती है वह राष्ट्रीय किस्म कहलाएगी। किस्म का पंजीकरण दस वर्ष के लिए होगा।

4.5 प्रस्तावित बीज अधिनियम में यह प्रावधान किया है कि उत्पादक वितरक या विक्रेता किस्म भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति से दर्शाये गए तरीके से कृषक को बेची जाने वाली किस्म के गुणों के बारे में सूचित करेगा और किस्म प्रदर्शित गुणों के आधार पर अपनी क्षमता नहीं प्रदर्शित कर पाती तो कृषक को क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा और कृषक उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय से अपनी क्षतिपूर्ति ले सकेगा।

4.6 प्रस्तुत सीड विधेयक के अनुसार राज्य बीज समिति, रजिस्ट्रेशन सब कमेटी, प्रमाणीकरण संस्था, बीज गुणवत्ता निगरानी अधिकारी, बीज निरीक्षक को कार्यपालन से रोकते हैं बाधा पंहुचाते है तो उनको न्यायालय में गुनाह सिद्ध होने पर 25 हजार से एक लाख रुपये तक का दण्ड दिया जा सकता है।

उत्पादन एवं प्रोसेसिंग ईकाई का पंजीकरण

5.1 बीज उत्पादन एवं बीज प्रोसेसिंग प्लांट ईकाई का पंजीकरण बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं में न होकर राज्य सरकार के साथ होगा तथा योग्यता प्राप्त स्टाफ के साथ होगा अर्थात् प्रासेसिंग प्लांट के पंजीकरण के लिए बी.एस.सी. एग्री., एमएससी. एग्री. योग्यता प्राप्त श्रमशक्ति रखना आवश्यक हो जायेगा तथा प्रमाणित एवं लेबल बीजों का सभी विवरण राज्य सरकार को देना होगा।

लाभ

6.1 किसानों को उच्चतम कोटि के बीज और कीटनाशक मिलें और इसके लिए लाये जा रहे विधेयक में किसान हितों को प्राथमिकता दी जायेगी।

6.2 बीज और कीटनाशक से संबंधित विधेयक में किसानों को फर्जी बीज और कीटनाशक बेचने तथा उसकी फसल बर्बाद होने की स्थिति से बचाने के लिए किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान भी किया जायेगा।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. विश्व मलेरिया रिपोर्ट–2019

प्र. विश्व मलेरिया रिपोर्ट-2019 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत में मलेरिया के मामलों में वर्ष 2017 से 2018 के बीच 28 फीसदी की वृद्धि हुई है।
2. भारत में लगभग 47% मामलों में मलेरिया का कारण प्लाजमोडियम विवैक्स रहा है।
3. मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित दुनिया के 11 देशों में भारत एक-मात्र गैर-अफ्रीकी देश के रूप में मौजूद है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की विश्व मलेरिया रिपोर्ट-2019 के अनुसार भारत में मलेरिया के मामलों में वर्ष 2017 से 2018 के बीच 28 फीसदी की कमी आई है। इसी के साथ भारत मलेरिया प्रभावित दुनिया के शीर्ष चार देशों की सूची से बाहर हो गया है। हालांकि, मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित दुनिया के 11 देशों में भारत एक-मात्र गैर-अफ्रीकी देश के रूप में मौजूद है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

2. वरिष्ठजन संबंधी संशोधन विधेयक, 2019

प्र. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं भरणपोषण संशोधन विधेयक, 2019 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इस विधेयक में 80 वर्ष से अधिक उम्र के उन वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, जिनके बच्चे उनकी उपेक्षा करते हैं।
2. सरकार ने 2007 में 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण व कल्याण कानून' बनाया था।
3. विधेयक में गोद लिए गए बच्चे, सौतेले बेटे और बेटियों के साथ दामाद और बहू को शामिल नहीं किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2

(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों (senior citizens) के कल्याण एवं भरणपोषण संशोधन विधेयक, 2019 को को मंजूरी दे दी है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों, सुरक्षा एवं कल्याण प्रदान करने की बात कही गई है। विधेयक में गोद लिए गए बच्चे, सौतेले बेटे और बेटियों के साथ दामाद और बहू को भी शामिल किया गया है। बुजुर्गों तक पहुँच बनाने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने को एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा। कानून बनने के बाद अगर दामाद और बहुएं वृद्ध सास-ससुर की देखभाल करने में विफल रहती हैं और रख-रखाव के लिए यदि पैसे नहीं देती हैं तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही हैं जबकि कथन 3 गलत है। ■

3. निजी डाटा संरक्षण विधेयक, 2019

प्र. निजी डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. विधेयक के तहत निजी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डाटा को इकट्ठा करना और उसे किसी के साथ साझा करने पर जुर्माने का प्रावधान नहीं है।
2. इस विधेयक के मुताबिक, कोई भी निजी या सरकारी संस्था किसी व्यक्ति के डाटा को उसकी अनुमति के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकती।
3. देश में निजी डाटा चोरी करने पर रोक लगाने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाटा सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। निजी डाटा सुरक्षा विधेयक के तहत व्यक्तिगत डाटा के इकट्ठा करना और उसे किसी के साथ साझा करने पर जुर्माने का प्रावधान है। इस विधेयक में निजी डेटा के संचालन के संबंध में ढाँचा तैयार करने की बात कही गई है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी निकायों के आंकड़े भी शामिल हैं। हमारे देश में निजी डाटा चोरी करने पर रोक लगाने के लिए अभी तक कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इस प्रकार कथन 1 और 3 गलत हैं जबकि कथन 2 सही है। ■

4. दादरा–नगर हवेली और दमन–दीव का विलय

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. दमन-दीव साल 1986 तक गोवा का हिस्सा था।
2. दादरा नगर हवेली साल 1965 में भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ।
3. इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने का उद्देश्य उनके प्रशासनिक सहयोग को बढ़ाना और विकास सुनिश्चित करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः दोनों केंद्र शासित प्रदेशों पर बहुत लंबे समय तक पुर्तगालियों का शासन रहा। दोनों को दिसंबर 1961 में पुर्तगाली शासन से आजादी मिली दमन दीव साल 1987 तक गोवा का हिस्सा था, लेकिन गोवा के पूर्ण राज्य बनने पर यह अलग हो गया। दादरा नगर हवेली 02 अगस्त 1954 को स्वतंत्र हुआ। यह बाद में साल 1961 में भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ। गौरतलब है कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन की सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की छोटी आबादी तथा सीमित क्षेत्र को ध्यान में रखकर अधिकारियों की सेवाओं के बेहतर उपयोग हेतु यह कदम उठाया गया है। इस प्रकार कथन 3 सही है जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

5. अमेरिका की उइगर मानवाधिकार नीति

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. चीन उइगर मुसलमानों का फेशियल और वॉयस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और प्रीडिक्टिव पुलिसिंग डाटाबेस तैयार कर रहा है।
2. ब्रिटेन ने चीन में उइगर मुसलमानों की नजरबंदी और उत्पीड़न को रोकने के लिए उइगर मानवाधिकार नीति (उइगर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एक्ट ऑफ, 2019) नाम का विधेयक पारित किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) ना तो 1, ना ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में अमेरिकी संसद के निचले सदन (प्रतिनिधि सभा) ने चीन में उइगर मुसलमानों की नजरबंदी और उत्पीड़न को रोकने के लिए उइगर मानवाधिकार नीति (उइगर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी एक्ट ऑफ, 2019) नाम का विधेयक पारित किया है। गौरतलब है कि चीन उइगर मुसलमानों का फेशियल और वॉयस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और प्रीडिक्टिव पुलिसिंग डाटाबेस तैयार कर रहा है। इसमें व्यापक उच्च तकनीक निगरानी, जिसमें बच्चों के डीएनए नमूनों का संग्रह शामिल है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ■

6. वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक–2020

प्र. वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक-2020 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. पहली बार दो विकसित देशों- जापान और जर्मनी ने जलवायु परिवर्तन के खतरे में आने वाले देशों में पहला और तीसरा स्थान पाया है।
2. जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम के अत्यधिक अनियंत्रित होने से 2018 में नेपाल में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं।
3. दो दशक की अवधि में जलवायु संबंधित आपदाओं के चलते सर्वाधिक आर्थिक नुकसान झेलने वाले देशों में चीन सबसे आगे है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (a)

व्याख्याः जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम के अत्यधिक अनियंत्रित होने से 2018 में भारत में सबसे ज्यादा 2,081 मौतें हुईं। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 1,282 मौतों को साथ जापान दूसरे स्थान पर रहा। इतना ही नहीं दो दशक की अवधि में जलवायु संबंधित आपदाओं के चलते सर्वाधिक आर्थिक नुकसान झेलने वाले देशों में अमेरिका सबसे आगे है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि अन्य कथन गलत हैं ■

7. बीज विधेयक, 2019

प्र. प्रस्तावित बीज विधेयक, 2019 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. प्रस्तावित बीज विधेयक 2019 बीजों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को नियमित करने पर जोर नहीं देता है।
2. यह विधेयक बीज अधिनियम, 1966 की जगह लेगा।
3. खराब गुणवत्ता के बीज बेचने वाली कंपनियों पर जुर्माने की राशि 15 लाख रुपये तक करने का प्रस्ताव है।

उपुर्यक्त कथनों में से कौन सा/से सही नही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (a)

व्याख्याः केंद्र करीब पाँच दशक पुराने बीज अधिनियम, 1966 की जगह नया विधेयक लाने जा रही है। प्रस्तावित बीज विधेयक, 2019 बीजों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को नियमित करने पर जोर देता है। इसके जरिए सरकार सभी बीजों के लिए एक समान प्रमाणन की व्यवस्था और बीजों की बारकोडिंग करने जैसे बदलावों को लागू करने की तैयारी में है। नए विधेयक में खराब गुणवत्ता के बीज बेचने वाली कंपनियों पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर अधिकतम 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है जबकि अभी तक यह 500 रुपये (न्यूनतम) और 5,000 रुपये (अधिकतम) है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंटी डिप्रेशन स्क्वाड लॉन्च किया है?

-असम

2. हाल ही में संपन्न नाटो शिखर सम्मेलन, 2019 का आयोजन किस यूरोपीय शहर में किया गया?

-लन्दन

3. हाल ही में भारत और चीन के बीच हैण्ड इन हैण्ड अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया?

-उमरोई (मेघालय)

4. भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर की जायेगी?

-लोथल

5. हाल ही में चर्चा में रहा स्थानीय आस्था दिवस भारत के किस राज्य में मनाया जाता है?

-अरुणाचल प्रदेश

6. हाल ही में अंगदान के मामले में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया?

-तमिलनाडु

7. हाल ही में किस अभिनेत्री को यूनिसेफ के 'डैनी काये मानवतावादी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया?

-प्रियंका चोपड़ा

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. भारत सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करें।

2. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक, 2019 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ, हालांकि यह सुधार अपेक्षानुरूप नहीं है। सुधार के कारणों की चर्चा करें साथ ही उपयुक्त सुझाव भी प्रस्तुत करें।

3. वरिष्ठजन संबंधी संशोधन विधेयक, 2019 का संक्षिप्त वर्णन करें।

4. निजी डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 की चर्चा करें। साथ ही डाटा संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करें।

5. बीज विधेयक, 2019 किसानों के हितों को किस प्रकार सुरक्षित करेगी। चर्चा करें।

6. भारत ने फिलीस्तीन के साथ टेक्नोपार्क के निर्माण के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। इन समझौतो के संदर्भ में भारत-फिलीस्तीन समझौतों की चर्चा करें?

7. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 क्या है? इससे उपजे विवादों को भी रेखांकित करें।

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर

हाल ही में गुरुग्राम को सुपर स्मार्ट सिटी बनाने और यहां पर लोगों को उच्च तकनीक के माध्यम से जनसुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सेक्टर-44 स्थित आईआरटीसी बिल्डिंग में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। गौरतलब है कि गांव में फाइबर केबल आने से गांव में इंटरनेट की सुविधा मिलेगी तथा सूचनाओं का आसानी से आदान-प्रदान होगा।

इस सेंटर के माध्यम से शहर के सभी सरकारी भवनों व पुलिस थानों को फाइबर नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा। फिलहाल शहर के 160 सरकारी भवनों व पुलिस थानों को फाइबर नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है। शहर में अब तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा 400 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है और शहर के सभी सरकारी भवनों व आस-पास की ग्राम पंचायतों को डाटा सेंटर के क्लाउड नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा।

इस सेंटर में ऑनलाइन रियल टाइम एक्सेस, निर्णयों के लिए डाटा का मूल्यांकन और रिपोर्ट, पेपरलैस कार्य, वाई-फाई के साथ हाई स्पीड बैंडविड्थ और इंटरनेट की सुविधा के साथ-साथ विभिन्न कार्यालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इस सेंटर में इंटीग्रेटेड स्मार्ट सर्विसेज के तहत डाटा विश्लेषण व निगरानी के लिए सीसीटीवी प्रणाली, यातायात नियंत्रण व प्रबंधन, संपत्ति व भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन, सार्वजनिक यातायात, स्ट्रीट लाईट निगरानी व नियंत्रण, ठोस कचरा प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति की निगरानी, पर्यावरण निगरानी, शहरी सेवा सहयोग केन्द्र और मोबाइल एप के माध्यम से नागरिक भागीदारी की भी सुविधा दी गई है। गौरतलब है कि इन सुविधाओं के माध्यम से गुड़गांव को एक बेहतर स्मार्ट सिटी बनाया जा सकेगा।

नागरिकों को दी जाने वाली सभी नागरिक सेवाओं को एक मंच पर लाकर इस कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के लिए एक मोबाइल एप भी विकसित किया गया है ताकि जनता एप के माध्यम से लाइव सुविधा ले सकें।

इस सेंटर की पहुंच बढ़ाने के लिए 358 इंटरसेक्शन प्वाइंट को चिह्नित कर योजना बनाई गई है। इस सेंटर में गाड़ी की स्पीड, पहचान, नंबर प्लेट, रंग की पहचान के अलावा हैलमेट रहित दोपहिया चालकों की पहचान, सड़कों के गड्ढे, जलभराव और धरना प्रदर्शन में भीड़ की गणना के साथ-साथ चेहरे की पहचान भी संभव होगी।

इसके अलावा, ठोस कचरा प्रबंधन के कार्य में लगे वाहनों पर नजर रखने का कार्य भी इस सेंटर से हो सकेगा। पेयजल आपूर्ति के मीटर को एकीकृत किया गया और एसटीपी को भी जोड़ा गया है। ■

2. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 संसद से पास

हाल ही में संसद ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 को पास कर दिया है। गौरतलब है कि लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 311 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 80वोट पड़े। इससे पूर्व केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नागरिकता (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से भी नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो गया। राज्यसभा में सरकार के पक्ष में 125 मत पड़े जबकि विरोध में 105 मत पड़े। इस विधेयक के मुताबिक, नागरिकता प्रदान करने से जुड़े नियमों में बदलाव होगा तथा अवैध प्रवासियों को बगैर दस्तावेज के नागरिकता मिलेगी। किंतु इन अवैध प्रवासियों को नागरिकता का लाभ प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत छूट भी प्रदान करना होगा। नागरिकता संशोधन विधेयक में नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन का प्रस्ताव है। नागरिकता कानून, 1955 के अनुसार, अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस कानून के अंतर्गत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हों। इसमें भारत के तीन पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों व ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।

नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी व्यक्ति को (अवैध प्रवासी के अतिरिक्त) वर्तमान समय में भारत की नागरिकता हासिल करने हेतु 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 5 साल करना है अर्थात इन तीनों देशों के 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। ■

3. नासा को मिली चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की साइट

हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर मिला है। नासा के अनुसार, उसके लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर (एलआरओ) को चंद्रमा पर चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर का मलबा मिला है।

गौरतलब है कि लैंडर ने 07 सितंबर 2019 को निर्धारित समय से कुछ समय पहले संपर्क खो दिया था। नासा ने अपने लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर द्वारा क्लिक की गई छवियों को भी जारी किया है।

नासा द्वारा जारी तस्वीर में यान से संबंधित मलबे वाला क्षेत्र को दिखाया गया है, जिसमें कई किलोमीटर तक लगभग एक दर्जन से अधिक स्थानों पर मलबा बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। नासा के मुताबिक, भारतीय इंजीनियर शनमुगा सुब्रमण्यन ने एजेंसी को मलबे से जुड़े सबूत दिए है। यह साइट संबंधित मलबे के क्षेत्र को दर्शाता है। नासा ने एक बयान में कहा है कि उसने 26 सितंबर 2019 को क्रैश साइट की एक तस्वीर जारी की थी और लोगों को विक्रम लैंडर के संकेतों की खोज करने के लिए आमंत्रित किया था इसके बाद शनमुगा सुब्रमण्यन नाम के एक व्यक्ति ने मलबे की एक सकारात्मक पहचान के साथ एलआरओ परियोजना से संपर्क किया।

इस रिपोर्ट के अनुसार, शनमुगा सुब्रमण्यन ने विक्रम लैंडर के अंतिम ज्ञात वेग और स्थिति की समीक्षा की। सुब्रमण्यन ने मलबे की एक सकारात्मक पहचान के साथ एलआरओ परियोजना से संपर्क किया। चंद्रयान-2 को इसरो ने 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया था। चंद्रयान-2 के तीन हिस्से थे- विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर और ऑर्बिटर। विक्रम लैंडर की 07 सितंबर, 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन विक्रम ने हार्ड लैंडिंग की।

इसके बाद विक्रम लैंडर का भूमिगत स्टेशन से संपर्क टूट गया। चूंकि प्रज्ञान रोवर भी विक्रम लैंडर के अंदर था। इसलिए वे भी अंतरिक्ष में खो चुका है। हालांकि ऑर्बिटर सुरक्षित है और काम कर रहा है। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का वजन 2,379 किलोग्राम है। इसरो के अनुसार ऑर्बिटर सात साल तक काम करता रहेगा। ■

4. सीओपी-25 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन स्पेन में संपन्न

दुनिया में जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र करीब तीन दशक पहले से ही जलवायु परिवर्तन की नीतियों से निपटने की कोशिशों में जुट गया था, लेकिन उसके प्रयास अभी भी अधूरे हैं।

प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन शुरू हो चुका है, जिसमें दुनिया के 196 देश हिस्सा ले रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के तहत कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी)-25 इस बार 2 से 13 दिसंबर तक स्पेन में आयोजित किया गया। पहला सम्मेलन 1995 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का यह 25वां जलवायु सम्मेलन सीओपी (कांफ्रेंस ऑफ द पार्टीज) संयुक्त राष्ट्र से संबंधित देशों का वार्षिक सम्मेलन है। पहले इसकी मेजबानी ब्राजील को करनी थी, लेकिन उसका इरादा बदलने के बाद यह चिली के पास आई। हालांकि चिली के सेंटियागो में अशांति के बाद उसने अपने कदम पीछे खींच लिए तो स्पेन ने मेजबानी करना स्वीकार किया। यह सर्वविदित है कि धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसका कारण है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। इस सम्मेलन का उद्देश्य सभी देशों को उनके वादों को याद दिलाना भी है जिसमें उन्होंने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात कही थी। साथ ही 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को पूरी तरह से लागू करने की बात भी की जाएगी।

2017 में कार्बन उत्सर्जन में चीन पहले, अमेरिका दूसरे, भारत तीसरे और रूस चौथे स्थान पर था। इसमें चीन की हिस्सेदारी 27.2%, अमेरिका 14.6%, भारत की 6.8% और रूस 4.7% थी। इस तरह से दुनिया में कार्बन उत्सर्जन का आधे से ज्यादा हिस्सा इन्हीं देशों का था।

संयुक्त राष्ट्र की तीन अलग-अलग रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, भूस्खलन, सूखा और चक्रवातों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे दुनिया के साढ़े तीन करोड़ लोगों के सामने खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो गया है। चीन कार्बन उत्सर्जन कम करने पर तेजी से जुटा हुआ है। हालांकि ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की रिपोर्ट बताती है कि चीन ने अपनी कोयला जलाने की क्षमता को बढ़ाया है साथ ही अभी उसकी योजना इसे और बढ़ाने की है। इसके साथ ही चीन दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोयले से चलने वाले पॉवर प्लांट के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करा रहा है। कार्बन उत्सर्जन को लेकर दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर हुई है। पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की ओर भारत तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत न सिर्फ अपने लक्ष्यों को पाने में कामयाब हो रहा है बल्कि लक्ष्य पाने की दिशा में उसका काम 15 फीसद ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ■

5. हज प्रक्रिया को पूर्णरूपेण डिजिटल बनाने वाला पहला देश बना भारत

हाल ही में भारत हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 01 दिसंबर 2019 को हज 2020 के लिए सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन, ई वीजा, हज मोबाइल एप, ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा, मक्का मदीना में ठहरने

तथा यातायात से जुड़ी सभी जानकारी देने वाले 'ई लगेज प्री टैगिंग' से हज यात्रा पर जाने वाले भारतीयों को जोड़ा गया है। यह पहली बार है जब एयरलाइंस द्वारा डिजिटल प्री-टैगिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि हज यात्रियों को भारत में ही सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। हज यात्रियों को पूर्व सूचना मिल जाएगी कि मक्का मदीना में किस इमारत के किस कमरे में ठहरने और हवाई अड्डे पर उतरने के बाद किस नंबर की बस लेनी होगी। इस प्रक्रिया को अपनाने से निम्नलिखित लाभ होंगे- यात्रियों के सिम कार्ड को हज मोबाइल ऐप के साथ जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें हज के बारे में नवीनतम जानकारी मिलती रहे। भारत सरकार द्वारा भारत में सभी यात्रियों को हेल्थ कार्ड दिए जाने की व्यवस्था की गई है, वहीं सऊदी अरब में उन्हें 'ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा' दी जाएगी। इस प्रणाली में प्रत्येक हज यात्री की सेहत से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें आपात स्थिति में तुरंत मेडिकल सहायता भी प्रदान किया जाएगा। सरकार ने सभी हज समूह आयोजकों को भी 100 प्रतिशत डिजिटल प्रणाली http://haj-nic-in/pto/ से जोड़ा है। यह अनुमान है कि साल 2020 में लगभग 2 लाख भारतीय मुसलमान बिना किसी हज सब्सिडी के हज यात्रा पर जायेंगे। ■

6. देश के सभी पुलिस थानों में होंगी महिला हेल्प डेस्क

हाल ही में भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि देश के प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क (Women Help Desks) स्थापित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण हेतु 'निर्भया फंड' से 100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

यह योजना सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जाएगी। देश भर के सभी पुलिस स्टेशनों को और अधिक सुविधाजनक तथा महिलाओं के अनुकूल बनाने हेतु महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। इससे संबद्ध कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं- महिला सहायता डेस्क सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित की जाएंगी। हेल्प डेस्क महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। इस योजना के अनुसार, महिला हेल्प डेस्क पर अनिवार्य रूप से महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। अपनी पीड़ा लेकर थाने आने वाली महिलाओं से किस प्रकार संवेदनशील तरीके से पेश आया जाए, इसके लिए पुलिसकर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। हेल्प डेस्क कानूनी सहायता, परामर्श, आश्रय, पुनर्वास और प्रशिक्षण आदि की सुविधा देने हेतु वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के पैनल को सूचीबद्ध करेगी। इन सभी का उपयोग पीड़ित महिलाओं की सहायता में किया जाएगा। विशेषज्ञ का पैनल परामर्श, कानूनी सहायता, प्रशिक्षण, पुनर्वास और आश्रय सहित पीड़ित महिलाओं को आवश्यक सहायता प्रदान करने में सहायता करेगा। केंद्र सरकार ने देश के पुलिस थानों को महिलाओं के अनुकूल और पहुँच योग्य बनाने हेतु महिला हेल्प डेस्क बनाने का फैसला लिया है। यह फैसला केंद्र सरकार ने देशभर में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को देखते हुए लिया है। केंद्र सरकार ने साल 2012 में दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद साल 2013 में निर्भया फंड की स्थापना की थी। निर्भया फंड का गठन सरकारी और गैर-सरकारी पहल का समर्थन करने हेतु किया गया था। इसका उद्देश्य देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। फंड की निगरानी वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा की जाती है। ■

7. संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास सूर्य किरण-14

भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास, सूर्य किरण के 14वें संस्करण का शुभारंभ नेपाल के रूपन्देही जिले के सलझण्डी स्थित नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में हुआ। इस संयुक्त युद्धाभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और नेपाल सेना के बीच बटालियन स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन करना है जिसमें जंगलों में सैन्य स्तर पर एक दूसरे के हथियारों एवं युद्धक रणनीति को बढ़ाने ,पर्वतीय एवं जंगली क्षेत्रों में जवाबी कार्रवाई एवं आतंकवाद विरोधी सैन्य ऑपरेशनों, मानवीय सहायता, आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य , चिकित्सा तथा पर्यावरण संरक्षण में सैनिकों को प्रशिक्षण देना है।

संयुक्त युद्धाभ्यास सूर्य किरण-14 भारत और नेपाल के बीच लंबे समय तक रणनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि इस युद्धाभ्यास के दौरान महत्वपूर्ण व्याख्यान, प्रदर्शन तथा जंगल एवं पर्वतीय क्षेत्रों में जवाबी कार्रवाई एवं आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन व आपदा प्रबंधन से जुड़े संयुक्त रूप से आयोजित किये जायेंगे। इस प्रशिक्षण के माध्यम से दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों को अपने-अपने अनुभवों को साझा कर संयुक्त रूप से विपरीत परिस्थितियों में अपने युद्ध कौशल एवं ड्रिल कार्यवाही को निखारने का मौका मिलेगा। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. स्कूलों और कॉलेजों की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण

- सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार की प्रमुख योजना समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत तीन महीने के लिए प्रत्येक स्कूल को प्रतिमाह 3000 रुपये प्रदान किये जा रहे हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी दिये जा रहे हैं। ये आवासीय विद्यालय हैं, जहां वंचित वर्गों की लड़कियाँ कक्षा 6 से 12 तक पढ़ती हैं।
- आत्मरक्षा प्रशिक्षण नियमित रूप से केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन के स्कूलों की छात्राओं को दिया जाता है। इसके तहत लड़कियों को जूडो, ताइक्वाडो और मुक्केबाजी इत्यादि में प्रशिक्षित किया जाता है। केंद्रीय विद्यालयों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर इन खेलों में प्रतिस्पर्धाओं और टूर्नामेंटों का आयोजन किया जाता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर उच्च शिक्षा संस्थानों को पत्र लिखकर आग्रह करता है कि वे प्रबंधन और अध्यापकों को जागरूक करें तथा 'सक्षम' रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने का रोडमैप तैयार करें।
- इन संस्थानों को लैंगिक संवेदनशीलता के लिए कार्यक्रमों तथा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 18 फरवरी, 2014; 28 अगस्त, 2014; 1 सितम्बर, 2014 और 6 नवम्बर, 2014 को भेजे अपने पत्र में परिसर में महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
- आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों के अंदर और बाहर, दोनों स्थानों पर छात्र सुरक्षा के दिशा-निर्देश भी बनाए हैं।
- उल्लेखनीय है कि महिलाओं और बच्चों के संबंध में दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट स्कूलों/ कॉलेजों/ एमएनसी/ अस्पतालों/ संस्थानों/ गैर-सरकारी संस्थानों/ एनसीसी/ होटल इत्यादि के प्रमुखों के आग्रह के आधार पर छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं तथा कार्यशालाओं का आयोजन करती है।

2. मालदीव में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मालदीव में अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
- इनमें से एक परियोजना राजधानी माले में रात को एलईडी बल्बों के जरिए रोशनी करने की भी है। एक अन्य परियोजना मालदीव में रूपे कार्ड का प्रचलन शुरू करने से संबंधित है।
- इसके अलावा दोनों नेताओं ने तीन मछली प्रसंस्करण संयंत्रों का उद्घाटन किया।
- मालदीव को तेज रफ्तार इंटर-सेप्टर नौका भी भारत की ओर से उपहार में दी गई।
- फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट तटरक्षक जहाज 'कामयाब' का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे मालदीव की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) तथा पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हुलहुलमाले में एक कैंसर अस्पताल और क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पर भी काम कर रही है। वहीं, 34 द्वीपों में जल एवं स्वच्छता परियोजना पर भी जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत निर्वाचन आयोग और मालदीव के चुनाव आयोग के बीच चुनाव प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

3. स्टार्टअप इंडिया वैश्विक उद्यम पूंजी सम्मेलन, 2019

- स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट का दूसरा संस्करण 6-7 दिसंबर, 2019 को गोवा में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का आयोजन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गोवा सरकार के साथ साझेदारी में किया गया।
- विदित हो कि पहला सम्मेलन पिछले वर्ष गोवा में हुआ था जिसमें 9 देशों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और भारत में उद्यम पूंजी अवसरों को दिखाने के साथ-साथ निवेशक की दुनिया के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श में सहायता दी थी।
- सम्मेलन में लाभ, विविधतता तथा भारतीय बाजार में अवसर का आकार और भारत में हो रहे अत्याधुनिक नवाचारों को दिखाया गया। सम्मेलन का उद्देश्य उद्यम पूंजी उद्योग के लिए श्रेष्ठ व्यवहरों को समझना, भारत में निवेश के लिए समस्याओं की पहचान करना तथा उनके समाधान के लिए उपायों का मूल्यांकन करना भी है।
- सम्मेलन का अन्य उदेश्य ई-मोबिलिटी, फिनटेक, मिडटेक, इंटरप्राइस सॉफ्टवेयर, एडटेक, जेनोमिक्स तथा जीव विज्ञान क्षेत्र में भारत के अवसर को दिखाना है। सम्मेलन में वैश्विक निवेशक समूह को उच्च गुणवत्ता की टेक्नोलॉजी, गैर-टेक स्टार्टअप दिखाकर भारतीय स्टार्टअप्स के लिए पूंजी प्रवाह में वृद्धि पर भी विचार किया गया और निवेशक समुदाय की समस्याओं पर विचार-विमर्श करके व्यवसाय सुगम्यता में तेजी लाने की बात की गई है।
- इस आयोजन के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया को शीर्ष वैश्विक निवेशकों से मिलने का मौका मिलेगा और व्यवसाय मार्गदर्शन तथा निवेश अवसरों पर बातचीत करने का मौका मिलेगा।

4. "फास्टैग" की पायलट परियोजना हैदराबाद हवाई अड्डे पर शुरू

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पार्किंग हेतु 'फास्टैग' का उपयोग करने के लिए एक पायलट परियोजना हैदराबाद हवाई अड्डे पर शुरू की है। यह पायलट परियोजना दो चरणों में शुरू की गई है। पहला चरण दरअसल एक नियंत्रित पायलट परीक्षण है, जिसके तहत केवल आईसीआईसीआई टैगों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। पायलट परियोजना के दूसरे चरण में सभी अन्य बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले टैगों को कवर किया जाएगा।
- टोल प्लाजा पर फास्टैग के उपयोग के अलावा इससे इतर भी इसके इस्तेमाल के लाभों को सुनिश्चित करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है। इसकी परिकल्पना 'फास्टैग 2.0' के रूप में की गई है और इसके तहत पार्किंग भुगतान, ईंधन भुगतान इत्यादि को कवर किया गया है। हैदराबाद में सफलता मिलने के बाद यह परियोजना दिल्ली हवाई अड्डे पर भी शुरू की जाएगी। अन्य बैंक जैसे कि एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईडीएफसी भी 'फास्टैग 2.0' को लॉन्च करने के लिए मुंबई एवं बंगलुरू स्थित हवाई अड्डों के अलावा कुछ शॉपिंग मॉल के शीर्ष अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं।
- जहाँ तक पार्किंग में उपयोग किए जाने का सवाल है, फास्टैग युक्त सभी वाहनों के साथ-साथ दिसम्बर, 2017 के बाद बेचे गए सभी वाहन भी स्वत: इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि उनमें पहले से ही फास्टैग लगा हुआ है। 'फास्टैग 2.0' की यात्रा अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ईंधन भुगतान, ई-चालान के भुगतान, कार्यालयों और निवास पर पहुंच प्रबंधन जैसे कार्यों में किया जा सकता है। जीएसटी परिषद ने भी सभी वाणिज्यिक वाहनों पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है, जो 1 अप्रैल, 2020 से ई-वे बिल सृजित करना शुरू कर देंगे। इस एकीकरण से 'जीएसटीएन' को काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे ई-वे बिल को न जारी करने/गलत जानकारी देने से संबंधित लीकेज की पहचान करने में मदद मिलेगी।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (फास्टैग) कार्यक्रम' को देश भर में फैले राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवस्थित टोल प्लाजा पर लागू किया गया है। इसने टोल के नकद भुगतान को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में तब्दील कर डिजिटल इंडिया पहल को काफी बढ़ावा दिया है तथा इसके साथ ही समूची टोल प्रणाली में और ज्यादा पारदर्शिता ला दी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवस्थित शुल्क वाले प्लाजा की सभी लेन को 'फास्टैग लेन' घोषित करने के हालिया आदेश पर अमल करने के साथ ही अब फास्टैग का व्यापक उपयोग होने लगा है, जो नए टैगों की बिक्री के साथ-साथ टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिये अपेक्षाकृत ज्यादा टोल संग्रह से साफ जाहिर होता है।

5. भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) बनाने और इसकी शुरुआत करने को मंजूरी दे दी है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू), केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई), केंद्रीय सार्वजनिक

वित्तीय संस्थानों (सीपीएफआई) और दूसरे सरकारी संगठनों के लिए पूंजी के अतिरिक्त स्रोत के तौर पर लाया गया है। भारत बॉन्ड ईटीएफ देश में पहले कार्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ होगा।

- ईटीएफ सीपीएसई/सीपीएसयू/सीपीएफआई/ दूसरे सरकारी संगठनों के बॉन्ड (शुरूआत में सभी एएए बॉन्ड) के बॉन्ड्स की बास्केट होगा।
- विनिमय पर व्यापार योग्य, 1,000 रुपये की छोटी ईकाई, पारदर्शी एनएवी (दिनभर एनएवी का सामयिक लाइव), पारदर्शी पोर्टफोलियो (वेबसाइट पर रोजाना प्रकाशन), कम लागत (0.0005%) आदि इसकी प्रमुख विशेषता है।
- प्रत्येक ईटीएफ की एक निर्धारित परिपक्वता तिथि होगी। ईटीएफ जोखिम पुनरावृत्ति के आधार पर बुनियादी सूचकांक पर नजर रखेगा यानी क्रेडिट गुणवत्ता और सूचकांक की औसत परिपक्वता का मिलान करेगा। सीपीएसई, सीपीएसयू, सीपीएफआई अथवा दूसरे सरकारी संगठनों के बॉन्ड्स के ऐसे पोर्टफोलियो में निवेश करेगा, जो ईटीएफ की परिपक्वता अवधि से पहले अथवा उसी समय परिपक्व होंगे। अभी तक इसमें दो परिपक्वता श्रेणियां हैं 3 वर्ष एवं 10 वर्ष। प्रत्येक श्रेणी में उसी परिपक्वता श्रेणी का एक अलग सूचकांक होगा।
- सूचकांक का निर्माण एक स्वतंत्र सूचकांक प्रदाता - राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज- द्वारा किया जाएगा।

निवेशकों को भारत बॉन्ड ईटीएफ का लाभ

- बॉन्ड ईटीएफ सुरक्षा (सीपीएसई और दूसरी सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए खास बॉन्ड), नकदी (विनिमय पर व्यापार योग्य) और अनुमानित कर कुशल रिटर्न उपलब्ध कराएगा। यह खुदरा निवेशकों को कम राशि के बॉन्ड्स (1,000 रुपये तक) में पहुंच उपलब्ध कराएगा, जिससे बॉन्ड बाजारों में आसान और कम लागत वाली पहुंच मिल सके। यह खुदरा निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाएगा, जो नकदी और पहुंच में बाधाओं के चलते बॉन्ड बाजारों में भागीदारी नहीं करते हैं। कूपन के तौर बॉन्ड की तुलना में मामूली कर की दरों पर बॉन्ड, कर दक्षता लाते हैं। बॉन्ड ईटीएफ सूचीकरण के लाभ के साथ होते हैं, यह निवेशकों को होने वाले पूंजीगत लाभ पर टैक्स में काफी कमी लाता है।

सीपीएसई के लिए भारत बॉन्ड ईटीएफ के लाभ

- बॉन्ड ईटीएफ सीपीएसई, सीपीएसयू, सीपीएफआई और दूसरे सरकारी संगठनों को अपनी कर्ज की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकिंग वित्त व्यवस्था से अलग एक अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराता है। यह खुदरा और एचएनआई भागीदारी के जरिये उनके निवेशकों का आधार बढ़ाता है, जिससे उनके बॉन्ड की मांग बढ़ सकती है। बॉन्ड की मांग बढ़ने के साथ इसके जारीकर्ता कम लागत पर उधार लेने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे एक नियत समयावधि के लिए उधार लेने की उनकी लागत कम हो जाती है।
- विनिमय पर व्यापार से बॉन्ड ईटीएफ बुनियादी बॉन्ड्स के लिए बेहतर कीमत का पता लगाने में मदद करेगा। चूंकि सीपीएसई की उधार की जरूरतों का आकलन करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक व्यापक ऋण कैलेंडर तैयार और अनुमोदित किया जाएगा, यह कम से कम इस निवेश की सीमा तक सीपीएसई में उधार अनुशासन को विकसित करेगा।

6. भारत-जापान 2+2 वार्ता

- रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशीमित्सु और जापान के रक्षामंत्री कोनो तारो के साथ नई दिल्ली में प्रथम भारत-जापान 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।
- मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि यह संवाद आपसी सुरक्षा और रक्षा सहयोग की सामरिक गहराई को और ज्यादा व्यापक बनाएगा। उभरती सुरक्षा चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मंत्रियों ने सुरक्षा सहयोग पर आधारित 2008 के संयुक्त घोषणा पत्र और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने से संबंधित 2009 की कार्य योजना के आधार पर द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस बात को स्मरण करते हुए कि दोनों देश मुक्त, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के प्रति समान दृष्टि रखते हैं, जिसके अंतर्गत सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत सुनिश्चित किए गए हैं और सभी देशों को नौवहन और उस क्षेत्र से उड़ान भरने की स्वतंत्रता है, मंत्रियों ने इस बात पर बल दिया कि द्विपक्षीय सहयोग में और ज्यादा मजबूती प्रदान करना दोनों देशों के परस्पर हित में है तथा इससे हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

द्विपक्षीय सहयोग

- पिछले साल से भारत और जापान ने अपने रक्षा बलों के तीनों अंगों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास प्रारंभ किए हैं। दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नियमित रूप से आयोजित करने और उन्हें व्यापक बनाने के निरंतर प्रयास जारी रखने पर समान रूप से बल दिया जा रहा है। इस संदर्भ में हाल ही में संपन्न द्वितीय 'धर्म गार्जियन-2019' और द्वितीय 'शिन्यू मैत्री-2019' का स्वागत किया गया। दोनों देशों ने जापान में प्रथम भारत-जापान संयुक्त लड़ाकू विमान अभ्यास के लिए समन्वयन की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति प्रकट की।

- दोनों देशों ने अक्तूबर, 2018 में ऐक्विजिशन एंड क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट (एसीएसए) प्रारंभ किए जाने की घोषणा के बाद से इससे संबंधित बातचीत में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया।
- खुले, मुक्त, समावेशी और नियमों पर आधारित हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में सामुद्रिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को स्वीकार करते हुए दोनों देशों ने सामुद्रिक सुरक्षा और अन्य देशों के साथ सहयोग के माध्यम से सामुद्रिक क्षेत्र सजगता में क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने की मंशा व्यक्त की। इस संदर्भ में, भारत द्वारा सूचना समेकन केन्द्र-हिन्द महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) की स्थापना का स्वागत किया। भारत ने पिछले साल जापान की मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच हस्ताक्षरित व्यापक सहयोग के लिए समझौते के क्रियान्वयन के आधार पर सूचना का आदान-प्रदान प्रारंभ होने की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामले

- दोनों देशों ने विशेषकर हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति सहित आपसी हित के क्षेत्रीय मामलों पर बेबाक और सार्थक विचार-विमर्श किया। वहीं हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में आसियान की केन्द्रीयता और एकता के महत्व की पुष्टि की।
- जापानी पक्ष ने हाल ही में संपन्न 14वें ईएएस के दौरान सुरक्षित, संरक्षिंत, स्थिर, समृद्ध और टिकाऊ सामुद्रिक क्षेत्र का सृजन करने के लिए भारत द्वारा की गई 'हिन्द-प्रशांत महासागर पहल' की सराहना की और इस पहल के आधार पर ठोस सहयोग के बारे में विचार-विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की। भारतीय पक्ष ने जापान और आसियान के बीच रक्षा सहयोग के लिए एक नई पहल के रूप में नवंबर, 2019 में जापान के 'वियनतियाने विजन 2.0' का स्वागत किया।

7. टीकाकरण जागरूकता आवश्यक

- उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में भारत बायोटेक द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए नए रोटावायरस वैक्सीन - रोटावा-सी5डी-आर को लॉन्च करने के बाद कहा कि रोटावायरस के प्रसार से निपटने में वैक्सीन काफी मददगार होगा।
- इसके कारण भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 8,72,000 मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं, 32 लाख मरीजों का पंजीकरण होता है और इससे सालाना 78 हजार मौतें होती हैं।
- उपराष्ट्रपति ने चिकित्सकों, मीडिया और नागरिक समाज से टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने और आशंकाओं को दूर करने में सरकार के साथ भागीदारी करने का आग्रह किया।
- उपराष्ट्रपति कहा कि खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से टीकाकरण के बारे में फैलाई जा रही गलत जानकारी के समाधान की तत्काल आवश्यकता है।
- श्री नायडू ने कहा कि यह बीमारी कई भारतीय परिवारों को, खासकर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को काफी आर्थिक संकट में डाल सकती है और देश पर महत्वपूर्ण आर्थिक बोझ भी डाल सकती है।
- उपराष्ट्रपति कहा कि प्रत्येक बच्चे को जीवनरक्षक टीकों से लाभान्वित होना चाहिए और एक आनंदमय बचपन और उल्लाकसपूर्ण जीवन जीना चाहिए। उन्होंने टीकाकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण बच्चों का मूल अधिकार है और किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य, भलाई और खुशी की कुंजी है।
- उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2022 तक डायरिया के कारण बच्चों में रुग्णता और मृत्यु दर को शून्य के स्तर पर लाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है। उन्होंने कहा कि देश हरेक बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
- उपराष्ट्रपति ने लोगों से लोगों में बदलती जीवनशैली और आहार संबंधी आदतों के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए चिकित्सकों का भी आह्वान किया।
- उन्होंने वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए फिट इंडिया, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और योग जैसे कार्यक्रमों को जनांदोलनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया।

❍❍❍

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

विश्व के प्रमुख शुष्क मरुस्थल

1. ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल

महत्वपूर्ण तथ्य

- ऑस्ट्रेलिया विश्व का ऐसा सबसे शुष्क महाद्वीप है जहाँ मानव निवास करते हैं। इस महाद्वीप का 70 प्रतिशत भू-भाग 500 मिमी से कम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है।
- ऑस्ट्रेलिया में कुल 10 मरुस्थल हैं जिनमें सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया सबसे प्रसिद्ध मरुस्थल हैं। अन्य मरुस्थल- ग्रेट सैंडी, तानामी, गिब्सन, लिटिल सैंडी, स्ट्रजलेकी, स्टर्ट स्टोनी, तिरारी और पेडिरका हैं।
- इन मरुस्थलों का क्षेत्रफल 3,48,750 वर्ग कि.मी. है। इस विशाल मरुस्थल में रेतीले टीलों की भरमार है। इस महाद्वीप के अधिकांश भू-भाग को शुष्क या अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इन मरुस्थलों की यह विशेषता है कि यहाँ वनस्पति बहुतायत में होती है।
- इन मरुस्थलों की ढाल दक्षिण में नलाबर मैदान की ओर पड़ती है। यहाँ पर बालू के टीलों का बाहुल्य है। चूँकि यह उत्तर में गिब्सन मरुस्थल में मिल जाता है, इसलिये इसकी सीमा निश्चित नहीं हैं।

- यह मरुस्थल उत्तर में मुसग्रेव श्रेणी तथा दक्षिण में नलाबर मैदान के मध्य में स्थित है। कुछ स्थानों पर यह मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तटों से 20 मील से अधिक दूरी पर नहीं है।
- इस मरुस्थल में पाये जाने वाले अर्द्धचंद्राकार रेत के टीलों को 'लंकटे टिब्बा' कहा जाता है।
- द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल 'विजार थॉर्नी डेविल' सहित सरीसृप जीवों के कारण प्रसिद्ध है।
- इस मरुस्थल के मध्य में खारे पानी की अनेक छोटी-छोटी झीलें पायी जाती हैं।
- ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े मरुस्थल सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया रेत की पहाड़ियों से घिरे हुये हैं।
- इस मरुस्थल में ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट नेचर रिजर्व, नूलबरोर नेशनल पार्क, फ्लोरा एण्ड फॉना कंजरवेशन पार्क सहित अनेक राष्ट्रीय उद्यान हैं।
- इस मरुस्थल की खोज 1875 में अर्नेस्ट जाइल्स के द्वारा किया गया था।
- गौरतलब है कि कुछ स्थानों पर यह मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तटों से 20 मील से अधिक दूरी पर नहीं है।
- गर्मियों के दिनों में इन मरुस्थलों का तापमान 35°C से 40°C के ऊपर तक चला जाता है जबकि रात में तापमान 30°C से नीचे चला जाता है।

2. अरब मरुस्थल

महत्वपूर्ण तथ्य

- अरब मरुस्थल (Arabian Desert) पश्चिम एशिया में स्थित एक बड़ा रेगिस्तान है जो दक्षिण में यमन से लेकर उत्तर में फारस की खाड़ी तक और पूर्व में ओमान से लेकर पश्चिम में जॉर्डन और इराक तक फैला हुआ है। अरबी प्रायद्वीप का अधिकांश भाग इस रेगिस्तान में आता है। इस मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 23.3 लाख वर्ग किमी है।
- यहाँ दिन में अत्यंत गर्मी रहती है और रात में तापमान कभी-कभी शून्य से भी नीचे चला जाता है। इस वजह से यहाँ जैव विविधता काफी कम है।
- लाल रेत के टीले, लावा की विस्तृत चट्टानें, शुष्क पहाड़ी शृंखलाएँ, सूखी वादियाँ और रेतीले क्षेत्र इस रेगिस्तान में मौजूद हैं।
- इस मरुस्थल के मध्य में रुब अल-खाली नामक क्षेत्र है जो विश्व का सबसे विस्तृत रेतीला क्षेत्र है।
- यहाँ कुछ जंगली जानवर भी पाये जाते हैं, जैसे- हिरण, रेत बिल्ली और काँटेदार दुम वाली गिरगिट इत्यादि।
- इस मरुस्थल में लकड़बग्घा, सियार आदि जानवर भी मिलते थे परंतु अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों से वह अब विलुप्त हो गये हैं।

3. कालाहारी मरुस्थल

महत्वपूर्ण तथ्य

- कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीकी देशों की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है।
- इस मरुस्थल में सालाना 8-19 सेमी वर्षा होती है। यहाँ रहने वाली जनजातियों को 'बुशमैन' कहा जाता है। यह एक उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। इसके पश्चिम में नामीब मरुस्थल है। इसके उत्तर पश्चिम में ओकावंगो नदी डेल्टा बनाती है जो वन्यजीव से भरपूर है।
- इस रेगिस्तान में जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह रेगिस्तान अपने खनिजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हीरा, निकल तथा यूरेनियम आदि के पर्याप्त भण्डार मौजूद हैं। यह रेगिस्तान दक्षिण में ऑरेंज नदी तथा उत्तर में जाम्बेजी नदी के बीच स्थित है।
- कालाहारी रेगिस्तान में अधिकतर रेत बहुत महीन तथा कहीं-कहीं पर लाल रंग तो कहीं पर स्लेटी रंग की होती है।
- इस रेगिस्तान का अधिकांश क्षेत्र जीवाश्म-रेगिस्तान माना गया है। रेगिस्तान का दक्षिण-पश्चिमी भाग अति शुष्क है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है।

4. नामीब मरुस्थल

महत्वपूर्ण तथ्य

- दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लगा नामीब मरुस्थल धरती पर सबसे सूखी जगहों में से एक है। स्थानीय नामा भाषा में इसका अर्थ है- वह इलाका जहां कुछ भी नहीं है। इस भू-भाग पर रेत के टीले हैं, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ हैं और 3 देशों (नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका) के 81 हजार वर्ग किलोमीटर में फैले बजरी के मैदान हैं।
- नामीब रेगिस्तान दक्षिणी अंगोला से नामीबिया होते हुए 2,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी हिस्से तक फैला है। नामीबिया के लंबे अटलांटिक तट पर यह नाटकीय रूप से समुद्र से मिलता है। ऐसा लगता है मानो पूरब की ओर रेत का अंतहीन समुद्र फैला हो, जो दक्षिण अफ्रीका के 160 किलोमीटर अंदर विशाल ढलान तक जाता है।
- इस मरुस्थल की चौड़ाई लगभग 160 कि.मी. तथा लंबाई 1300 कि.मी. है। इस मरुस्थल के बालू के कुल टीलों में से 'स्टार टिब्बा' लगभग 10 प्रतिशत है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 15 मि.मी. से कम ही रहता है।
- गर्मियों में यहां तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रातें इतनी ठंडी होती हैं कि बर्फ जम जाए।

5. थार मरुस्थल

महत्वपूर्ण तथ्य

- ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है- उत्तरी भाग, जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है और दक्षिणी भाग, जिसका ढाल कच्छ के रन की ओर है।
- इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिमनदीय उद्‌गम के अभाव में वर्षावाही (Ephemeral) होती हैं, अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है।
- यह मरुस्थल बालू के टिब्बों से ढँका हुआ एक तरंगित मैदान है। इस मरुस्थल में 52°C तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है जबकि सर्दियों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है।
- इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी है, जोकि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है।
- उच्च ताप के अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियाँ इस क्षेत्र को जलाभाव वाला क्षेत्र (Water Deficit Region) बनाती हैं
- गर्मी के मौसम में यहां पर तेज आंधियां चलती हैं जो रेत के बड़े-बड़े टीलों को दूसरे स्थानों पर धकेल देती है, जिससे यहां मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती जाती है। इन मरुस्थलों में चलने गर्म हवाओं को 'लू' कहते हैं।

6. सहारा मरुस्थल

महत्वपूर्ण तथ्य

- सहारा नाम अरबी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मरुस्थल या रेगिस्तान। यह मरुस्थल कुल 11 देशों में फैला हुआ है। माली, मोरक्को, मारितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान एवं मिस्र देशों में इस मरुस्थल का विस्तार है।
- दक्षिण मे इसकी सीमायें साहिल प्रदेश से मिलती हैं जो एक अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र है। यह सहारा को बाकी अफ्रीका से अलग करता है।
- सहारा रेगिस्तान 90,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो लगभग संयुक्त राज्य अमरीका के क्षेत्रफल के बराबर है।
- यह अटलांटिक महासागर से नील नदी या लाल सागर तक विस्तृत है।

- यह संसार की समस्त मरुभूमि का आधा भाग है। इस रेगिस्तान के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र, चट्टानी क्षेत्र, मिट्टी और कंकर से ढंके मैदान, नमक के क्षेत्र तथा रेत के विशाल टीले उपस्थित हैं। सहारा पूरी तरह से शुष्क भी नहीं है। विश्व की सबसे लम्बी नदी नील भी इसके पूर्वी भाग से गुजरती है।
- सहारा रेगिस्तान में आने वाले तूफान अकसर स्थानीय होते हैं जैसे- 'खमसिन', 'सिरोक्कू', 'शहली' और 'सिमोन'। ये हवाएँ अपने साथ धूल और बालू की विशाल मात्रा लाती हैं। इस कारण यहाँ रेत के बहुत बड़े-बड़े टीलों का निर्माण होता है।

7. मोहावी मरुस्थल

महत्वपूर्ण तथ्य

- मोहावी रेगिस्तान एक शुष्क रेगिस्तान है। यह दक्षिण-पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह मरुस्थल 47,877 वर्ग मील (124,000 किमी) में फैला हुआ है। मोहावी मरुस्थल के उत्तर में महान बेसिन है।
- भौगोलिक दृष्टिकोण से यह तहचापी पर्वत, सैन गेब्रियल पर्वत और सैन बर्नार्डिनो पर्वत से घिरा हुआ है।
- उत्तरी अमेरिका में डेथ वैली (85 मीटर) समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है और यह मोहावी मरुस्थल के गहरे स्थानों में से एक है।
- मोहावी मरुस्थल को अकसर 'उच्च रेगिस्तान' के रूप में जाना जाता है।
- यह कैलिफोर्निया के दक्षिणी भाग, सिएरा नेवादा पर्वत शृंखला के दक्षिणी भाग और लॉस एंजिल्स के पास स्थित है। यह खनिज संसाधनों से समृद्ध है। यहाँ वार्षिक औसत वर्षा 50-130 मिमी होती है।
- इस मरुस्थल के मध्य में बहुत कम आबादी देखने को मिलती है।
- इस मरुस्थल में असंख्य झीलें व झरने पाये जाते हैं। ये मरुस्थल अमेरिका की विशाल द्रोणी का ही एक भाग हैं।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (CAIPTS)

TARGET 2020

OFFLINE & ONLINE

Total 28 Tests

13 Applied Tests (including 1 Revision Test and 1 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)	**10 Full Length GS Tests** (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)	**5 CSAT Tests** (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)

Key features of CAIPTS

- The CAIPTS will contain a total of 28 tests (Fullyapplied and based on UPSC Pattern) 28 Tests = 13 Applied Tests (including 1 Revision Test and 1 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based) + 10 Full Length GS Tests (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based) + 5 CSAT Tests (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)
- Applied level tests will be based on standard references which will enhance the analytical ability of the aspirants.
- 8 full length and 2 Previous Year based papers will cover the entire syllabus and match the level of UPSC-CSE prelims examination. It will further enable the aspirants for their better evaluation of learning outcome.
- In addition to this, the unique feature of DHYEYA IAS CAIPTS, is, four full length tests based on UPSC CSE prelims question papers of past 25 years. These tests will drive the aspirants' motives to go through the previous years question papers which is one of the important aspects of CSE preparation. It will also assist them to understand the changing nature of the questions asked in the examination.

635, Ground Floor, Main Road Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009 | Call: 011-49274400, 9205274741
For more details visit: www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूज़लेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

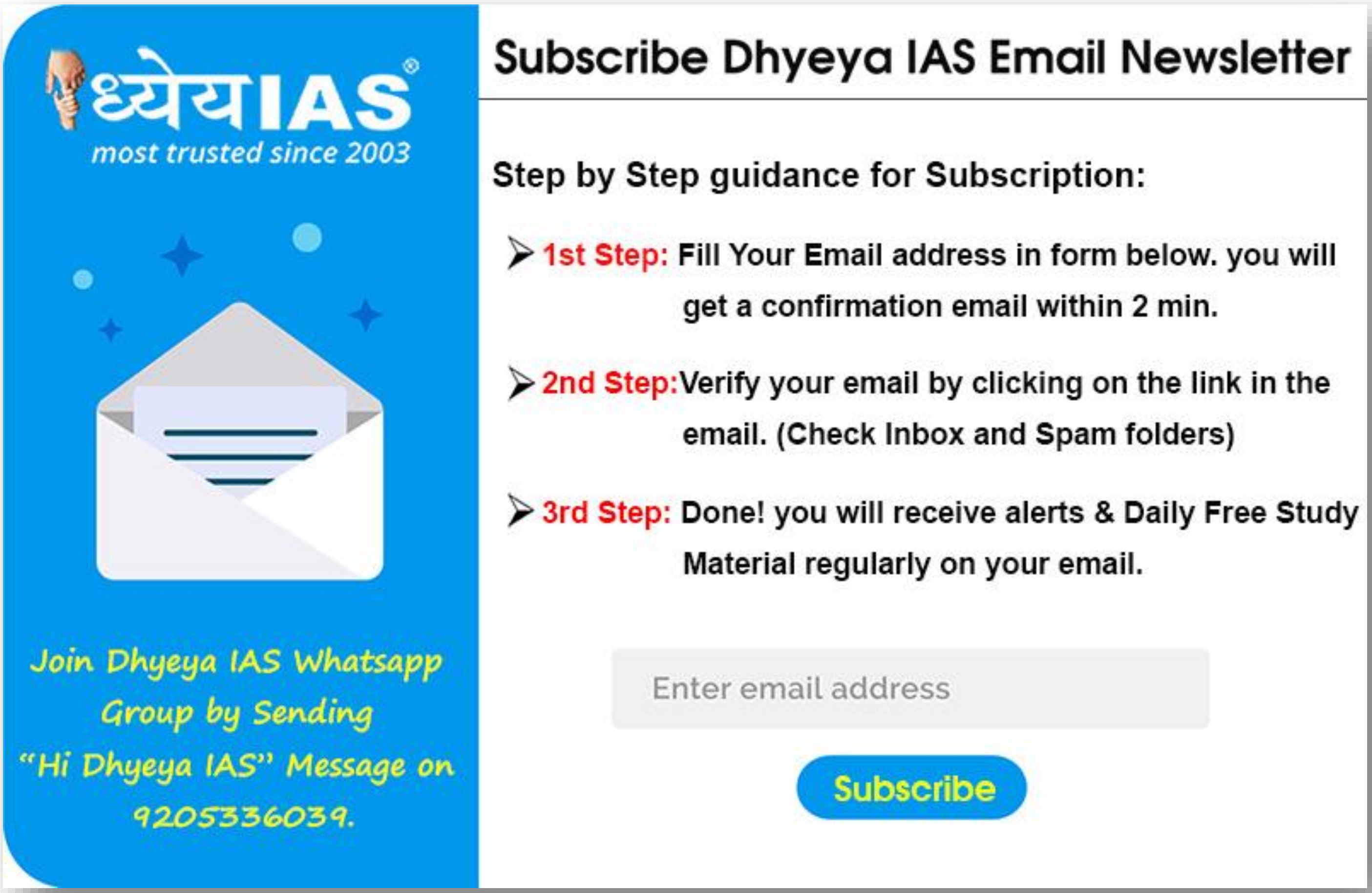

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400